राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ७] तृतीय विधान सभा के सप्तम् सत्र, १९६५ का १८ वां दिवस [संख्या १५

शनिवार, दिनांक १३ मार्च, १९६५

विधान सभा की बैठक म. पू. ११. ४ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोतर

[विकास, सिंचाई, वन, गृह, श्रम, यातायात, सहकारी, आयुर्वेद, पंचायत, सामान्य प्रशासन, निर्वाचन, राजकीय उद्योग, पशु-पालन, कारावास एवं नियुक्ति-विभाग]

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्रबाला ।

शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में पीने के पानी का अभाव

३४०. **श्रीमती नगेन्द्रबाला** (छबड़ा): क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) शाहबाद व किशनगंज तहसीलों के उन क्षेत्रों में जहां पीने के पानी का पूरा पूरा अभाव है, सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्रों में पानी का स्तर बहुत नीचा होने से तथा भूमि पथरीली होने के कारण कुएं खुदवाना संभव नहीं ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार तालाबों, ट्यूब वैल या अन्य किसी भी प्रकार पीने के पानी की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र करने का विचार रखती है ?

विकास मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) पीने के पानी के अभाव को दूर करने की व्यवस्था की जा रही है ।

(२) कहीं कहीं कुएं खुदवाना संभव नहीं होना पाया गया है ।

(३) पीने के पानी के साधनों का सर्वे कर मास्टर प्लान बनाया जा रहा है ।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : यह व्यवस्था कब तक हो जायेगी ?

Page No 2

श्री भीखाभाई : इसके कहने के बारे में यह बहुत मुश्किल मामला है, क्योंकि सर्वे होने के बाद उसका श्रीगणेश होना चाहिये और कार्यक्रमको आगे बढ़ाना चाहिये। पंचायत समिति के सीमित साधन होते हैं और उसको उसी पर निर्भर करना पड़ता है कि जन-स्वास्थ्य विभाग से कितना रुपया मिलता है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, यह पीने के पानी का प्रश्न है। विकास विभाग के पास इतना रुपया नहीं है और सर्वे होने के बाद वे यह महसूस करते हैं कि वे इस काम को नहीं कर सकते तो सरकार इसकी व्यवस्था करे। पीने के पानी के अभाव में जानवर मर रहे हैं और लोगों को हर साल वहां से गांव छोड़ छोड़ कर दूसरी जगह जाना पड़ता है। मैं तीन सत्र से लगातार इस प्रश्न को उठाती आ रही हूँ, फिर भी सरकार इस समस्या को हल नहीं कर रही है यह बहुत ही अफ बात है।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

राणा प्रतापसागर डैम के खम्भों में दरारें

३४१. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या सिंचाई मंत्री उत्तर देने का कष्ट करेंगे :—

(१) राणा प्रतापसागर डैम के कितने पिलर्स पर क्रेक्स आए थे ?

(२) क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय स्तर पर जांच हुई है ? अगर हां, तो इसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(३) उक्त क्रेक्स की मरम्मत में कुल कितना व्यय हुआ तथा यह व्यय किसके द्वारा वहन किया गया ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) राणा प्रताप सागर बांध के सातवें ब्लॉक में एक आर पार क्रेक नहीं के बराबर नजर आया था। इसके अलावा ब्लॉक नम्बर २१ व २५ में हेयर क्रेक्स आये थे।

(२) हां, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय व मुख्य अभियन्ता द्वारा जांच हुई। इस विषय में जो सम्मति राणा प्रताप सागर एवं केन्द्रीय जल एवं विद्युत् आयोग के सदस्य ने दी है उसकी प्रतिलिपि साथ में संलग्न है।

(३) क्रेक्स की मरम्मत में कुल रुपया २३८६) खर्च हुआ है जो सरकार ने ही वहन किया है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो आपने खंड १ में उत्तर दिया कि सातवें ब्लॉक में क्रेक नहीं के बराबर नजर आया, मैं पूछना चाहूंगा कि यह क्रेक कितने फीट नीचे तक गया है ? एक इंच, दो इंच या इतनी भी नहीं थी ?

श्री दौलतराम सारण : यह दरार ऊपरी धरातल पर थी, न चुनाई के भीतर और न ही नींव तक गई थी।

Page No 3

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेन्ट में भी यह प्रश्न उठा था और सिंचाई मंत्री ने यह कहा था कि यह दरार बुनियादी तक गयी है और काफी खतरनाक दरार है । क्या उनके यह जानकारी में बात आयी है ? नहीं तो जानकारी करके कहें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जो रिपोर्ट आयी है उसको देख लें और उसके पश्चात् आवश्यकता हो तो पूछा जा सकता है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं यह पूछना चाहता हूं कि सातवां खम्मा सतह से कितना ऊंचा जा चुका था ? ग्राउन्ड पिलर से कितना ऊंचा ?

श्री दौलतराम सारण : नींव की सतह से ८ से ९ फीट की ऊंचाई तक ऊंचा था ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : तो इसकी चौड़ाई कितनी थी ?

श्री दौलतराम सारण: चौड़ाई तो मुझे इस समय मालूम नहीं है लेकिन मेरी सूचना के अनुसार सतह से ८ से ९ फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुका था और ऊपरी धरातल पर एक मिलीमीटर दरार ३१.३.६४ को अधिकारियों ने देखी । यह दरार ऊपरी सतह पर थी और भीतर न गयी और न नींव तक गयी ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कन्स्ट्रक्शन आप अपने पास से करवा रहे थे या ठेके से ?

श्री दौलतराम सारण : सारा डेम ही ठेके पर बन रहा है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्रश्न यह आता है कि जब कार्य कॉन्ट्रेक्टर के द्वारा कराया जा रहा था तो किसी कारण से क्रेक नजर आयी और उस पर जो खर्चा आया वह सरकार ने क्यों वहन किया ?

श्री दौलतराम सारण : जैसी सूचना दी है कि एक थोड़ी सी क्रेक ऊपर के दो रदों में आयी थी और उसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी नजर नहीं आयी और जो रिपोर्ट सब्मिट की है उसमें यह बताया है कि क्रेक प्रेशर गेज के ठीक नहीं होने से ऊपर के दो रदों तक आयी । इस सम्बन्ध में विस्तार से सूचना है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्रेक होरिजेन्टल था या टेक्निकल ?

श्री अध्यक्ष : ऐसी टेक्निकल बातों में न जाइये ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ठेकेदार बना रहा था, क्रेक किसी कारण से आयी । उसकी गलती थी तो वह अपने पैसे से करवाता उसको ठीक, सरकार को अपने पैसे से उसको दुरुस्त करवाने की क्या जरूरत थी ? ठेके के अन्दर कोई टूट फूट रह जाती है तो ठेकेदार की जिम्मेदारी है, वह अपने पैसे से उसको दुरुस्त करवाये, आपने सरकारी पैसे से उसको दुरुस्त क्यों करवाया ?

Page No 4

प्रश्न संख्या ३४२

श्री अध्यक्ष : श्री मावा ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ३४३

श्री विजयसिंह झाला ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

बॉलबियरिंग फैक्ट्री, जयपुर में हुई हड़ताल

३४४. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बॉलबियरिंग फैक्ट्री जयपुर में २५ जून से ५ जुलाई १९६४ तक टूल डाउन स्ट्राइक का क्या कारण था ?

(२) समझौते की शर्तें क्या हैं ?

(३) हड़ताल के दौरान मजदूरों में आपसी झगड़े में कितने घायल हुए ?

श्रम मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) इस फैक्ट्री में टूल डाउन हड़ताल ता० २६ जून से ४ जुलाई, ६४ तक हुई । इसका मुख्य कारण यह था कि श्रमिकों के आपसी संघर्ष में एक श्रमिक गेंदीलाल के चोट आ गई तथा उस घटना को लेकर श्रमिकों ने यह माँग उठाई कि इस फैक्ट्री के लेबर वेलफेअर ऑफिसर श्री सिन्हा को हटाया जाय ।

(२) श्रमिकों व मालिकों के बीच औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत कोई समझौता नहीं हुआ, अतः शर्तों का प्रश्न नहीं उठता ।

(३) उपरोक्त घटनायें एक मजदूर श्री गेंदीलाल के अतिरिक्त और किसी के घायल होने की सूचना इस विभाग के पास नहीं है ।

श्री केदारनाथ : अगर समझौता नहीं हुआ तो कोई आश्वासन दिया गया था ?

श्री भीखाभाई : आश्वासन, जैसी कि मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार मैनेजमेन्ट और उनके बीच में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने आश्वासन हुआ था । वह आश्वासन यह था कि······"Mr. Sinha, Labour Officer, will not attend duty for a fortnight after calling off the strike."

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : बॉलबियरिंग से मजदूरों ने श्रम विभाग के कहने से हड़ताल वापिस ली थी ?

श्री भीखाभाई : इस बार नहीं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपका इसमें क्या रोल था ? आपने कोई मजदूरों को आश्वासन दिया था ?

श्री भीखाभाई : आपको इस हड़ताल की मालूम नहीं । सिन्हा से सम्बन्धित हड़ताल थी वह दूसरी हड़ताल थी, इससे उसका सम्बन्ध नहीं था ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपका रोल इसमें क्या रहा ?

श्री भीखाभाई : इस हड़ताल में औद्योगिक विवाद नहीं था । मजदूरों के आपस में झगड़ा हुआ मुकदमा दर्ज किया गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने कुछ आश्वासन वगैरह हुआ, इसमें हमारा हाथ नहीं ।

Page No 5

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप यह स्पष्ट बता दीजिए आपने इसमें कोई आश्वासन नहीं दिया ?

श्री भीखाभाई : आश्वासन हमारा हुआ ही नहीं। इस मामले में लेबर विभाग और हमने कोई बातचीत नहीं की। रायसिहनगर से आने वाले माननीय सदस्य जो पूछ रहे हैं उसका सम्बन्ध दूसरी हड़ताल से था और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने तीसरा ही प्रश्न पूछा।

विधि मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): अब तो समझ गए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चाहे यह कौन सी हड़ताल हो लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि यह आपकी जानकारी में है कि यह हड़ताल विथड्रा हुई है उस समय यह आश्वासन दिया गया था कि उस अधिकारी को निकाल दिया जायगा, रखा नहीं जायगा मजदूरों को वापिस लिया जायगा।

श्री भीखाभाई : जो आश्वासन हुआ था वह मेरे पास है उसमें यह बात नहीं थी कि उस अधिकारी को निकाल दिया जायगा, "Mr Sinha, Labour Officer, will not attend duty for a fortnight after calling off the strike."

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : १५ दिन ऑफिस अटेन्ड नहीं करेंगे। यह मालिक ने मन्जूर कर लिया, लेकिन आपने यह देखा कि मालिक ने यह भी किया या नहीं ?

श्री भीखाभाई : जो सूचना है वह सही है। १५ दिन तक वे इधर उधर रहे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उनसे यह शर्त कर ली थी कि पन्द्रह दिन ऑफिस में नहीं रहेंगे श्रम विभाग को यह जानकारी थी, आपकी जिम्मेवारी नहीं थी जब श्रमिक लोग उनको हटाने की मांग कर रहे थे उसमें दखल दें।

श्री भीखाभाई : वैसे removal of Labour Officer does not constitute an industrial dispute.

दूसरी बार दूसरे मामले में हड़ताल हुई उस वक्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स बन सकते थे इस मांग को लेकर स्ट्राइक उचित है या नहीं उसको रेफर कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

जयपुर सिटी बस सर्विस की निर्धारित दरें

३४५. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) [श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) द्वारा पूछा गया] : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जयपुर सिटी बस सर्विस द्वारा ली जाने वाली दरें क्या हैं तथा ये दरें प्रादेशिक यातायात अधिकारी आर० टी० ए० द्वारा कब निश्चित की गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि सिटी सर्विस द्वारा लिये जाने के लिये प्रादेशिक यातायात अधिकारी द्वारा अभी तक कोई भाड़ा निर्धारित नहीं किया गया है ?

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(३) क्या गाड़ियों के आने जाने के निर्दिष्ट समय के विनियमन हेतु कोई नियम है ? यदि हां, तो कृपया एक प्रति उनकी सदन की मेज पर रखें ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) जयपुर सिटी बस सर्विस द्वारा ली जाने वाली दरें ५ नये पैसे प्रति सवारी प्रति मील मय पैसेन्जर टैक्स के हैं।

यह आर. टी. ए. जयपुर ने अपने सर्क्युलेशन ऑर्डर दिनांक २६.२.६५ के द्वारा निश्चित की है।

(२) जी नहीं, यह भाड़ा आर. टी. ए. जयपुर द्वारा निर्धारित किया जा चुका है।

(३) जी हां। यह दिनांक २२.३.६२ के राजपत्र भाग ७ (ख) में प्रकाशित होकर आर. टी. ए. जयपुर द्वारा दिनांक ९,११ नवम्बर, ६४ को विचार किया जाकर प्रस्ताव संख्या १ द्वारा निश्चित किया जा चुका है। संबंधित भाग की प्रतिलिपि संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ द्वारा गुड़, चावल, आदि के आयात एवं वितरण के नियम

३४६. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ द्वारा गुड़, चावल, चीनी केरोसीन ऑइल व सूखे मेवे का आयात एवं वितरण संघ द्वारा मान्य किस नियम या उपनियम के अन्तर्गत किया गया ?

(२) क्या यह सही है कि संघ द्वारा मान्य उपनियमों के अनुसार संघ इस प्रकार का व्यापार नहीं कर सकता है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ द्वारा गुड़, चावल, चीनी, करोसीन, आयल व सूखे मेवे का आयात एवं वितरण उपनियम संख्या ३ (११) के अन्तर्गत किया गया।

(२) जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : यह उपनियम ३ (११) क्या है ?

श्री भीमसिंह : वह इस प्रकार है; कृषि जन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं का उपलब्ध कराने तथा......

श्री भैरोंसिंह : कृषकों के उपयोग की वस्तुओं को उपलब्ध कराने से मतलब है इन्हीं आइटम्स का व्यापार किया गया जो कृषकों तक ही सीमित था ?

श्री भीमसिंह : अध्यक्ष महोदय, जितना

Page No 7

(श्री भीमसिंह)

भी सामान क्रय-विक्रय संघ द्वारा खरीदा गया गुड़, मेवा वगैरह उसके बारे में सदन में कई बार प्रश्न आ चुका है। यह क्रय-विक्रय संघ ने मंगाकर दूसरी सहकारी संस्थाओं को दिया ताकि मेम्बरों को दे सके। जहां के मेवे का ताल्लुक है समितियों को नहीं दिया गया; बरबाद हो रहा था इसलिये बाहर के लोगों को बेचा गया।

श्री भैरोंसिंह : उपनियम यह कहता है कृषकों के सामान को खरीदना, कृषकों की दैनिक वस्तुओं को उपलब्ध कराना। तो क्या यह माना जाय कि जो कुछ व्यापार हुआ कृषकों और सहकारी समिति के सदस्यों तक ही सीमित रहा ?

श्री भीमसिंह : मैंने निवेदन किया कि मेवे का जहां तक ताल्लुक है वह बरबाद हो रहा था और घाटा लग रहा था इसलिये बाहर बेचा गया।

श्री भैरोंसिंह : संघ द्वारा केवल वही सामान खरीदा नहीं गया जिसमें घाटा लगता था उस सामान के अलावा कृषकों और सदस्यों के अलावा किसको वितरण किया गया ?

श्री भीमसिंह : इसकी पूर्ण जानकारी है डिटेल्स मैं बाद में बता सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान क्रय-विक्रय संघ को राज्य सरकार द्वारा निदिष्ट था कि राज्य में कृषिकों के दैनिक उपभोग चीजों को वितरण करना; उस व्यवस्था को त्याग कर इसने बाहर व्यापार किया ?

सहकारी मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : यह ठीक नहीं है। क्रय-विक्रय संघ अपने सदस्यों की जरूरत की चीजों के लिये केवल राजस्थान में उत्पन्न होने वाली ही चीजों का वितरण करे, यह बात नहीं।

श्री भैरोंसिंह : उपनियम में साफ लिखा हुआ है कि इसका विक्रय राजस्थान में होगा।

श्री मथुरादास माथुर : मगर मान लीजिये सोसाइटी अपने मेम्बरों के लिये कपड़ा वितरित करना चाहती है और वह धारीवाल का कपड़ा लाकर वितरण करती है तो वह बेच सकती है। जहां तक वितरण का मामला है वह राजस्थान के बाहर नहीं कर सकता। अगर कोई सोसाइटी मोटर गाड़ी को डील करना चाहे तो इम्पोर्ट लाइसेन्स लेकर मंगा सकता है और राजस्थान में वह वितरण करता है। यह नियम की बात है वितरण राजस्थान तक सीमित रहेगा। प्रोडक्शन का जहां तक ताल्लुक है वह बाहर से भी मंगा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या क्रय-विक्रय संघ के ऑडिटर्स ने इस बात का ऐतराज किया था; गुड़, मेवा, कैरोसिन ऑइल इन चीजों का व्यापार क्रय-विक्रय संघ ने अपने क्षेत्र से बाहर सरकार की अनुमति बगैर किया है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं एक बात निवेदन कर दूं। ऑडिट रिपोर्ट की बात कहते हैं तो वह सेपरेट क्वेश्चन बन जाता है। इस बात को मैं मानता हूं कि क्रय-

(श्री मथुरादास माथुर)

विक्रय संघ अपने सदस्यों तक ही उनकी जरूरतों की चीजों को पूरा करने के लिये वितरण करने का अधिकार है, सोसाइटीज के सदस्य तक ही सीमित रखने का अधिकार है। इसके अलावा काम करना है तो राज्य सरकार स्पेशल आॅर्डर से उनको अधिकार दे सकती है।

श्री भैरोंसिंह : अब तक सरकार से इस प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली गई ?

श्री मथुरादास माथुर : गुड़ के बारे में ली थी।

श्री भैरोंसिंह : केवल आयात की मोनोपोली दी थी, वितरण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ?

श्री मथुरादास माथुर : आयात करने की मोनोपोली दी थी। उसके बाद में कोआॅपरेटिव की मार्फत उसको वितरण करने का अधिकार था उसके बाद भी कलेक्टर के आदेश से इन्डीविज्युअल को भी वितरण करने का अधिकार दिया था।

श्री भैरोंसिंह : क्रय-विक्रय संघ को वितरण करने का अधिकार था वह केवल अपनी समितियों को एवं सदस्यों तक ही सीमित था ?

श्री मथुरादास माथुर : जहां तक गुड़ का मामला है राज्य सरकार से यह आदेश हो चुके थे। गुड़ को उपलब्ध कराने की मोनोपोली दी गई थी कि जिस तरह से कलेक्टर इन्स्ट्रक्शन दे, चाहे इनडिवीज्युअल को देने की या कोआॅपरेटिव सोसाइटीज को देने की, उनको दिया जाय। जहां कोआॅपरेटिव सोसाइटी न हो वहां इनडिवीज्युअल को दिया जा सकता है कलेक्टर की आज्ञा पर जहां तक गुड़ का सवाल था इस उपनियम को अलग रख कर राज्य सरकार ने फैसला किया, देना पड़ेगा। बाकी बातों के लिये मेम्बर्स और सोसाइटीज तक ही होने की चीज है जो कुछ किया गया वह उनको करने का अधिकार है उसके बाहर काम करते हैं तो गलती करते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

आयुर्वेद कॉलेज के प्रिंसिपल तथा प्रोफेसरों के वेतन स्तर तथा वैद्यों को रूरल एलाउन्स

३४७. **वैद्य श्री गोविन्दसहाय** (गंगापुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि आयुर्वेद कॉलेज के प्रिंसिपल तथा प्रोफेसरों का वेतन स्तर संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल तथा प्रोफेसरों से कम है ? यदि हां, तो अब तक इनके वेतन स्तर समान न करने का क्या कारण है तथा कब तक कर दिया जावेगा ?

(२) एलोपेथी के डाक्टरों को मिलने वाले रूरल एलाउन्स की तरह सरकार वैद्यों को भी गांवों में रहने के लिए अतिरिक्त भत्ता क्यों नहीं देती ?

आयुर्वेद मंत्री (श्री भीखाभाई) :

Page No 9

(श्री भीखाभाई)

अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर तो आया नहीं है, लेकिन मैं जबानी ही उत्तर दे सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आज तक कैसे जवाब देते थे ? आज तक जबानी नहीं देते थे क्या ?

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का उत्तर दरअसल वित्त विभाग से दिया जाना चाहिए, क्योंकि पे स्केल, ग्रेडेशन और फिक्सेशन का सवाल है, लेकिन जहां तक आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसर्स का सवाल है उसकी पे में अन्तर है और उसकी चिन्ता कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि किस तरह से समान स्तर पर उनको लाया जाय। वह हम कोशिश कर रहे हैं। जहां तक अन्तर का कारण है वित्त विभाग से बात हुई है उससे ऐसा लगता है कि इनकी क्वालिफिकेशन भिषगाचार्य, भीषक वर्ग आदि है वह उससे अलग होना चाहिए। कुछ पोस्टें वैद्यों की जो थीं वे पहले संस्कृत कॉलेज के बराबर थीं लेकिन अभी नहीं हैं। इसकी तरफ प्रयत्न जारी हैं और वित्त विभाग से प्रयत्न जारी हैं।

श्री भैरोंसिंह : समझ में नहीं आ रहा है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : जुबानी यदि बोलें; लेकिन धीरे धीरे बतायें तो कुछ पल्ले पड़े।

विधि मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : जुबानी में धीरे धीरे नहीं हो सकता है।

श्री भीखाभाई : इसके पार्ट (२) में एलोपेथी के डाक्टरों......

आपको अगर सुनाई नहीं देता है तो कानों को और चौड़ा कर लें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : धीरे बोलने की कोशिश करें।

श्री भैरोंसिंह : Once more number (!)

श्री भीखाभाई : एक का जवाब दे दिया इसके पार्ट नम्बर में यह कहा गया है कि एलोपैथी के डॉक्टरों को मिलने वाले रूरल एलाउन्स की तरह सरकार वैद्यों को भी गांवों में रहने के लिए अतिरिक्त भत्ता क्यों नहीं देती है ? आयुर्वेद औषधालय गांवों के लिए ही खोले जाते हैं और इसलिए यह माना जाता है कि औषधालय गांवों के लिए ही खोले जाते हैं तो वैद्यों को गांवों में रहना पड़ता है और वैद्य लोग ग्रामीण क्षेत्र के ही रहने वाले होते हैं और वहां पर कोई डॉक्टर नहीं रहता है इसलिए वैद्यों को रखा है इसलिए गांवों में जो तनख्वाह मिलती है वही मिलती है। बाकी रूरल एलाउन्स केवल उन डाक्टरों को मिलता है जो प्राइमरी हैल्थ सैन्टर में रहता है और आम तौर पर सबको नहीं मिलता है।

प्राइमरी हैल्थ सैन्टर जो खोले जाते हैं वे गांवों के लिए नहीं खुलते हैं और वैद्य रहते हैं इधर-उधर...

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आपने यह जो कहा कि गांवों में डॉक्टर नहीं होते हैं और प्राइमरी हैल्थ सेन्टर गांवों के लिए नहीं खुलते हैं...

Page No 10

श्री भीखाभाई : यह नहीं, प्राइमरी हैल्थ सैन्टर गांवों में खुलते हैं...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिह नगर) : बताइये कानों को चौड़ा करने से भी क्या फ़ायदा ?

श्री भीखाभाई : इसलिए रूरल एलाउन्स क्योंकि पहले डॉक्टर लोग गांवों के अन्दर नहीं रहा करते थे तो सरकार ने निर्णय लिया इसके बारे में और यह कम्पलसरी कर दिया है कि प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में तीन साल तक काम करना पड़ेगा तब तक वे एफिशियेन्सी बार को क्रास नहीं कर सकते, लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया कि आयुर्वेद खास तौर से गांवों के लिए है और जब यह माना जाता है कि उनको गांवों में रहना पड़ेगा तो एलाउन्स का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सरकार डाक्टरों को शहरों में रखकर और वैद्यों को गांवों में पटक कर भेदभाव की नीति तैयार नहीं कर रही है। जो आयुर्वेद पद्धति आज घर घर में प्रचलित है क्या उसके साथ सरकार जानबूझ कर अन्याय नहीं कर रही है ?

श्री भीखाभाई : जी नहीं, यह सवाल ही नहीं उठता है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, यह नीति से सम्बन्धित प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : क्या सरकार यह निर्णय लेने जा रही है कि शहर के अन्दर जितने भी आयुर्वेदिक औषधालय और कार्यालय जितने भी हैं उन सब को गाँवों में भेज दिया जायेगा और शहरों से समाप्त कर दिया जायेगा ।

मंत्री महोदय को मालूम होगा कि जयपुर स्टेट के टाइम में आयुर्वेद कॉलेज और संस्कृत कॉलेज का दोनों का वेतन-स्तर समान था, किन्तु संस्कृत कॉलेज की वेतन-शृंखला में तीन साल से वृद्धि कर दी है, लेकिन आयुर्वेद कॉलेज की वेतन-शृंखला को नहीं बदला, इसलिए अब कितना अन्तर है ?

श्री भीखाभाई : मैंने यह कहा कि वित्त विभाग से कोशिश की है उसमें अभी तक हम सफल नहीं रहे हैं। एक-दो-तीन बार किया है। हम चाहते हैं कि होना चाहिए। इसलिए तो मैंने कहा था कि वित्त मन्त्री महोदय उसका जवाब देते ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन ।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : यह आपका विभाग है और आप आयुर्वेद के मन्त्री हैं इसलिए आपको कहना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, नम्बर (२) का इन्होंने उत्तर दिया है कि वैद्य लोग गांवों के रहने वाले हैं इसलिए उनको एलाउन्स नहीं दिया गया है और डॉक्टर शहरों के रहने वाले हैं,

Page No 11

(श्री मुकुटविहारीलाल गोयल)

इसलिए उनको एलाउन्स दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, उन्हें गांवों से पकड़ कर लाया गया है तो उनको गांवों और जंगलों में धकेला जाय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

कामां पहाड़ी ड्रेनेज स्कीम

३४८. श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा) [श्री रामकिशन (वैर) के द्वारा पूछा गया] : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि कामां पहाड़ी ड्रेनेज स्कीम में खुदाई में किसानों की खड़ी फसलें भी आ गई हैं ?

(२) इस ड्रेनेज की खुदाई में किसानों की कुल कितनी उपजाऊ भूमि ली गई है ?

(३) क्या उन किसानों को जिनकी भूमि ड्रेनेज में आ गई है, कोई मुआवजा दिया गया है ? यदि हां, तो कितना और किस हिसाब से और यदि नहीं, तो कब तक दे दिया जायेगा ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी नहीं।

(२) लगभग २०० एकड़ उपजाऊ भूमि ड्रेनेज की खुदाई के लिए ली गई है।

(३) जी नहीं। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही अभी तक राजस्व विभाग द्वारा पूरी नहीं की गई है। अवार्ड आने पर शीघ्र ही मुआवजा चुका दिया जावेगा।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : यह कब हुआ है?

श्री दिनेशराय डांगी : यह अक्टूबर के अन्दर मुआवजे की कार्यवाही शुरू की गई है।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : मुआवजे वाली कार्यवाही कब तक शुरू कर दी जायेगी ?

श्री दिनेशराय डांगी : मुआवजे की कार्यवाही अक्टूबर में शुरू की गई है और यह काम शुरू किया है जनवरी में।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

सीनियर आर० पी० एस० अफसरों को सिलेक्शन ग्रेड

३४९. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पुलिस विभाग के सीनियर आर० पी० एस० अफसरों के लिए सिलेक्शन ग्रेड दिये जाने का प्रावधान नहीं रखा गया है ?

(२) यदि हां, तो क्यों तथा क्या सरकार इस विषय में उचित कार्यवाही, करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) जी हां।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(२) ऐसी सिफारिश पुलिस महाधिपति से दिनांक १०–३–६५ को आई है जो सरकार के विचाराधीन है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : यह कब तक विचाराधीन रहेगी ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अभी अभी आई है ।

श्री जुझारसिंह : सिलेक्शन ग्रेड जब दूसरे डिपार्टमेंट में दे दिया गया है तो पुलिस विभाग में नहीं रखने की क्या वजह है ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

उद्योगों के लिए न्यूनतम वेतन बोर्ड की सिफारिश

३५०. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) के द्वारा पूछा गया] : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि चार उद्योगों के लिए न्यूनतम वेतन बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट व सिफारिश सरकार को प्रस्तुत कर दी है ?

(२) यदि हां, तो कब और किस किस उपयोग के सम्बन्ध में ?

(३) सरकार ने इन सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाया है ?

(४) क्या यह सही है कि सरकार इन सिफारिशों को लागू करने के सिद्धान्तों को स्वीकार करने की घोषणा कर चुकी है ?

(५) इन सिफारिशों को लागू करने में इतनी देरी का क्या कारण है ?

श्रम मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां ।

(२) निम्नलिखित व्यवसायों के संबंध में न्यूनतम वेतन बोर्ड ने अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत कीं :—

(१) स्थानीय निकाय–४ मई, १९६४।

(२) पत्थर तोड़ना व रोड़ी बनाना–२ दिसम्बर, १९६४ ।

(३) सड़क तथा भवन निर्माण कार्य–२ दिसम्बर, १९६४ ।

(४) लोक मोटर परिवाहन–४ मई, १९६४ ।

(३) पत्थर तोड़ना तथा रोड़ी बनाना, सड़क तथा भवन-निर्माण कार्य एवम् लोक मोटर परिवहन में न्यूनतम वेतन दिनांक १ मई, १९६५ से लागू करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निर्धारित करने का मामला विचाराधीन है ।

(४) जी नहीं । ये सिफारिशें सलाह के रूप में ही होती हैं ।

Page No 13

(श्री भीखाभाई)

(५) तीन व्यवसायों में न्यूनतम मजदूरी की घोषणा हो चुकी है—शेष में शीघ्र कर दी जावेगी। ऐसे मामलों में आर्थिक पहलू देखना पड़ता है इसलिए कुछ विलम्ब सम्भव है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जब स्वायत्त शासन में भी उसकी रिपोर्ट सब्मिट हो गई है तो उसको लागू करने के सम्बन्ध में क्या हो रहा है ?

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, पहले क्वेश्चन आया था तब भी निवेदन किया था कि शीघ्रातिशीघ्र इसको लागू करने की कोशिश की जायगी।

सरपंच को डेयरी फार्म खोलने के लिए रकम

३५१. श्री मूलचन्द चौधरी (दौसा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सन् १९६३ में श्री राधेश्याम, सरपंच झिगवाड़ा को पंचायत समिति, दौसा से कोई रकम डेयरी फार्म खोलने हेतु मिली थी ? अगर हां, तो यह रकम कितनी थी और क्या डेयरी फार्म खोला जा चुका है ? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है।

पंचायत मंत्री (श्री भीखाभाई) : जी हां, कुल ४५००) रु० दिए गए थे। पशु-प्रजनन फार्म अभी तक नहीं खोला गया है। सारी रकम मय फी नल ब्याज के वसूल की जा रही है।

श्री मूलचन्द चौधरी : ये ४५००) रु० दिए गए थे, लेकिन आज तक कोई डेरी फार्म क्यों नहीं खुला ?

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : ये ४५००) रु० वसूल करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही हुई और वसूल हुए या नहीं ?

श्री भीखाभाई : इसका अन्तिम नोटिस जारी किया गया है ३१-१०-६४ को।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : नोटिस देने के बाद रकम वसूल हुई या नहीं और पी० डी० आर० के लिये लिखा या नहीं ? और यदि लिखा तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री भीखाभाई : नोटिस देने के बाद दूसरी इन्फोर्मेशन नहीं आई, इससे मालूम होता है कि रुपए जमा नहीं हुए।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : नोटिस दिया, उसके बाद आपने वसूली की कार्यवाही नहीं की ? यह रकम दी कब गई थी और वापसी के ऑर्डर कब हुए ?

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया कि नोटिस जारी किया गया, ताकीद के लिए तहसीलदार को लिखा गया है; आगे पी० डी० आर० की कार्यवाही की जायगी।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : आप यह बता दीजिए कि यह रकम दी कब गई थी ?

Page No 14

श्री अध्यक्ष : यह बता दिया। श्री मोहनराज।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेन्ट है। पी० डी० आर० की तहत कार्यवाही करने के बारे में जवाब नहीं दिया है। पी० डी० आर० के तहत कार्यवाही करेंगे या नहीं?

श्री भीखाभाई : रुपये नहीं देंगे तो करेंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : एक प्रश्न है, नोटिस किस ऑथोरिटी ने दिया?

श्री भीखाभाई : विकास अधिकारी द्वारा दिया गया मेरी सूचना के अनुसार। कैटल ब्रीडिंग फार्म नहीं बना निर्धारित समय में इसलिए उसको तीन नोटिस दिए गए, विकास अधिकारी ने दिए।

श्री भैरोंसिंह : विकास अधिकारी ने दिये हैं या तहसीलदार ने?

श्री भीखाभाई : तहसील को तो लिखा गया है बाद में।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि नोटिस विकास अधिकारी ने दिया है?

श्री भीखाभाई : मैं यही कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : आप सोच समझ कर जवाब दीजिये।

श्री भीखाभाई : मेरे पास यही लिखा हुआ है। वसूली तहसीलदार की मार्फत कर रहे हैं। उनको फिर लिखा गया है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : तहसील में कार्यवाही थ्रू कलेक्टर करनी पड़ती है। पी० डी० आर० की कार्यवाही थ्रू कलेक्टर होती है। तीन नोटिस देने के बाद भी जब उसने जवाब नहीं दिया तो पी० डी० आर० की तहत कार्यवाही करने के लिये कलेक्टर को क्यों नहीं लिखा गया?

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, ये जवाब तो दें।

श्री अध्यक्ष : जवाब दिया है कि कोशिश कर रहे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : तीन साल हो गये, रोज सैकड़ों प्रश्न वसूली के बारे में आते हैं।

श्री भीखाभाई : तीन साल नहीं दो साल हुये हैं, नोटिस दिए गए हैं, वसूली की कार्यवाही की जाएगी। और क्या चाहते हैं?

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपका और सरकार का मस्तिष्क साफ होना चाहिये। वसूली में साधारणतः कितना समय लगना चाहिये।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : पी० डी० आर० की तहत कार्यवाही करने के लिये आदेश दे रहे हैं कि नहीं, यह तो आश्वासन दें?

श्री भीखाभाई : कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : कोशिश का इक्वेशन कैसे खत्म होगा। "Koshish" is equal to infinite.

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : सरकार की कोई ऐसी इन्फिनिटी नहीं है। सरकार हमेशा वसूली की कार्यवाही करती है। इसमें भी वसूली होगी। ६ महीनों के अन्दर अन्दर कर लेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : धन्यवाद।

विधि मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : यह स्टेटमेन्ट प्रवोकेशन में इसलिए नहीं माना जायगा।

प्रश्न संख्या ३५२

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, ३५२ नंबर का प्रश्न इम्पोर्टेन्ट है इसका भी उत्तर मिल जाय।

होली-डे होम में दफ्तर

३५३. योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

माउन्ट आबू में होली डे होम में किस किस विभाग के दफ्तर हैं तथा कौन कौन से अधिकारी कितने कितने समय तक वहां दफ्तर चलाते हैं ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : होली डे होम में निम्न अधिकारियों के लिये ऑफिस कम रेस्ट के लिये तीन कमरे सुरक्षित हैं :

१. जिलाधीश, सिरोही।

२. सुपरिन्टेन्डेन्ट, पुलिस।

३. एक्जीक्यूटिव इंजीनियर।

माह मई और जून में इन अधिकारियों का वहां कैम्प रहता है। गत वर्ष निम्न प्रकार ऑफिस का कार्य किया :

१. जिलाधीश	२३ दिन
२. सु० पुलिस	७ दिन
३. ए० इंजीनियर	३५ दिन

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या इन ऑफिसेज में रेडियो बजाने और मदिरापान की स्वच्छन्द आज्ञा है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह प्रश्न माननीय सदस्य ने ५ तारीख को सदन में उठाया था उस वक्त मैंने निवेदन किया था कि ये तीनों ऑफिस लगे हुए थे उनमें मदिरापान नहीं होना चाहिये। यह तो हमको जानकारी है नहीं कि वे मदिरापान वहां करते हैं, किस वक्त किया और एस्टिमेट्स कमेटी को किस तरह डिस्टर्बेन्स हुआ, मैं समझता हूं नहीं होना चाहिये। एस्टीमेट्स कमेटी के दूसरे सदस्यों को पूछा तो उन्होंने

Page No 16

(श्री परसराम मदेरणा)

कहा, हमें तो डिस्टर्बेन्स नजर नहीं आया। क्योंकि ऑफिस साथ है रहने के अलावा और जहां ऑफिस साथ हो तो वहां मदिरापान नहीं करें, इस तरह के इन्सट्रक्शन्स जी० ए० डी० ने कलेक्टर सिरोही को दिये हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : हमने तो मदिरापान करते नहीं देखा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने रेडियो भी नहीं सुना ?

श्री दलपतसिंह (आबू) : माननीय सदस्य कहते हैं कि वहां पर मदिरापान नहीं हुआ तो ऐसे इन्सट्रक्शन्स भेजना मुनासिब होगा या नहीं, यह तो वेग हो गया।

श्री परसराम मदेरणा : कमेटी रूम में रेडियो की वजह से डिस्टर्बेन्स होता है तो बात दूसरी है। ऑफिसर्स के कमरों में रेडियो, या ट्रान्जिस्टर सेट लगे हुए हों तो उस पर एतराज हो सकता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कमरे फिक्स्ड हैं। ऑफिस के कमरे रात को रेजिडेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह प्रश्न उठाते हैं तो ऑफिसर्स कहेंगे कि पास वाले कमरों से हमें डिस्टर्बेन्स होता है।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा (जोधपुर शहर-प्रथम) : लोग बाजार में आकर गंदे गीत गाते हैं। जोधपुर में सोजती गेट पर गन्दे गीत गाते हैं, उनको रोकने के लिये भी कुछ किया है ?

श्री परसराम मदेरणा : मेरे डिपार्टमेन्ट से इसका संबंध नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ये गन्दे गीत होली के दिनों में गाते हैं, इसलिये रोक नहीं लग सकती।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ३५२.

विजिलेंस कमीशन

३५२. **श्री मोहनराज** (बाली) [श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में विजिलेन्स कमीशन कार्यालय की स्थापना कब हुई और उसके चेयरमेन की नियुक्ति किस तारीख को हुई है ?

(२) उक्त कार्यालय की स्थापना होने के बाद अब तक कुल कितने मामले (कम्प्लेंट्स) इसके सामने प्रस्तुत हुए और कितने मामलों में निर्णय लिया गया ? उसमें से कुल कितने सही पाये गये और कितने गलत ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप मंत्री राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) राजकीय सतर्कता आयोग की स्थापना राजाज्ञा दिनांक २६.४.६४ द्वारा हुई और सतर्कता आयुक्त ने १४.७.६४ को अपना पद संभाला।

(२) आयोग की स्थापना से लेकर ३१.१.६५ तक कुल १११८ शिकायतें

Page No 17

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

प्रस्तुत हुई उनमें से ६५६ में आयुक्त ने अपनी सिफारिशें दीं। इन ६५६ मामलों में से ४८७ संबंधित विभागों एवं जन अभियोग निराकरण विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिये गए। ६२ मामले जांच के फलस्वरूप सही नहीं पाये गये व ११० मामलों में आरोप सही पाने पर आयोग ने कानूनन विभागीय कार्यवाही के लिए संबंधित अधिकारियों को अपनी राय दी। जिलेवार सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

मतदाताओं के हाथों पर पहचान के चिन्ह लगाने की प्रणाली

३५४. **श्री अमरसिंह** (टूडू) : क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या हाल ही में हुए पंचायत चुनावों में आम चुनावों की तरह मतदाताओं के हाथ पर वोट डाल आने के पहचान का चिन्ह लगाने की प्रणाली सरकार ने बन्द कर दी थी?

(२) अगर हां, तो क्यों?

विधि मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) जी नहीं। पंचायत चुनावों में मतदाता की अंगुली पर निशान लगाने की प्रणाली पहले भी नहीं थी।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अमरसिंह : जनरल इलेक्शन के लिये जिस तरह से लागू था उसी तरह इसको शुरू कर देते तो सरकार को क्या आपत्ति थी?

श्री मथुरादास माथुर : लोगों की उंगली खराब करने का सरकार का इरादा नही हैं।

श्री अमरसिंह : निशान काम में नहीं लाने के कारण बहुत गड़बड़ियें होती हैं।

श्री मथुरादास माथुर : इसमें गड़बड़ियां होने की गुंजायश नहीं है। गांवों में पंचायत चुनाव होते हैं वहां वार्डों के और गांवों के लोग खड़े रहते हैं, जो गांव के बच्चे बच्चे को पहिचानते हैं, लोगों की सात पीढ़ी तक को पहिचानते हैं, इसलिये दूसरे आकर फॉल्स पर्सोनिफिकेशन कर जायं, इसकी गुंजायश नहीं रहती। हम पंचायतों को कॉम्पलीकेटेड नहीं करना चाहते थे, इसलिये फैसला किया था कि निशान काम में नहीं लिये जायेंगे।

श्री अमरसिंह : जनरल इलेक्शन के समय भी चुनाव गांवों में और वार्डों में होते हैं दूसरी दुनिया में थोड़े ही होते हैं; उसमें आवश्यकता है तो इसमें क्यों नहीं है? घूंघटवाली औरतों ने आकर दो, तीन और चार-चार बार वोट डाले हैं। इस पर भी आप कहते हैं कि आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं है आवश्यकता? इसमें दिक्कत क्या है?

श्री मथुरादास माथुर : दिक्कत इसमें यह है कि जो असेम्बली के लिए चुनाव

Page No 18

(श्री मथुरादास माथुर)

होता है उसमें तो केन्डीडेट कहीं का हो सकता है। गांवों के अन्दर पंचायत राज की जो फिलासफी है और जो स्कीम्स ऑफ थिंग्स है उसको बहुत ज्यादा टेक्निकल कर देंगे—तो दिक्कत होगी। अभी जो गांवों में चुनाव होता है तो केन्डीडेट वहां स्वयं होता है और भी गांव के लोग होते हैं वे जानते हैं कि कौन बहू—बेटी है। अभी तो जो मेरे पास शिकायतें आई हैं उनमें ऐसी शिकायतें नहीं है कि रोंग इम्पर्सोनिफिकेशन बहुत ज्यादा तादाद में हुआ है। ऐसी सूरत में पंचायत के इलेक्शन को हम सिम्पल रखना चाहते हैं। आप जानते हैं कि पहले तो हाथ खड़े करके चुनाव कर लेते थे। अब यह नौबत आ जाय कि अंगुलियों पर निशान लगाये जायं तो उससे परेशानी भी होगी और खर्चा भी बढ़ेगा।

श्री अमरसिंह : आपके वहां पर बहुत से चपरासी रहते हैं उनमें से एक आदमी निशान भी लगा दे तो उसमें क्या दिक्कत आती है? जब हजारों रुपये का आप खर्चा करते हैं तो निशान लगाने की व्यवस्था भी कर दें, उसमें क्या दिक्कत है?

श्री अध्यक्ष : श्री सुराणा !

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): मंत्री महोदय कह रहे हैं कि पंचायतों के इलेक्शन को सिम्पल रखना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हैं। लेकिन पंचायत चुनाव में इम्पर्सोनिफिकेशन हो रहा है उसमें अगर सौ वोटर्स में अगर दो तीन वोट भी गलत पड़ते हैं तो आपके पंचायत चुनाव की जो प्रक्रिया है उस पर बहुत बड़ा असर होता है। जहां दो, तीन, चार वोटर्स हों, वहां, अध्यक्ष महोदय, यह सम्भव नहीं है कि केन्डीडेट सब व्यक्तियों को जानें ही। इसके अलावा जहां दो-तीन गांवों में, एक पंचायत होती है वहां तो यह और भी जरूरी हो जाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि नियमों में संशोधन किया जाय और अंगुलियों पर निशान लगाने की व्यवस्था की जाय। इससे जिस खतरे की सम्भावना रहती है वह खतरा समाप्त हो जायगा। मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में रिटर्निंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर्स से उनकी राय पूछें और सर्क्यूलर लैटर जारी करके उनसे जानकारी ले लें कि इम्पर्सोनिफिकेशन किस हद तक हुआ है। इसके बाद राज्य सरकार नियमों में आवश्यक संशोधन करने का प्रयत्न करे।

प्रश्न संख्या ३५५

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३५६

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री भानुप्रसाद !

ग्राम खोरा बीसल बहुधंधी सहकारी संघ लि.

३५७. श्री भानुप्रसाद कराड़िया (चौमूं) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भानुप्रसाद कराड़िया)

(१) ग्राम खोरा बीसल बहुधंधी सहकारी संघ लि० का रजिस्ट्रेशन कब हुआ और इसका कब कब ऑडिट किया गया ? ऑडिट रिपोर्ट में इस समिति में क्या क्या अनियमिततायें होने का उल्लेख है और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? अब तक यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों ?

(२) यह समिति कब से बन्द पड़ी है ? क्या इसके अवसायन की कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो कब से और अवसायक कौन हैं ?

उप-मंत्री, सहकारिता (श्री भीमसिंह) : (१) ग्राम खोरा बीसल बहुधंधी व क्रय-विक्रय सहकारी संघ लि० का रजिस्ट्रेशन दिनांक २९-३-४६ को हुआ। इसका ऑडिट कब कब किस किस ने किया, सूचना परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। ऑडिट रिपोर्ट में पाई गई अनियमितताएं परिशिष्ट 'अ' के कॉलम तीन में अंकित हैं। ऑडिट रिपोर्ट संघ को आक्षेप-पूर्ति हेतु भेजी जा चुकी है किन्तु पूर्ति अभी नहीं की गई है।

(२) यह समिति १९५४ से बन्द पड़ी है। दिनांक ५-१-६० को अवसायन में लाई जा चुकी है। इस समय सहकार प्रसार अधिकारी, आमेर अवसायक हैं।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भानुप्रसाद कराड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस मसले को जनरल बहस के समय भी रख चुका हूं और मैंने कहा कि जिस पैसे का गबन हुआ है उसको वसूल क्यों नहीं किया जाता है ? जब भवन काम में नहीं आता है तो उसका नीलाम क्यों नहीं कर दिया जाय और उससे पैसा वसूल कर लिया जाय ? इसके अलावा पैसा जिन शेअर होल्डर्स में है वह गायब हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें। उनके अलावा और किसी में पैसा बाकी नहीं है।

श्री भीमसिंह : इसके अवसायन की कार्यवाही जारी है। जो नियमानुसार अवसायन के बाद कार्यवाही होगी वह होगी।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया : १९५४ से यह मामला चल रहा है, दस साल से चल रहा है........

श्री भीमसिंह : १९६० में अवसायन हुआ है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : यह बताने की कृपा करें कि जो रुपया लोगों में ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार बकाया है उसकी वसूली करने के लिए क्या कर रहे हैं ?

श्री भीमसिंह : जिन लोगों में बकाया है उनसे नियमानुसार वसूली करने के लिए कार्यवाही जारी है; जो नोटिस वगैरह नियमानुसार देने की कार्यवाही होनी चाहिए वह की जा रही है।

श्री जयनारायण सालोदिया : नोटिस कब दिये गये हैं ?

Page No 20

श्री भीमसिंह : नोटिस देने की डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं क्योंकि प्रश्न में अलग से नोटिस के बारे में पूछा नहीं गया था । अवसायन के लिए पूछा गया था उसकी तारीख मैंने निवेदन कर दी । इसके बारे में आप पृथक से प्रश्न पूछें तो मैं डिटेल्स निवेदन कर सकता हूं ।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह जानना जरूरी है क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार कई लोगों में दस दस हजार तक की रकम बाकी है । माननीय सदस्य का कहना है कि लोगों के शेयर बकाया हैं; अब यह स्थिति है कि समिति तो डिस्पोज ऑफ हो गई लेकिन उस रुपये का क्या हुआ ?

श्री भीमसिंह : मेरा निवेदन है कि ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार जो जो रुपया जिसमें बाकी निकलता है और जो अनियमिततायें हैं, वह नियमानुसार जिससे वसूल की जानी है उनसे वसूल की जायगी ; जिनसे लिया जाना है उनसे लिया जायगा और जिनको दिया जाना है उनको दिया जायगा ।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया : यह कब तक हो जायगा ?

श्री भीमसिंह : जितनी ताकीद हो सकती है, वह होगी इसमें ।

श्री अध्यक्ष : श्री जोधसिंह चौहान !

वेटेरिनरी हॉस्पीटल व डिस्पेंसरियां, जिला झालावाड़

३५८. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में कुल कितने वेटेरिनरी हॉस्पीटल व डिस्पेंसरियां कहां कहां हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या यह सही है कि दूसरे जिलों की बनिस्पत झालावाड़ में अधिक वेटेरिनरी हॉस्पीटल व डिस्पेंसरियां हैं ? अगर हां, तो क्यों और किस आधार पर ?

(३) क्या यह सही है कि तीसरे चुनाव के पश्चात् झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में ऐसी जगह वेटेरिनरी हॉस्पीटल भी खोले गये जहां पर आबादी भी बहुत कम हैं और सरकारी मकानात भी नहीं है और हमेशा एवरेज केसेज भी बहुत कम आते हैं ?

(४) क्या यह सही है कि चुनाव के पश्चात् झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में बकाणी पंचायत (तहसील झालरापाटन में) नया जानवरों का चिकित्सालय खोला गया, जहां पर आबादी भी बहुत कम हैं और एवरेज केसेज भी कम आते हैं और वहां केवल डिस्पेंसरी में ही काम चल सकता था ?

(५) क्या यह सही है कि झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में अकलेरा तहसील में पुरानी डिस्पेंसरी है जहां की आबादी भी बकाणी से करीबन दुगुनी है और पुरानी हॉस्पीटल बिल्डिंग भी बनी हुई है ?

(६) अकलेरा डिस्पेंसरी को हॉस्पीटल में क्यों नहीं परिवर्तित (कन्वर्ट) किया जा रहा है ?

Page No 21

उप-मंत्री, पशु पालन (श्री भीमसिंह): (१) सूची संलग्न है ।

(२) जी नहीं ।

(३) जी नहीं ।

(४) बकाणी में एक पशु चिकित्सालय खोला गया क्योंकि यह इलाका मध्यप्रदेश से लगता है जहां से जानवरों की आमद-रफ्त हमेशा होती रहती है और जहां पर छूत की बीमारियों की निगाह रखना जरूरी है ।

(५) जी नहीं । पशु आबादी बकाणी से दुगुनी नहीं है ।

(६) इस डिस्पेंसरी को अपग्रेडेड डिस्पेंसरी में सन् जुलाई, १९५८ में परिवर्तित किया जा चुका है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री जोधसिंह चौहान : बकाणी का चिकित्सालय कब खोला गया था ? कौन सी तारीख को खोला गया था ?

श्री भीमसिंह : बकाणी के चिकित्सालय के खोलने की डेट तो ऑफ-हैंड में नहीं बता सकता । लेकिन जैसा मैंने प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया, यह १९६२ के बाद किया गया है ।

श्री जोधसिंह चौहान : १९६२ में किया तो साफ है । मैंने पूछा था कि तीसरे चुनाव के बाद में खोला था तो आप कहते हैं—जी नहीं । और मैंने (४) में जो पूछा था तो उसके लिए कहते हैं—१९६२ के बाद खोला था । इससे साफ है कि यह हॉस्पीटल और डिस्पेंसरीज़ चुनाव के बाद खोली हैं ।

श्री भीमसिंह : नहीं, नहीं । आपने प्रश्न पूछा था उसमें था कि कम आबादी वाले स्थान पर खोला गया । उसके लिए मैंने कहा—जी नहीं । बकाणी की आबादी कम है फिर भी वहां खोला गया । आपने पूछा था कि जहां आबादी कम है और जहां आवश्यकता नहीं है वहां पर क्यों खोला गया है ? तो मैंने कहा था—जी नहीं । आवश्यकता नहीं होते हुए, परिस्थिति नहीं होते हुए १९६२ के बाद कहीं खोला गया है । जहां आवश्यकता है वहां खोला गया है ।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीलाल ।

श्री जोधसिंह चौहान : आप बताइये, बूंदी में कितने हॉस्पीटल हैं । मेरा मतलब यह है कि झालावाड़ में ६ हॉस्पीटल हैं, चार डिस्पेंसरीज हैं । पहले ही वहां काफी थे फिर क्यों खोले गये हैं ? इसके अलावा एक छोटी सी जगह है और किराया ज्यादा देना पड़ता है, फिर भी आपने डिस्पेंसरीज़ खोली हैं ।

श्री भीमसिंह : छोटी जगह नहीं है । ९३ हजार पशुओं की आबादी है ।

श्री गोविन्दसिंह (पिडावा) : अध्यक्ष महोदय, वहां मावली नस्ल की गाय-भैंस होती हैं । राज्य सरकार इस नस्ल को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है क्योंकि यह आस-पास और उदयपुर जिले में सप्लाई की जा रही हैं, इसलिए वहां जो सुविधा होनी चाहिए वह अभी कम है और अभी और

Page No 22

(श्री गोविन्दसिंह)

खोलने चाहिए ताकि और पशु ज्यादा हो सकें ।

प्रश्न संख्या ३५६

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीलाल ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३६०

श्री श्रवणलाल ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री जोधसिंह चौहान ।

जेल के सिपाहियों का वेतन

३६१. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या कारावास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जेल में पहरा देने वाले सिपाही विभाग में कौन सी श्रेणी के कर्मचारी होते हैं ?

(२) उन्हें कुल कितने घंटे प्रति दिन नौकरी देनी होती है ?

(३) उनका वेतन क्या है और क्या उन्हें वर्दी भी दी जाती है ?

(४) क्या सरकार उनका वेतन बढ़ाने तथा ड्यूटी के समय में कमी करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

उप-मंत्री, कारागार (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जेल में पहरा देने वाले सिपाही जिनको वार्डर कहते हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं ।

(२) इन्हें ६ घंटे दिन में और तीन घंटे रात में ड्यूटी देनी पड़ती है ।

(३) वार्डरों का वेतन स्केल ५०-१-७०-२-७६ ई. बी. २-८० है तथा महंगाई भत्ता नियमानुसार मिलता है । उन्हें वर्दी भी दी जाती है ।

(४) ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

श्री जोधसिंह चौहान : क्या यह सही है कि उन्हें नो घंटे से भी ज्यादा ड्यूटी देनी पड़ती है ? सुबह उनसे डेढ़ घंटे ड्रिल कराई जाती है और ६ घंटे की ड्यूटी होती है । इसके अलावा उनको जो ड्रेस मिलती है वह पुलिस के सिपाहियों से भी बहुत कम मिलती है—क्या यह सही है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ड्यूटी, मैंने कहा, नो घंटे देनी पड़ती है । यह बात सही है । इसके अलावा ड्रिल वगैरह होती है वह तो एक्सर्साइज़ है, उनका रिलेक्सेशन होता है । वह ड्यूटी में नहीं है । तीसरे जो वर्दी का प्रश्न है, वर्दी के प्रश्न में जूता है, ड्रेस है और बुशर्ट से उसको कम्पेन्सेट कर देते हैं । यह नौ घंटे की ड्यूटी जेल मेन्युअल पर आधारित है उसी तरह प्रेस्काइब है ।

श्री जोधसिंह चौहान : नौ घंटे की

Page No 23

(श्री जोधसिंह चौहान)

ड्यूटी ली जाती है और डेढ़ घंटा ड्रिल कराई जाती है सुबह ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह ड्रिल तो कसरत है, उससे वे स्टर्डी रहते हैं और ताकत बनी रहती है। वह ड्यूटी नहीं है। वर्दी दी जाती है। वह तैनात रहते हैं बार्डर की ड्यूटी पर इसलिए उनको ड्रिल नहीं कराई जायगी तो ठीक नहीं रहेगा।

श्री जोधसिंह चौहान : आपको उनसे ६ घन्टों से ज्यादा ड्यूटी नहीं लेनी चाहिये। पुलिस में भी परेड होती है मगर वह उनके ड्यूटी के घन्टों के समय होती है। इसलिये आपको उनसे ६ घन्टों से ज्यादा ड्यूटी नहीं लेनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री सांवलियाराम।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न। क्या सरकार उनसे ६ घन्टों की ड्यूटी लेकर ५०) रु० का वेतन देती है, वह उचित समझती है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उनको डियरनेस अलाउन्स भी तो मिलता है।

श्री भैरोंसिंह : इन्क्ल्यूडिंग डियरनेस अलाउन्स।

श्री निरंजननाथ आचार्य : डियरनेस अलाउन्स मिला कर उनको ८०) रु० तक पहुंच जाता है। ड्यूटी ६ घन्टे की होती है, मगर वर्दी आदि मिलती हैं, उससे यह ऐसा अनुचित नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या रिफोर्मेशन कमेटी ने कोई सिफारिश की है इस सम्बन्ध में ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसके सम्बन्ध में कमेटी मौन रही।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३६२

श्री सांवलियाराम।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३६३

श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३६४

श्री गंगासिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

स्थगित प्रश्न

(५. ३. ६५)

श्री रघुनाथ विश्नोई।

तहसील सांचोर के ग्रामों के पीने के पानी की व्यवस्था

१८८. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

(१) क्या यह सच है कि ग्राम बीछा-वाड़ी, हाडेचा, काछेला एवं बगसड़ी, तहसील सांचोर में पीने का मीठा पानी उपलब्ध नहीं है जिससे जन साधारण को इन ग्रामों में पीने के पानी की बड़ी कठिनाइयां हैं ?

(२) क्या यह सच है कि सरकार ग्राम सीलू में बोरिंग द्वारा भूमि के नीचे का पानी निकाल कर पाइप लाइन द्वारा पानी ला कर इन ग्रामों में पीने के पानी की समस्या मिटाना चाहती है ? अगर हां, तो यह योजना कब तक सम्पूर्ण की जाकर पानी उपलब्ध करा दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(३) क्या सरकार बडाग्राम, जेतपुरा नदियों का पानी रोक कर व नहर ला कर इन ग्रामों में पीने का मीठा पानी लोगों को उपलब्ध कराने की योजना बनाने का विचार कर रही है ? अगर हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा; अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

पंचायत मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) पीने के पानी की कठिनाई है ।

(२) वर्तमान में कोई योजना नहीं है ।

(३) ऐसी कोई योजना विकास विभाग में नहीं है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : पहले तो यह स्वास्थ्य विभाग से आपके पास आया और अब आज आप यह कहते हैं कि कोई योजना विकास विभाग में नहीं है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वहां का एरिया ऐसा है जहां लोगों को पीने के लिये मीठा पानी नहीं मिलता और लोगों को १०-१० मील से पीने के लिये पानी लाना पड़ता है । वहां का पानी इतना खारा है कि अगर कोई जानवर, कबूतर आदि पी लेते हैं तो वह भी मर जाता है । इसलिये वह पानी पीने के काम का नहीं और लोगों को पीने के लिये पानी बहुत दूर दूर से लाना पड़ता है । इस लिये मैंने राज्य सरकार से निवेदन किया है कि राज्य सरकार इस संबंध में क्या विचार कर रही है ?

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया कि जहां तक पानी का प्रश्न है; माथुर कमेटी की रिपोर्ट के बाद हमने पंचायत वाइज सर्वे, जैसा उन्होंने कहा था कि पंचायत वाइज सर्वे किया जावे, किया गया । जहां तक पंचायतों का प्रश्न है वहां पर इसके लिये ६२-६३ में खर्चा किया गया और ६३-६४ में भी ५० हजार रुपया मिला है । मगर वहां पर अधिक धन-राशि की आवश्यकता है । मैं समझता हूं कि विकास विभाग की तरह आपकी पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषद् इस मामले को आगे बढ़ावें ताकि इसके लिये ज्यादा राशि उपलब्ध हो सके और कुछ किया जाए ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जिला परिषद् और पंचायत समितियों ने इसको जल-प्रदाय योजना के पास भेजा और वहां से यह आपके पास भेज दिया गया । वहां पर पानी की समस्या बहुत विकट है । मैं कहूंगा कि वहां पर पानी का प्रबन्ध किया जाना जरूरी

[redacted]

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

है। इतना रुपया सेन्टर ने दे रखा है तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा और स्वास्थ्य मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि उनके पास तो बहुत सा फन्ड है, आप किसी में से रुपया निकाल कर इसके लिये क्यों न विचार करें ?

श्री भीखाभाई : इसका जल प्रदाय योजना से संबन्ध है। सर्वे के आंकड़े आवेंगे। हम भी लिखेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । स्थगित प्रश्न । ३१७। श्री रामकिशन ।

नीम का थाना के भूतपूर्व एस० डी० ओ० के विरूद्ध जांच

३१७. श्री रामकिशन (वैर) [श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) द्वारा पूछा गया] : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) नीम का थाना के भूतपूर्व एस. डी. ओ. श्री ताराचन्द के विरूद्ध जो जांच चल रही थी उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

(२) क्या यह वाका है कि श्री ताराचन्द के विरूद्ध ४६७ ता० हि० अथवा ता० हि० की किसी अन्य धारा के तहत फर्जी दस्तावेज बनाने के संबन्ध में मुकदमा चलाने की बात सरकार सोच रही है ?

(३) अब तक मुकदमा दायर न किये जाने के क्या कारण है ?

(४) क्या पुलिस ने कोई प्रारम्भिक जांच की है ? अगर हां, तो उसमें पुलिस के किस अफसर ने कब क्या रिपोर्ट सरकार को प्रेषित की है और सरकार ने उसमें अब तक क्या किया है ?

उप–मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जांच के फलस्वरूप श्री ताराचन्द, भूतपूर्व एस० डी० ओ० नीमका थाना की तीन वेतन वृद्धियां रोकने के आदेश दिनांक २०-२-६५ को प्रसारित कर दिए गए हैं।

(२) जी नहीं । इसकी आवश्यकता नहीं है।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) जी हां,प्रारम्भिक जांच के आधार पर ही विभागीय जांच आयुक्त ने जांच की थी जिस पर श्री ताराचन्द को उक्त सजा दी गई।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने यह तीन इन्क्रीमेंट उनकी रोकी है वह इस आधार पर रोकी है कि उन्होंने डॉक्युमेन्ट फोर्ड किया, वह चार्ज सही पाया गया ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां तक इन्क्वारी कमीशन का प्रश्न है, उसमें जो चार्ज इनके खिलाफ लगाया गया उससे इनको मुक्त किया, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने इनको यह सजा तजवीज की।

Page No 26

श्री मानिकचन्द सुराणा : इन्क्वायरी कमीशन ने जब इनको मुक्त किया तो आपने इनको दोषी माना है और तीन वेतन वृद्धियां रोकी हैं...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इन्क्वायरी कमीशन से तो जो जो चार्जेज इनके खिलाफ थे उनसे ये मुक्त किये गये। लेकिन सरकार ने यह मुनासिब समझा कि चूंकि ये जुडिशियल मेजिस्ट्रेट हैं उसके बारे में कोई शंका हुई तो वह भी उचित नहीं है। इसमें शंका उनको हुई है इसलिये हमने तीन वेतन वृद्धि रोक दी।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना) : इसका मतलब यह लिया जावे कि सरकार स्वयं ही इन्क्वायरी से संतुष्ट नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इन्क्वायरी कमेटी ने तो उनको गिल्टी करार नहीं दिया। मगर सरकार ने उसको मुक्त करने के बावजूद भी यह सजा दी है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने डिपार्टमेंट इन्क्वायरी को यह मामला सुपुर्द किया, आपने एन्टीकरप्शन से प्राइमाफेसी इन्क्वयारी कराई और आपने मामला कोर्ट में क्यों नहीं दिया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : प्रारंभ में यह डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी को दिया गया। लेकिन जब इनको गिल्टी नहीं पाया गया तो इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्ज का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(१२ मध्यान्ह)

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन का प्रश्न इसलिये पैदा होता है कि आपने मामला डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी में दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि जब प्राइमा फेसी केस में एन्टीकरप्शन विभाग ने एस. डी. एम. के विरुद्ध फोर्जरी के चार्ज को सिद्ध पाया तो इसके क्रिमिनल नेचर के चार्ज होते हुए भी आपने कोर्ट में क्यों नहीं दिया, डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी में क्यों दिया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एन्टीकरप्शन विभाग ने इसकी कोई इन्क्वायरी नहीं की।

श्री मानिकचन्द सुराणा : एन्टीकरप्शन ने की है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सी. आई. डी. ने की है। और चूंकि सी. आई. डी. की एन्क्वायरी डिटेल्ड होती नहीं इसलिये डिपार्टमेंट को सौंपा गया और सी. आई. डी. में प्राइमाफेसी होने की वजह से ही सस्पेण्ड किया और इस वजह से इन्क्वायरी डिपार्टमेन्टल कमिश्नर से कराने की जरूरत पड़ी और यही फैसला किया। सस्पेण्ड करके यह इन्क्वायरी शुरू कर दी और उसमें वह मुक्त हो गया। बावजूद मुक्त होने के भी उसको सजा दे दी गई। अब सजा देने के बाद कौन सी चीज रह जाती है ? आप भी जानते हैं कि डिपार्टमेन्ट में से जब वे बरी हो गए तो उनके ऊपर अल्टीरियर मोटिव मैलाफाइडी तो साबित हुआ नहीं जो कि

Page No 27

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

क्रिमिनल केस के लिये जरूरी है। तो फिर इसे कोर्ट में भेजने से मतलब क्या निकलता ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यह सही है कि डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी कमिश्नर के पास एक श्री सूरजनारायण ने रजिस्टर्ड ए. डी. से दर्खास्त दी और निवेदन किया था कि मुझे भी इस जांच में गवाही में बुलाया जाय और उसे बुलाया नहीं गया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इतनी डिटेल कि कौन गवाह है, किसने कहा, क्या कहा, किसने दर्खास्त दी, इसकी सारी जानकारी इस केस की इस वक्त मेरा पास होना स्वाभाविक भी नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस केस में रजिस्टर्ड लेटर दिया गया कि हमें गवाही में बुलाया जाय, जिसकी शिकायत के आधार पर विधान सभा में भी प्रश्न उठा था और मुख्यमंत्रीजी ने कहा था कि सी. आई. डी. से जांच करावेंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सी. आई. डी. खुद ही कहती हो कि डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी करावे तो क्या करें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सरकार यह करे कि अपना दिमाग एप्लाई करे और स्वयं तय करे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दिमाग एप्लाई किया तभी तो यह किया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने अपना दिमाग गलत ढंग से एप्लाई किया। मजिस्ट्रेट का मामला हो और आप डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी कराना चाहें और उस केस में क्रिमिनल टाइप का केस हो। फोर्जरी का मामला हो, प्राइमा फेसी केस सही मालूम होता हो।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो आपका कहना है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या सरकार ने नियम बना रक्खे हैं कि कौनसा मैटर कितना सीरियस होगा तभी कोर्ट में ले जाया जावेगा, या उससे कम सीरियस होगा वह इन्क्वायरी में जावेगा, इन्क्वायरी कमीशन को दिया जावेगा और कितना सीरियस और क्रिमिनल होगा तो उसे सी. आई. डी. जांच करेगी। क्या इस प्रकार के आपके कोई नियम बने हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : वह जो डॉक्यूमेन्ट डिस्प्यूटेड है वह जिनुआइन माना गया है या फोर्ज्ड माना गया है आपकी डिपार्टमेन्टल इन्क्वावरी के अनुसार।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अलग प्रश्न है। जो चार्ज शीट थी उसमें यह था कि जो दस्तावेज स्टेटमेंट था यह पहले वाले स्टेटमेंट को रीप्लेस करनेके लिये किसी अल्टीरियर मोटिव से बनाया गया है, यह चार्ज था। और इस चार्ज को कमीशन ने नहीं माना और नहीं मानने के कारण इस चार्ज से बरी किया गया। पर चूंकि जुडीशियल

Page No 28

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

मजिस्ट्रेट थे और उनको बियोण्ड रीज़नेबल डाउट रखना चाहिये, किसी के दिमाग में शक की गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिये। इसके लिये हमने तीन इन्क्रीमेन्ट्स रोक दिये उनके।

श्री भैरोंसिंह : मैंने तो दूसरी बात पूछी है। मैंने तो क्लीयर कट यह पूछा है कि जो डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेन्ट है वह जिनुआइन माना गया है या फर्जी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : The forgery was not proved.

श्री भैरोंसिंह : यहां तो डॉक्यूमेन्ट का प्रश्न है, फोर्जरी का प्रश्न नहीं है। फोर्जरी किसी ने की हो। डॉक्यूमेन्ट की ग्रेविटी क्या है ? डॉक्यूमेन्ट्स की जिनुआइननेस का प्रश्न है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, यह मामला बड़ा गम्भीर है। This case was very grave and serious.

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह सवाल यहां पर भी आया था और जुडिशियल मजिस्ट्रेट से यह सम्बन्धित था। डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी कमीशन की नियुक्ति ही उस गवाही के सूचना देने पर हुई थी और उसी की गवाही नहीं ली गई और मन्त्रीजी कहते हैं कि गवाही ली या नहीं ली उनको मालूम नहीं। तो ऐसी स्थिति में इन्क्वायरी कमीशन का यह जांच का सारा प्रोसीजर ही अल्ट्रा वायर्स हो जाता है। कानून का सामान्य सिद्धान्त है कि जिसकी शिकायत के आधार पर मामला खड़ा हुआ हो उसकी गवाही अवश्य ली जाय। पर इसमें कानून के उस सामान्य सिद्धान्त का भी हनन हुआ है। अगर आपका कमिश्नर इस तरह से एक एस. डी. एम. को प्रोटेक्ट करे और उस कमिश्नर को यह सरकार प्रोटेक्ट करे तो अध्यक्ष महोदय, राजस्थान से न्याय नाम की चीज उठ जावेगी। और साधारण अदालतों से न्याय नहीं मिल पावेगा। यह बहुत गम्भीर प्रश्न है। अगर इसके सम्बन्ध में पूरी सूचनायें सरकार के पास आज न हों तो अध्यक्ष महोदय, इसको स्थगित किया जाकर सारी सूचनाएं और मंगाई जावें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : स्थगित करने का प्रश्न नहीं पैदा होता। कमिश्नर ने इन्क्वायरी की।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने एस. डी. एम. को सेफ गार्ड करने के लिए इन्क्वायरी कमीशन के पास दी है और उसे आप क्रिमिनल कोर्ट में पेश नहीं करना चाहते थे। मुख्यमन्त्रीजी पर मैं यह चार्ज लगाना चाहता हूं कि आपके रिश्तेदारों के पास पड़े रहते थे ये एस. डी. एम. और उनके कहने से आपने यह सब किया।

मुख्यमंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : मैं इस पर सख्त ऐतराज करता हूं प्रोटेस्ट के तौर पर।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कहता हूं।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

डिपार्टमेन्ट बरी कर दे और उसे बरी करने के बाद भी आप यह कहें कि हमने तीन ग्रेड एन्क्रीमेन्ट्स रोक दिये। यह आपने अपनी सफाई बताने के लिए किया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप यह चाहते हैं कि आप कहें वह सजा दे दी जावे ?

श्री मानिनचन्द सुराणा : इन्क्वायरी कमीशन मुक्त कर दे और आप सजा दे दो।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह तो अच्छा तरीका है कि पहले मुख्यमंत्रीजी डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी कराए, वह उसे मुक्त कर दे और फिर खुद तीन इन्क्रीमेन्ट रोकने की सजा दे दें। बड़ा अच्छा तरीका है यह आपका !

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय हम सरकार के इस रवैया के खिलाफ पूरा प्रोटेस्ट करते हैं और हम सरकार के इस तरह के रवैये के खिलाफ प्रोटेस्ट के तौर पर सदन से वाक आउट करना चाहते हैं। सारे जांच के इस प्रोसीजर को अनसेटिस्फैक्टरी मानते हैं। मुख्यमंत्रीजी सबको शील्ड करना चाहते हैं और इसलिये हम वाक-आउट करते हैं।

(बहिर्गमन)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट जिस केस में उसको मिल सकती थी, आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, ४६७ का केस है और उस मजिस्ट्रेट को आपने तीन इन्क्रीमेन्ट रोक कर वरी कर दिया, उसको प्रोटेक्ट करने के लिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, सदन में यह बात कही गई थी कि जो डॉक्यूमेन्ट्स हैं वे ग्रेव टाइप के हैं, सीरियस टाइप के हैं और उस ग्रेव मामले के लिये जो प्रोसीजर एडॉप्ट किया गया है वह कतई सेटिस्फेक्टरी नहीं है। उसे शील्ड करने की कोशिश की गई है। इसमें कोई शुबहा और शक नहीं रह गया है। मुख्यमंत्रीजी, बचाने के लिए अगर यह नहीं किया गया है तो दुबारा जांच कराएं और यह देखें कि वाकई ये सारी चीजें अनसेटिस्फैक्टरी हैं या नहीं। विटनेसेज प्रोड्यूस करने की कोशिश की गई उस रजिस्टर्ड नोटिस को नहीं लिया गया। इसलिये यह प्रोसीजर ठीक नहीं है। आप इसकी दुबारा इन्क्वायरी करें, आपका पब्लिक इन्क्वायरी कमीशन खुद इसमें इन्वोल्व्ड हो गया है। कोई कारण नहीं था कि जो विटनेस देना चाहते थे उनकी विटनेस नहीं ली जाती। मैं मुख्यमंत्रीजी से कहूंगा कि वे उस इन्क्वायरी कमीशन की भी जांच करें।

(बहिर्गमन)

विधि मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : हांडाजी, जाइये।

राइफल ट्रेनिंग सेन्टर

३६४. **श्री गंगासिंह** (जायल) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री गंगासिंह)

(१) सरकार ने राज्य में आज तक कितने राइफल ट्रेनिंग सेन्टर्स खोले और उनकी क्या प्रगति है ?

(२) उक्त ट्रेनिंग सेन्टर्स में कितने व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी गई तथा उक्त ट्रेनीज़ में से कितनी औरतें हैं और कितने पुरुष हैं ?

(३) क्या सरकार उक्त ट्रेनीज़ को रिफ्रेशर्स कोर्स देने की सोच रही है अगर हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? और नहीं तो क्यों ?

उप-मन्त्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) सरकार द्वारा आज तक १६३ राइफल ट्रेनिंग सेन्टर खोले गए हैं। जहां उचित संख्या में प्रशिक्षणार्थी उपलब्ध होने पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

(२) दिनांक १५-२-६५ तक कुल २३३७८ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया जिनमें से २२,३०२ पुरुष हैं और १,०७६ स्त्रियां थीं।

(३) जी हां, इस सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट्स को उचित आदेश दे दिये गये हैं।

श्री गंगासिंह : तब तक रिफ्रेशर्स कोर्स हुए हैं या नहीं हुए हैं ?

श्री निरंजनाथ आचार्य : हुए हैं न।

श्री गंगासिंह : कहां कहां ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अलग-अलग जगहों पर डिस्ट्रिक्ट्स में।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

जयसमन्द झील के निकट की गेम सेन्चुरी

३४२. **श्री माना** (सलूम्बर) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जयसमन्द झील जिला उदयपुर, के समीप वन विभाग द्वारा गेम सेन्चुरी का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर कितना खर्चा किया है एवं इसकी निगरानी व विकास के लिए प्रति वर्ष का बजट कितना रखा गया है ?

(२) क्या यह भी सही है कि इस सेंचुरी में अच्छे वृक्षों की नाजायज कटाई वन विभाग की लापरवाही के कारण हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करके उचित कार्यवाही करेगी।

(३) इस सेंचुरी में कितने जानवर होने का अनुमान है ? क्या यह सही है कि वन विभाग की लापरवाही के कारण काफी जानवर मारे गये हैं ? यहि हां, तो कितने ?

(४) क्या यह सही है कि इस गेम सेंचुरी को हटाने से इसकी हजारों एकड़ जमीन जयसमन्द नहर से सिंचित हो सकती है और भूमिहीन आदिवासियों को दी जाकर राज्य की उपज में वृद्धि की जा सकती है ?

(श्री वन मन्त्री)

उत्तर

(१) जी हां। जयसमन्द के समीप राजस्थान सरकार के आदेश सं० एफ ३९ (२) फोर। ५६। दिनांक ७-११-५५ द्वारा जयसमन्द गेम सेंचुरी स्थापित की गई है। इस पर प्रतिवर्ष खर्च निम्न प्रकार है।

१९६१-६२	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५
४१९४९)	२४७३०)	३०५३०)	३६५२०)

(२) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(३) इस सेन्चुरी में मुख्य २ जंगली जानवर जो होने का अनुमान है वे निम्न प्रकार हैं:—

क्र. सं.	नाम जानवर	वर्ष १९६४
१.	अदबेसरा	१४
२.	रीछ	१२
३.	चिकारा	३६०
४.	सांभर	५१
५.	चीतल	२४०
६.	सूअर	४६०

यह सही नहीं है कि वन विभाग की लापरवाही से जानवर मारे गए हैं।

(४) राज्य सरकार का सेन्चुरी को हटाने का विचार नहीं हैं। इस कारण प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य के मामलों में गिरफ्तार व्यापारियों के मामले

३४३. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य में खाद्य की समस्या को लेकर आज दिन तक कुल कितने व्यापारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा अधिकतर उनके विरुद्ध क्या शिकायतें थीं ?

(२) गिरफ्तार व्यापारियों से कितना अन्न सरकार ने अपने अधिकार में लिया ? उस अनाज का क्या किया गया ?

उत्तर

(१) राज्य में खाद्य समस्या को लेकर २८-२-६५ तक कुल ८७८ व्यक्ति पकड़े गये। इनमें से अधिकांश के विरुद्ध खाद्यान्न के अनधिकृत आयात-निर्यात की शिकायतें थीं।

(२) इनसे लगभग १०८६५१ क्विन्टल ८० किलो २० ग्राम खाद्यान्न प्राप्त किया गया। यह खाद्यान्न न्यायालयों में जमा करा दिया गया।

कृषि फार्म

३४५. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में कुल कितने सरकारी एग्रीकल्चरल फार्म्स हैं और किन किन जिलों में कहां कहां हैं ?

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

(२) प्रत्येक फार्म की सालाना आमदनी व खर्च कितना है व कुल उत्पादन क्या और किस प्रकार का है ?

(३) क्या उक्त फार्मों में किसी को प्रशिक्षण भी दिया जाता है ? यदि हां, तो किनको और किस प्रकार ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

गंगानगर शुगर मिल्स और डिस्टिलरी में शक्कर तथा स्प्रिट का उत्पादन

३५६. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम) : क्या राजकीय उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गंगानगर शुगर मिल्स और डिस्टिलरी में वर्ष ६२-६३ और ६३-६४ में शक्कर तथा स्प्रिट का कितना उत्पादन हुआ ?

(२) उक्त वर्षों में घाटा रहा या मुनाफा ?

(३) उक्त वर्षों में उत्पादन और मुनाफे का तुलनात्मक ब्यौरा दें।

उत्तर

१. गंगानगर शुगर मिल्स और डिसटिलरी में वर्ष १९६२—६३ व १९६३—६४ में शक्कर तथा रेक्टीफाइड स्प्रिट के उत्पादन के आकडे निम्न प्रकार हैं : ।

	१९६२—६३	१९६२—६४
शक्कर	६३३२८ क्विन्टल	३६०७३ क्विन्टल
रेक्टीफाईड स्प्रीट	२.८०.६०० बल्क गैलन	४.४८.५८८ बल्क गैलन

२. वर्ष ६२–६३ में इस उद्योग में आय कर सम्बन्धी पुरानी मांगों की राशि की व्यवस्था करने के बाद कुल १.२२.६८८ रुपयों को घाटा रहा। वर्ष ६३–६४ का आंकड़ा १—४—६५ के बाद ही दिया जा सकेगा क्योंकि इस वर्ष के आंकडे ३१—३—६५ को शेयर होल्डर्स की मीटिंग में अन्तिम रूप से स्वीकार किये जावेंगे।

३. प्रश्न २ का पूर्ण उत्तर तैयार होने के पहले इस प्रश्न का उत्तर देना सम्भव नही हैं।

कटरा नदबई में औषधालय

३५६. श्री नत्थीलाल (नदबई) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

औषधालय के लिये कटरा नदबई में उपयुक्त भवन होने पर भी औषधालय अब तक क्यों नहीं खोला गया है ? तथा अब कब तक खोल दिया जावेगा ?

उत्तर

आयुर्वेदिक औषधालय यथासम्भव जिला परिषदों की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा खोले जाते है। कटरा गांव

Page No 33

(श्री आयुर्वेद मन्त्री)

तहसील नदबई में औषधालय खोलने को जिला परिषद् भरतपुर द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई इस कारण वहां औषधालय नहीं खोला जा सका है। विशेष यहाँ पर डिस्पेन्सरी मौजूद है तथा जहां डिस्पेन्सरी होती है वहां सामान्यत: औषधालय नहीं खोला जाता।

जिला सवाई माधोपुर के सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग का कार्य-क्षेत्र

३६०. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-मु.) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि जिला सवाई माधोपुर के लिए सरकारी विभाग के दो सहायक रजिस्ट्रार हैं और दोनों का कार्यक्षेत्र अलग अलग है ?

(२) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त दो सहायक रजिस्ट्रारों में से एक महुआ, करौली व हिण्डौन के कार्य की देख रेख करता है और उसका ऑफिस सवाई माधोपुर में ही है ?

(३) क्या यह सच है कि सवाई माधोपुर उस जिले में एक कोने में पड़ता है ?

(४) यदि हां, तो क्या सरकार एक सहायक रजिस्ट्रार के ऑफिस को महुआ, हिण्डौन व करौली के कार्य की देख-रेख के लिए हिण्डोन लाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) यह सच है कि जिला सवाई माधोपुर के लिए सहकारी विभाग के दो सहायक रजिस्ट्रार हैं और दोनों का कार्य क्षेत्र प्रत्येक दशा में अलग अलग है। केवल एक सहायक रजिस्ट्रार को कार्यालय-प्रधान (Head of office) के अधिकार हैं तथा दूसरे को नहीं।

(२) यह सच है कि दोनों सहायक रजिस्ट्रारों का हैडक्वार्टर सवाई-माधोपुर है। परन्तु यह सच नहीं है कि एक सहायक रजिस्ट्रार के कार्यक्षेत्र में महुआ, करौली और हिण्डौन है बल्कि दोनों सहायक रजिस्ट्रार के कार्यालय का बंटवारा निम्न प्रकार है:—

सहायक रजिस्ट्रार	अति. सहायक रजि.
हिण्डौन	करौली
महुआ	गंगापुर
सवाईमाधोपुर	नादोती
टोडाभीम	बोंली
	खण्डार
	सपोटरा

(३) आंशिक रूप से सत्य है।

(४) इस सम्बन्ध में सम्बन्धित उप रजिस्ट्रार की रिपोर्ट मांगी गई है जिसकी प्रतीक्षा है।

किसानों द्वारा खानों से निजी उपयोग में लिए जाने वाले पत्थर पर रॉयल्टी

३६२. श्री सांवलियाराम (रूपवास--सु.) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या नियमानुसार किसानों को वगैर रॉयल्टी दिए अपने निजी उपयोग के वास्ते खान से पत्थर लाने की छूट है।

(२) यदि हां, तो क्या यह सही है कि बांसी पहाड़पुर, तहसील रूपवास के अन्दर पत्थर लेने पर किसानों से रॉयल्टी ली जाती है ? अगर हां, तो किस अधिकारी द्वारा और कब से ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारी द्वारा रॉयल्टी लेकर किसान को रसीद नहीं दी जाती ?

उत्तर

१. जी हां। किसान लोगों को चुनाई का पत्थर अपने निजी उपयोग के लिए खानों से लाने की छूट है। लेकिन पटाव का पत्थर अर्थात् पट्टी-कातले लाने की छूट नहीं है।

२. जी नहीं। वस्तुस्थिति यह है कि बांसी पहाड़पुर तहसील रूपवास में पट्टी कातलों की खानें अधिक हैं जो अधिकांश में ठेके पर दी हुई हैं। इन्हें ठेकेदार लोग खान से निकाल कर कीमतन वेचते हैं जिसकी रसीद व बिल दे देते हैं।

३. ऐसा वे हमेशा से करते चले आ रहे हैं। चुनाई के पत्थर से रॉयल्टी नहीं ली जाती है और न ऐसा करने का किसी को अधिकार ही है।

अलवर जिले की ऋणदात्री सहकारी समितियां

३६३. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

अलवर जिले में कितनी ऋणदात्री सहकारी समितियां हैं ? सन् १९६२-६३ में उनमें से किन किन को कितना ऋण मिला और किन किन को नहीं मिला और न मिलने का क्या कारण था ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

(१२.१० म. प.)

देशी शराब पर आबकारी कर बढ़ाने विषयक स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्षजी : माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंह ने एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है। उनका कहना है कि इस साल आबकारी महकमे के द्वारा जैसी व्यवस्था की गई है उसके अनुसार सरकार को काफी घाटा होगा क्योंकि पिछले वर्षों में जो एग्जिस्टिंग स्टॉक था उस पर भी टैक्स लिया जाता था और स्टॉक का वैरिफिकेशन होता था। उस तरह की व्यवस्था आज नहीं की गई है। इसलिये उनके कथनानुसार सरकार को काफी नुकसान होगा। इस प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि वित्त-

(श्री अध्यक्ष)

मन्त्री महोदय को भेज दी गई है और मैं आशा करता हूं कि अपने भाषण में वे इसका स्पष्टीकरण करेंगे ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : थोड़ी यदि आज्ञा हो तो एक्सप्लेन कर दूं ।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : समझ गया ।

श्री भैरोंसिंह : समझ का ही तो घाटा है । और उससे सरकार को घाटा भुगतना पड़ता है ।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : समझ के घाटे में पैसे का घाटा थोड़े होता है ।

श्री भैरोंसिंह : छः तारीख को वित्तमंत्री महोदय ने बजट भाषण दिया जिसमें ५५ लाख के टैक्सेज एक्साइज ड्यूटी के नाम पर लागू किये थे और उसी दिन सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकला । उस नोटिफिकेशन को तुरन्त प्रभावशाली रखा जाकर जहां जहां जिस प्रकार का स्टॉक पड़ा था उसकी रेट में वृद्धि करनी थी और उस नोटिफिकेशन को उसी तारीख से लागू किया ।

इस विधान सभा में एक बार फॉरिन लिकर पर राजस्थान सरकार ने टैक्स में वृद्धि की घोषणा की थी और उस समय राज्य सरकार ने एक प्रकार का कोई स्टॉक नहीं लिया ।

मैंने इस प्रकार का एक स्थगन-प्रस्ताव बजट लीकेज के मामले को लेकर प्रस्तुत किया था । उस समय वित्त मन्त्री महोदय ने कहा कि स्टॉक लेने में गलती हुई । नहीं लिया, लेकिन उसके पीछे कोई मोटिव खराब नहीं था ।

उस समय तक स्टॉक के लिये लिया जाना जरूरी था और गत पिछले साल अक्टूबर के महीने में राजस्थान सरकार ने एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ाई अक्टूबर या सितम्बर में, किसी महीने में बढ़ाई । जिस समय ड्यूटी बढ़ाई थी तो जो भी एग्ज़ीस्टिंग स्टॉक था तो उस पर टैक्स लगा और अक्टूबर महीने तक जिस जिस समय एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ाई तो न केवल ऑर्डर इश्यू करते समय टैक्स वसूल किया, बल्कि उस समय पर जो कॉन्ट्राक्टर गारन्टी होल्डर के पास स्टॉक था, चैक किया गया और चैकिंग करने के बाद जो स्टॉक मिला उस पर बढ़ी हुई दर पर एक्साइज़ ड्यूटी वसूल की गई । पर इस बार यह नहीं किया गया । इसका परिणाम क्या निकला ? वित्त मन्त्री शाम तक फिगर्स इसके कलेक्ट कर लेंगे । इस समय बजट भाषण से पहले जो गारन्टी होल्डर थे और जिनको घाटा हो रहा था, घाटा होने की सम्भावना थी उन्होंने हैवी स्टॉक मेन्टेन किये और इस पर्पज़ से मैन्टेन किये कि आगे चलकर एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ने वाली है । भगवान् जाने अब यह कि उनको इसका पता कैसे चला कि एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ने वाली है; तो इस बात को दिमाग में रखकर उन्होंने पिछले दिनों में

(श्री भैरोंसिंह)

हैवी स्टॉक्स किये। लाखों के स्टॉक निर्माण किये और जब टैक्स बढ़े तो एग्ज़िस्टिंग स्टॉक पर वह टैक्स नहीं लगा। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार की इस नीति के कारण उन लोगों ने अनुचित मुनाफा उठाया और सरकार की वित्तीय स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। पर गारन्टी सिस्टम के कारण प्राइस का कन्ट्रोल नहीं है इसलिये बढ़ी हुई दरों के अनुसार जितने भी गारन्टी होल्डर्स हैं वे टैक्स वसूल करेंगे तो कन्ज्यूमर पर तो टैक्स लग गया। पर वह उनके द्वारा वसूल किया गया टैक्स राज्य सरकार के खजाने में नहीं आया, गारन्टी होल्डर को फायदा हो गया। इस प्रकार की कोई मंशा सरकार की नहीं थी।

इसी प्रश्न को लेकर एक प्रश्न है। ये जो गारन्टी होल्डर्स हैं ये सरकार के एजेन्ट हैं, ये कोई कॉन्ट्राक्टर नहीं हैं, गारन्टी लेते हैं कि अमुक मात्रा में हम शराब बेचेंगे, इनके पास सरकार की शराब का स्टॉक रहता है, उस स्टॉक को बेचते हैं, वे डीलर की संज्ञा में नहीं आ सकते, ये लोग सरकार की एक एजेंसी हैं जिनके मार्फत शराब बिकता है। सरकार के वेअर हाउस से इन एजेन्ट्स के पास शराब का स्टॉक चला गया, वह कन्ज्यूमर्स को दिया नहीं, उस पर टैक्स नहीं लगा, सरकार को उस पर टैक्स नहीं मिला और गारन्टी होल्डर्स कन्ज्यूमर्स से वह वसूल करेंगे, इस तरह से कन्ज्यूमर्स को लाखों का नुकसान होगा। यदि इस सबकी छानबीन की जाय तो इस बात के प्रमाण मिल सकते हैं कि इन गारन्टी होल्डर्स को पहले से यह पता था कि सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने वाली है और सरकार जो टैक्स लगाने जा रही है उससे बेचने के लिये इन गारन्टी होल्डर्स ने शराब के काफी हैवी स्टॉक्स अपने पास किये।

इसी प्रश्न को लेकर मैंने एड्जोर्नमेन्ट मोशन मूव किया है। मन्त्री महोदय इन सब बातों का जवाब दें और यह भी बतायें कि इन लोगों के पास शराब का कितना स्टॉक था, इन तथ्यों के साथ जवाब दें तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को बढ़ाने का प्रस्ताव।

चम्बल प्रोजेक्ट विषयक स्थगन-प्रस्ताव

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष, मैंने एड्जोर्नमेन्ट मोशन दिया था कि कोटा में चम्बल प्रोजेक्ट की दक्खिनी नहर है उसको बन्द करने की १५–३–६५ से घोषणा की है। वह बन्द हो जाती है तो हजारों बीघा जमीन, जिसमें बाग-बगीचे, गन्ने की खेती अगर दूसरी खेती है वह बर्बाद हो जाती है। तो कृषि मंत्री महोदय ने कल भी कुछ नहीं कहा। १५-३-६५ कल परसों से शुरू होगी और यह सदन भी कई दिन बन्द रहेगा, ऐसी दशा में १५ दिन भी यदि नहर बन्द हो जाती है तो कोटा की दक्खिनी नहर के किनारे बाग, बाड़ियां और गन्ने की खेती बर्बाद हो जायगी। नहर १५ दिन लगातार बन्द रहेगी, तीन बार बन्द रहेगी, ३ तारीखें हैं एक तो १५-३-६५ से २९-३-६५ तक, दूसरे ७-४-६५ से २१-४-६५ तक और तीसरी

(श्री मुरलीधर व्यास)

तारीख है ३०-४-६५ से १४-५-६५ तक । इस तरह से लगातार पन्द्रह २ दिन तक तीन बार बन्द रहेगी, सारी फसल बर्बाद हो जायगी, उत्पादन रुक जायगा, किसानों को बड़ा नुकसान होगा गर्मियों के दिनों में इस तरह पन्द्रह-पन्द्रह दिन तक नहर बन्द रहेगी तो फसल बर्बाद हो जायगी । इसलिए मैं चाहता हूँ कि कृषि मंत्रीजी स्पष्टीकरण कर दें ताकि किसानों को नुकसान नहीं हो तो अच्छा होगा । इसलिये मैंने आपके जरिये यह ध्यान आकर्षित किया है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : कोटपूतली......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस तरह बिना नोटिस दिये सदन का समय खराब न करें । आज बहस के दौरान में, ये सब बातें रख सकते हैं । इस तरह से स्थगन-प्रस्तावों के महत्त्व को कम न करें ।

माननीय मुरलीधर व्यास ने जो कहा है-मैं आशा करता हूँ कि कृषि मंत्री इसकी जांच करेंगे ।

(१२.१६ म.प.)

राजस्थान भू-गृहादि (किराया और बेदखली नियन्त्रण) (संशोधन) विधेयक, १९६५

(प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति हेतु समय में वृद्धि)

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य दुर्गालाल बाढ़दार ने......

श्री अध्यक्ष : उसका नहीं, प्रवर समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में है ।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान भू-गृहादि (किराया और बेदखली नियन्त्रण) (संशोधन) विधेयक, १९६५ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को २५ मार्च, १९६५ तक और बढ़ा दिया जाय ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि इस बारे में किरायेदारों को बड़ी भारी दिक्कत हो रही है, आप इसे बार बार खिसकाते जा रहे है । इसे इसी सेशन में पास किया जाय ।

श्री मथुरादास माथुर अध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति की रिपोर्ट बन चुकी है, सर्कुलेट हो चुकी है, डिसेन्टिंग नोट के लिये समय दिया है । मैं आपसे पूरा इत्तफाक करता हूँ और चाहता हूँ कि इसी सदन में पास किया जाय बशर्ते कि माननीय सदस्य चाहें ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया । समय बढ़ाया गया ।

जयपुर नगर कारावास में बंदियों की पिटाई विषयक स्थगन-प्रस्ताव

एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना माननीय सदस्य श्री बाढ़दार ने दी थी जेल में हाल ही में हुई घटना के सम्बन्ध में, जिसमें कुछ कैदियों को पीटने का कहा है। प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। मन्त्री महोदय को इस सम्बन्ध में जो जानकारी है वह कृपया एक मिनट में दें।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री बाढ़दार ने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है उसमें जयपुर नगर के कारागार के बन्दियों की अनुचित रूप से पिटाई की जाने के कारण बन्दियों में भारी असंतोष है और यह घटना एक सप्ताह पूर्व इन्स्पेक्टर जनरल के पुत्र के कहने से उसकी सलाह से की है, यह स्थगन प्रस्ताव मे कहा है।

मैं साफ कर देना चाहता हूं कि वर्तमान इन्स्पेक्टर जनरल के कोई पुत्र नहीं है, न दत्तक पुत्र है और न उनका इरादा है दत्तक पुत्र लेने का।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): यह आप कैसे कह सकते हैं, कई स्टेटमेंट्स हैं।

श्री मथुरादास माथुर: उनके कोई लड़का है ही नहीं। स्थगन-प्रस्ताव में मेन चीज यह थी कि उनके लड़के के कहने से यह चीज हुई है, इसकी मैंने सफाई की है।

अब घटना के बारे में मैं आता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर का कारागृह है वहां १४ फरवरी को रविवार के दिन जो जेल का छुट्टी का दिन होता है, कारखाना बन्द होता है, कैदियों ने एक हुल्लड़ मचाया। इनमें जो अग्रणी थे वे राजस्थान की विभिन्न जेलों से ट्रान्सफर होकर आये हुए थे और कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनका चरित्र अच्छा नहीं होने के कारण उन्हें जयपुर के कारावास में तब्दील किया गया था। इन लोगों के भड़काने से कैदियों ने मांग की कि हम बैरेकों में झाडू नहीं निकालेंगे, झाडू निकालने के लिये हमें क्लास फोर सर्वेन्ट दिया जाय, पैरोल के कानून में तब्दीली की जाय, बन्दियों को फैक्टरियों में काम करने के लिये तनख्वाहें दी जायं, वगैरह वगैरह। उस पर जेल अधिकारियों ने उन्हें कहा कि दो तीन मांगें, पैरोल के कानून में आवश्यक तब्दीली करने के संबंध में और फैक्टरी में काम करने वालों को तनख्वाह देने के बारे में मामला राजस्थान सरकार के विचाराधीन है। उसके बावजूद भी बाकी लोग तो मान गये पर ६७ आदमी बराबर हल्ला गुल्ला करते रहे और जेल की पाथरियां जो कि पत्थर की बनी हुई और मिट्टी से लिपी हुई होती हैं, उनको तोड़ तोड़ कर कन्विक्ट वार्डर जो कैदियों पर अफसर होते हैं, उनके ऊपर पत्थर फेंके, वार्डरों पर भी पत्थर फेंके, एक दो वार्डरों और कुछ कन्विक्ट ऑफिसर्स के चोटें आईं। उसके बाद यह मामला निबटा दिया गया और शांति हो गई। पर उनके बाद में गत रविवार को कुछ आदमियों ने फिर हंगामा शुरू किया और वहां जो कन्विक्ट ऑफिसर, वार्डर और उन लोगों के आपस में मारपीट हुई, जिसमें कन्विक्ट ऑफिसरों और एक दो

(श्री मथुरादास माथुर)

वार्डरों के चोटें आई । ज्यों ही मुझे सूचना मिली, एक–दो दिन बाद में तुरन्त कारागृह में गया और वहां जाकर मैंने अपनी आंखों से सब बात देखी । जांच का हुक्म दिया । इत्तफाक से बदकिस्मती की बात थी कि जेल सुपरिन्टेडेन्ट एक सप्ताह की छुट्टी पर थे, दूसरा अधिकारी ऑफिशियेटिंग काम कर रहा था । जो गड़बड़ी हुई, उसको हमारे अधिकारीगण कन्ट्रोल नहीं कर सके । जो कैदियों ने हुल्लड़ किया, उनके साथ ज्यादती हुई उसको मैं अंगीकार करता हूं ।

मैंने इंक्वायरी के ऑर्डर्स दे दिए । इंक्वायरी चल रही है । इसी बीच में, मैं परसों चला गया था देखने को और इंक्वायरी रिपोर्ट कल आई थी । उसके पढ़ने के बाद में वहां के डिप्टी जेलर श्री रूपनारायण, हेड वार्डर रामअवतार, हेड वार्डर देवीप्रसाद, जयन्तीप्रसाद और यासूखां को सस्पेंड कर दिया गया । बाकी जिनके चोटें आई हैं उनका माकूल ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उनके नाम हैं चन्द्रा, गिरधारी, रामदेव; कुल मिलाकर १०–१२ आदमी थे । जो १२ आदमी सी. ओ. कहलाते हैं इनके रैंक को रिड्यूस करके ऑडिनरी कैदी बनाया गया है और दूसरे जिलों में इनका स्थानांतरण किया जा रहा है और रेमिशन्स कैंसल करने के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं । उसके बाद में डिटेल्ड डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी चल रही है । उसके होने के बाद में आगे की कार्यवाही की जायगी ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जैसे आपने मौके पर जाकर सदन को सही रिपोर्ट दी उसी प्रकार से अगर हमारे दूसरे मंत्री भी मौके पर जाकर सही बातें सदन में रखें तो बहुत अच्छा रहे । आपको बहुत धन्यवाद है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : कमाल कर दिया ।

श्री मथुरादास माथुर : आपकी तारीफ मेरे काम की नहीं हैं ।

श्री भैरोंसिंह : इस प्रकार के पत्र कई माननीय सदस्यों के पास आए हैं, मेरे पास भी आया है । उसमें लिखा है कि हमारी हालत अगर विधायक नहीं देखेंगे तो जगदंबा की सौगंध है । तो क्या मंत्री महोदय उचित समझेंगे और व्यवस्था करेंगे कि विधान सभा के कोई भी दो तीन विधायक जाकर स्थिति देख सकें ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं मानता हूं कि जो मारपीट हुई वह बेजा थी । मुझे दुख है, मैं सदन से माफी मांगता हूं । फिर भी अगर कोई माननीय सदस्य जानकारी करना चाहें तो कर सकते है ।

(१२.२५. म. प.)

आय-व्ययक १९६५–६६ पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : बजट पर सामान्य वाद–विवाद ।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : मेरी स्पीच कल से चालू है ।

श्री अध्यक्ष : स्पीच जारी रखने की जरूरत नहीं है ।

श्री जुझारसिंह : मैं सिर्फ दो मिनट बोला था ।

श्री अध्यक्ष : आपको खड़ा नहीं होना चाहिए था । श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण के अंदर जवाहरलाल नेहरू के एक शेर का आसरा लेकर किया है "इस तरह तय की हैं हमने मंजिलें, गिर पड़े, गिर कर उठे, उठ कर चले" इस सारे भाषण को समाजवाद का रूप देने का प्रयत्न किया । आपने जो बजट पेश किया है, वह इसके भाषण के जरिए मालूम होता है कि घाटे का बजट नहीं है, ११ लाख के फायदे का बजट है । इस बात की गुंजाइश पैदा हो गई थी कि ७० लाख के घाटे का बजट बन गया, लेकिन फिर यह मुनाफे के बजट के रूप में पेश हो गया । वैसे तो सारे भाषण के अंदर ऐसा मोड़ है कि इंतकाल पैदा हो गया लेकिन कुल मिलाकर बजट का यह भाषण तीसरी पंच वर्षीय योजना के अंतिम वर्ष का भाषण हैं जब कि हम तीसरी योजना को समाप्त कर चौथी योजना में प्रवेश करने वाले हैं और तीसरी योजना में हमने क्या प्राप्तियां की हैं, किस लक्ष्य पर हम पहुंचे हैं? वह सब का इस भाषण के अंतर्गत समावेश आ जाता है । चौथी योजना के लिए २ करोड़ की टैक्सेज़ की हमें जरूरत होगी । इस तीसरी योजना की समाप्ति में सारे राजस्थान के अंदर ८ करोड़ पैदा कर दिए जावेंगे और अगली चौथी योजना के आरम्भ में ११ लाख व्यक्तियों का लेबर फोर्स का भार और पड़ जायगा जिसको हम ८०० करोड़ और ४३८ करोड़ की प्लान्ड इकोनोमी के जरिए मीट करने की कोशिश करेंगे । इस बजट के अंतिम वर्ष में हम केवल १,५५,००,०००) की टैक्सेज़ लगाकर इस योजना के अंतिम वर्ष में हम केवल १,२५,००,०००) अधिक खर्च करेंगे । इस बजट भाषण के अंदर इस बात का खेद प्रकट हुआ है कि हमारी बेटरमैंट लेवी टैक्स में ५० लाख कम वसूल करने पड़े और हम ६ करोड़ बेटरमेंट लेवी टैक्सेज़ अधिक वसूल करने का प्रयत्न करेंगे । कुल मिलाकर चौथी और तीसरी योजना के द्वार पर जब हम खड़े हैं तो हमारी प्लान्ड इकोनोमी को चलाने के लिए हमारे पास जो तत्व हैं एस्टेट ड्यूटी का हिस्सा है, इन्कम टैक्स के अंदर राजस्थान सरकार का हिस्सा है इसके अलावा हमारे पास टैक्सेज़ का जरिया है कि हम इसको लगाएंगे और उन टैक्सेज़ के संबंध में भी हमने सारी जिम्मेवारी राजस्थान के पौने दो लाख कर्मचारियों के कंधे पर डाल दी है कि यह १,५५,००,०००) का टैक्स लगाना पड़ा । इसलिए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में पांच रुपए दे दिये या जयपुर शहर में रहने वाले को हमने सिटी अलाउंस दे दिया या कुछ लोगों को हमने २५-२५ से बढ़ाकर तीस रुपए की पेन्शन दे दी या इसलिए कि हमने लोगों को मकान के किराए में रियायत की, शिक्षा की रियायतें देनी पड़ीं । लेकिन इसके साथ साथ इस बजट के अंदर हमने ४०० से ऊपर तनख्वाह वालों के लिए रियायत की घोषणा की और ३२०) से ४००) रु. वालों के लिए महंगाई का प्रावधान किया और ५४० से अधिक तनख्वा वालों

Page No 41

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

के लिए ५४० और ५७५ के बीच के फासले से महंगाई का एलान किया ।

तीसरी योजना में पैदावार के अंदर बहुत कमी आई है, ज्वार सबसे कम पैदा हुआ, बल्कि आम तौर पर जितने खाद्यान्न थे सबमें घाटा हुआ । ज्वार की पैदावार में ३६. २ परसेंट घाटा हुआ, बाजरा में १४. ०५ परसेंट घाटा, मक्का में ३०. ७२ परसेंट घाटा, जौ में २०. ११ परसेंट घाटा हुआ, गेहूं और दाल में २६. २ परसेंट घाटा, तिलहन में ४८. ५३ परसेंट पिछले वर्ष से कम प्राप्त हुआ, गन्ने की पैदावार २२. ३६ परसेंट, आलू ३२. ६७ परसेंट और अधरक ३७. ७१ परसेंट कम पैदा हुआ । कपास में बढ़ोत्तरी हुई है, मिर्च में बढ़ोत्तरी हुई है और तम्बाखू में बढ़ोत्तरी हुई । इन तीन क्रोप्स के अन्दर बढ़ोत्तरी हुई है । इसके साथ साथ हमारी पर-केपिटा इन्कम ६३-६४ के मुकाबले ६४-६५ में कम हुई है । हमारे राज्य की इन्कम की रेट २.०५ परसेन्ट प्रति वर्ष रही है, उसके अन्दर भी बहुत थोड़े आंकड़े की तरक्की हुई है । राज्य के अन्न उत्पादन के अन्दर, पैदावार में कमी हुई है, बेरोजगारी का पोटेन्शियल ८ लाख पर आ-कर खड़ा हो गया है, इसके साथ साथ खनिज पदार्थ में, खनिज से पैदा होने वाली आमदनी में १३ लाख की कम रिकवरी हुई है और कुल मिला कर समाजवादी योजना को चलाने के लिए बेटरमेंट लेवी ६.२३ करोड़ अधिक वसूल करने की बात है और स्माल सेविंग्स स्कीम के जरिये पैसा लेने की बात है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ कि समाजवादी अर्थ-व्यवस्था के अन्दर एक सेल्फ जेनरेटिंग इकोनोमी क्रियेट करनी चाहिए । मैंने मुख्य मंत्री के भाषण पढ़े हैं जो कि उन्होंने खनिज सलाहकार बोर्ड की नवीं बैठक में दिए हैं जिसमें उन्होंने यह वादा किया है कि तीन-तीन खाद के कार-खाने राजस्थान के अन्दर; एक राजसमन्द में, एक बीकानेर में और एक कोटा के अन्दर, स्थापित हो जावेंगे । लिग्नाइट्स के अखूट भंडारों की घोषणा बाड़मेर और जैसलमेर में होने की भाषण के अन्दर घोषणा की है, उन्होंने उन्हीं भाषणों में संगमरमर के व्या-पार को वैज्ञानिक आधार पर चलाने की बात कही है । मुख्य मंत्रीजी का ४ जुलाई, १९६४ को भाषण होता है जिसमें उन्होंने बताया कि दो-तीन महीने में जैसलमेर से गैस और ऑइल के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट आ जायगी, जहां इसका एक्सप्लोरेशन किया जा रहा है और उसके बाद हमारे खाद के कारखानों के प्रोडक्शन के सम्बन्ध में हमारे सामने एक निश्चित भविष्य तय हो जावेगा । उन्होंने यह बात भी तब कही कि सल्फरिक एसिड गैस का पता लग जावेगा । उन्होंने यह बात भी कही कि जल्दी से जल्दी लिग्नाइट के एक्सप्लोटेइशन के लिए तीन-चार महीने में कदम उठा सकेंगे । लोहे का निर्यात, उन्होंने कहा था, गिर गया है क्योंकि कन्डला पोर्ट्स की हालत खराब थी और लोड्स की कोस्ट बढ़ गई । उन आश्वासनों के बावजूद भी मुख्य मंत्री सेल्फ जैनरेटिंग इकोनोमी के लिए लगातार आश्वासन देते रहे हैं ।

लेकिन, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जो आज स्थिति है उसका अवलोकन

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

करना पड़ेगा । आज जो स्थिति राजस्थान में है उसका यदि अवलोकन किया जाय तो प्रति व्यक्ति टैक्सेशन की स्थिति को ही सबसे पहले ले लीजिये या प्रति व्यक्ति उन पर कितना खर्चा होता है उनको ले लीजिये, सामाजिक कार्यों पर कितना खर्चा होता है, सारी स्थिति में राजस्थान बहुत ही पीछे है । अध्यक्ष महोदय, मैंने कल राजस्थान के खाद्य मंत्रीजी का भाषण बहुत ही गौर से सुना था । वे यह बता रहे थे सदन को कि हम दो तीन आंकड़ों में पीछे गये हैं तो दो तीन आंकड़ों में आगे बढ़े हैं । लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है । राजस्थान का डिफ्रेन्शियल, पर-केपिटा का डिफ्रेन्शियल डिस्ट्रिक्ट का डिफ्रेन्शियल के आंकड़े मैं सदन में उपस्थित करूंगा । अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का चित्र यह है कि जहां एक ओर राजस्थान में बहुत दरिद्र डिस्ट्रिक्ट हैं तो दूसरी ओर राजस्थान में अच्छी पैदा करने वाले डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं । यह डिस्ट्रिक्ट का गल्फ बहुत गिर रहा है और पर-केपिटा इन्कम के डिस्ट्रिक्ट की हालत बहुत खराब है- मैं आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत करता हूँ । प्रति व्यक्ति आय सार्वजनिक प्रशासन, राजस्व प्रशासन, पूंजीगत लागत और सामाजिक सेवाओं के अन्दर । सामाजिक सेवाओं के अन्दर १२.६५ का आंकड़ा है जब कि किसी भी प्रान्त का आंकड़ा सामाजिक न्याय के सम्बन्ध में राजस्थान से अधिक है :

पंजाब	२४	केरल	१२.६८
उड़ीसा	१७.७०	जम्मू काश्मीर	३३.६८
मैसोर	१४.६८		
मद्रास	१३.६५	गुजरात	१८.६३
आंध्र-प्रदेश	६.०६	बिहार	५.१७

किसी भी प्रान्त के आंकड़े राजस्थान से अधिक हैं और यही दशा सार्वजनिक प्रशासन और दूसरे क्षेत्र में भी है ।

प्रति व्यक्ति कर का इम्पेक्ट राजस्थान में ले लीजिये । किसी भी प्रान्त से राजस्थान में ज्यादा है । दो तीन प्रान्तों को छोड़कर प्रायः सब प्रान्तों से राजस्थान में करों का इम्पेक्ट अधिक है । भू-राजस्व में राजस्थान में ४.४१ प्रति व्यक्ति कर का इम्पेक्ट है जब कि पंजाब में २.२२ जब कि पंजाब स्टेट की इन्कम भी राजस्थान की इन्कम से अधिक है । और उस इन्कम की बढ़ोत्तरी है वह भी राजस्थान से अधिक है । उड़ीसा १.८० और मैसूर ३.६२ । किसी भी प्रान्त को आप ले लीजिये सिवाय आसाम को छोड़कर यह इम्पेक्ट प्रति व्यक्ति राजस्थान में अधिक है । आबकारी या महसूल को ले लीजिये । कुल राजस्व पर प्रति व्यक्ति २१.२० जब कि उड़ीसा १६.३७ मध्यप्रदेश १६.७६ ।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की यह वस्तुस्थिति है, यह चित्र है । अब पर-केपिटा की तफसील डिस्ट्रिक्ट वाइज़ ले लीजिये :

"सैक्टोरियल कम्पोजिशन ऑफ राजस्थान" : जहां एक ओर गंगानगर का २५.३४ वहां दूसरी ओर डूंगरपुर का ६.४६ है । टोटल इन्कम इन रूपीज़ एन्ड पर-केपिटा इन्कम ३०४ गंगानगर, जब कि डूंगरपुर १८० । १८० से लेकर ३०४ तक आपके डिस्ट्रिक्ट की पर-केपिटा इन्कम वेराई करती है ।

Page No 43

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

अध्यक्ष महोदय, अब डिस्ट्रिक्ट इन्कम्स विदिन ईच स्टेट, इसका डिस्ट्रिब्युशन ले लीजिये। तो १०० से लेकर १२४ तक डिस्ट्रिक्ट पर-केपिटा इन्कम होता है। बिहार में २, मध्यप्रदेश में १ और राजस्थान में कुछ नहीं। १२५ से १४९ तक के डिस्ट्रिक्ट्स राजस्थान में एक भी नहीं है और इसके अलावा ३५० से ऊपर का डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में कोई नहीं। ३२५ से लेकर ३४९ तक पर-केपिटा इन्कम का डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अन्दर कोई नहीं।

दो दिन से मंत्रियों के भाषण सुनने के बाद यह बात ध्यान में आयी कि राजस्थान में पर-केपिटा इन्कम अधिक बढ़ गयी है। वह कहां चली गई ? वैसे तो इस भाषण में यह साफ कहा गया है कि नेहरूजी की मृत्यु की छाया के अन्दर यह भाषण दिया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि नेहरूजी की मृत्यु की छाया इस भाषण के ऊपर कहीं आज कुछ भी नजर नहीं आती है, बल्कि इस भाषण पर तो कोई काली-छाया दृष्टिगोचर होती है जहां अपंग और अपाहिजों को २०) रुपये पेंशन देने के आधार पर समाजवाद की घोषणा की जाती है। समाजवाद किस चीज से आ सकता है ? वह समाजवाद आवेगा जब आप सेल्फ जेनरेटिंग इकोनोमी क्रियेट करेंगे। इस दिशा में आपने क्या किया ? आपने, इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा है, यह घोषित किया, पोटेन्शियलिटी बढ़ी है, यह घोषित किया; मैं आपके सामने उसके आंकड़े प्रस्तुत करता हूं।

औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ इस प्रकार हैं :

वज्र चूर्ण के १०. थे, जिसके १.५९ रह गया।

कांच का प्रोडक्शन ५२२ हजार वहां ४५७ टन रह गया।

सूती वस्त्र ५६० था जो ५४३ के ऊपर आ गया।

शक्कर के प्रोडक्शन के अन्दर १९५८ में १३.९ था वह ६.६ हजार तक आ चुका है।

अध्यक्ष महोदय, खनिज सम्पदा का एक्सप्लोरेशन न करें और सेल्फ जेनरेटिंग की बात करें और नेहरू की छाया की बात करें, आज सारी की सारी कांग्रेस सरकार नेहरू की नीतियों को दर-किनार रखती जा रही है आपकी इन्डस्ट्रीज़ कायम करने की नीति है उन नीतियों को देखा जाय तो फॉरिन कोलोबोरेशन को यहां बुला रहे हैं, इसमें आप नेहरू की नीतियों से पीछे हट चुके हैं। श्री टी. टी. कृष्णमाचारी ने सारे विश्व को निमन्त्रण दे दिया कोलोबोरेशन्स में पूंजी लगाइये। एक दिन वो था जिस दिन बिनीज़ के कपड़े का बॉयकाट महात्मा गांधी ने किया था क्योंकि वह अंग्रेजों की कोलोबोरेशन्स थी। एक दिन आज का है कांग्रेसी सरकार जब से उन्होंने हुकूमत संभाली है पचासों ऐसी कम्पनीज़ हैं जिसमें २२ हजार कम्पनीज़ में फॉरिन कोलोबोरेशन है। डेफीसिट फाइनेंसिग और काला धन; दो ऐसे नाग हैं जो हरेक स्टेट को डसने के लिये खड़े हैं। रिज़र्व बैंक की

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

रिपोर्ट के अनुसार दस परसेन्ट हन्ड्रेड रुपये के नोट छपा करते थे वह आज ६४-६५ में ५४ परसेन्ट छप रहे हैं । आखिर ये सौ सौ के नोट क्या किसी गरीब की जेब में जाते हैं ?

रूरल क्रेडिट सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार आज राजस्थान का किसान मकरूज है जिस किसान पर खेती करने वालों पर ४७ में ४५० रुपया कर्जा था वह कर्जा ६५० का हो चुका है । ऋण की राहत नहीं मिली । को-ऑपरेटिव के संबंध में जो रिपोर्ट सब्मिट हुई है उसमें यह कहा कि इसका इम्पेक्ट नहीं पड़ा है । इसका इम्पेक्ट पड़ा है तो मध्यमवर्गीय लोगों पर या धनवानों पर पड़ा है ।

को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ के संबंध में हमारे यहां प्लानिंग अध्ययन दल आया था जिसने जयपुर में २४ जून को घोषणा की कि जो ऋण आपने लोगों में पहुंचाने की बात कही थी सहकारिता के जरिये वह पांच करोड़ नहीं पहुंच पाया है । दस करोड़ पहुंचाने का जो इरादा था वह पूरा नहीं हो रहा है और इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि चालीस परसेन्ट सोसाइटीज़ बोगस हैं जो फंक्शन नहीं कर रही हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मजदूरों का प्रश्न लीजिये, किसान का प्रश्न लीजिये कहीं भी समाजवाद का चिन्ह नजर नहीं आता । ६२-६३ में राजस्थान के अन्दर ११ झगड़े हुए, ६४ में ३० झगड़े हुए । ६२-६३ में श्रम-दिवस १३,६०२ रहे वहां ६३-६४ में ३१४५१ । फैक्टरी के मजदूर हैं, खेती के मजदूर हैं, सरकारी कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी हैं, किसी भी दिशा के अन्दर समाजवाद नहीं ला पाये हैं । खेती का काम करने वाले जो किसान हैं । भूमि और किसान का संबंध है किसी में भी समाजवाद की झलक दिखाई नहीं देती है । जहां तक फैक्ट्रीज़ के प्रोडक्शन की बात है कौनसा समाजवाद झलकता है । माइन्स का एक्सप्लोरेशन का सवाल है उसमें भी कहीं समाजवाद की झलक नहीं । किसान की समस्या लीजिये, भूमि की समस्या लीजिये किसी में भी हम समाजवाद नहीं ला पाये हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मि० रज़ा जो प्लानिंग में सेक्रेटरी हैं वे राजस्थान के अन्दर आये उन्होंने कोन्फिडेंशियल रिपोर्ट दी है । उन्होंने यह कहा कि ४२ लाख एकड़ धरती इस प्रकार की है जिसमें शिकमी काश्तकार हैं जो बटाई के ऊपर काश्त करते हैं । जो भूमि जागीरदारों की है । सेटलमेन्ट पूरा कर देना चाहिये था, आप रेवेन्यू कमीशन बिठाकर मुल्तवी करना चाहते हैं । मैं जानना चाहता हूं आप गंगानगर के भूमिहीन किसान को भूमि देना चाहते हैं क्या वह आपके कानून के अनुसार भूमि प्राप्त कर सकता है ? आप जहां ६.५० लाख रुपये बेटरमेन्ट से और सेल ऑफ लैन्ड से प्राप्त करना चाहते हैं ? आपको धरती बेच कर आमदनी करने का लक्ष्य है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद लोग यह सोचते थे कि लगान माफ कर दिया जायगा, आज आप धरती को बेचकर अपनी आमदनी बढ़ाने का आधार ढूंढते हैं । चाहे वह भाखरा का क्षेत्र हो, चाहे राजस्थान नहर का क्षेत्र हो आप धरती

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

को नीलाम करने जा रहे हैं। जोधपुर की विलाड़ा तहसील में कोई जमीन खाली पड़ी है उस पर कोई किसान काश्त कर लेता है तो उसको पन्द्रह गुना तावान लगा देते हैं। अगर डूंगरपुर में एलॉटमेन्ट कमेटी ज़मीन एलॉट नहीं करे किसान पड़त भूमि को जोत ले तो पन्द्रह गुना तावान देना होगा। कैनाल क्षेत्र के अन्दर लाखों एकड़ जमीन बेकार पड़ी है। दस हजार जागीरदारों को आप बसा रहे हैं, चीफ इन्जीनियर धरती ले लें, कोई एतराज नहीं भूमिहीन किसानों की दर्ख्वास्तें कॉलोनाई-ज़ेशन विभाग में लटकती रहें, कोई परवाह नहीं, काश्तकार यदि काश्त कर दें तो पन्द्रह गुना तावान।

चम्बल प्रोजेक्ट क्षेत्र है, वहां पर यदि कोई काश्त कर दे तो पन्द्रह गुना तावान। क्या यही आपकी समाजवाद की रूपरेखा है?

आपके सेटलमेन्ट का हाल यह है कि इसके लिये २४ हजार एप्लीकेशनें पड़ी हैं। सेटलमेंट ऑफिसर जाता है, कहता है कि दर्ख्वास्तों को पत्थर की ढेरी पर लगा दो और आग लगा दो सेटलमेंट हो गया, मैंने तय कर दिया।

आप ५ करोड़ २५ लाख रुपया जागीरदारों को देना चाहते हैं; ८४ लाख रुपया २१ राजाओं को दे दें, किन्तु ९४ लाख रुपया आप राज्य कर्मचारियों को नहीं देना चाहेंगे।

मजदूर क्षेत्र को लीजिये, मिनिमम वेजेज एक्ट आपने ६२ में लागू किया। सितम्बर, ६४ में रिपोर्ट आ जाय, लेकिन उसको सिर्फ आपने तीन इन्डस्ट्रीज़ में लागू किया, बाकी इन्डस्ट्रीज़ में लागू नहीं कर पाये। डिसिप्लिन कोड कायम हो जाय, मजदूरों को महंगाई के मुताबिक चीजें दी जायंगी। लेकिन वह डिसिप्लीन कोड मजदूरों पर तो लागू करना चाहते हैं, किन्तु डिसिप्लिन कोड के अंदर मालिकों का व्यवहार किस प्रकार हो, उसका ध्यान नहीं दिया जाता।

एक आमदनी की थी आपने राष्ट्रीय-करण किया उससे १.२८ लाख की आमदनी हुई। यह आमदनी और भी ज्यादा हो सकती थी, आपका विभाग इस बात की पूरी कोशिश में था कि किसी भी प्रकार से यह राष्ट्रीयकरण कामयाब न हो। ३०० बसेज़ थी ६२ में पच्चीस लाख रुपया टैक्सेज़ से कलेक्ट होता था। राजस्थान के अन्दर ३४ हजार ट्रक्स और बसेज़ हैं उनका १.२५ लाख का कलेक्शन है। आपकी बस जयपुर से मन्डोर जाती है। रास्ते में बस पानी में फंस जाय तो उसके चार दिन बाद उसके लिये दूसरे आदमी भेजे जाते हैं।

जब कि आपके डिपोज़ के अन्दर लगातार बसें खडी रहीं और एक के बाद दूसरी तादाद में खड़ी रहीं जब कि तीन-तीन महीनो तक बसें चालान होने के बाद थाने में खडी रहीं और जमानत न हो सकी। तीन-तीन महीने कोर्ट में खड़ी रहीं और जमानत हो नहीं सकी। ऐसी स्थिति में भी १.२२ करोड़ की आमदनी हो और रोडवेज से हो जब कि आपकी जगह जगह बकाया बाकी रहती है।

Page No 46

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

एक्साइज विभाग में आपकी एक करोड़ ६० लाख ५८ हजार की बकाया है। हर विभाग में आपकी बकाया है और यह आज की नहीं ५६ की चली आ रही है। आपकी बाकी करों से १ करोड़ ३३ लाख ७६ हजार ८४ रुपया की बकाया है।

आपकी कृषि आयकर में जिसका कि कानून अब खत्म हो चुका है, ३१ लाख ६,८७७, रुपये की बकाया है।

आपका मनोरंजन कर २०,३११ रु० का बकाया है। यात्री माल कर में २२, ६०८, रु० की बकाया है।

कस्टम्स ड्यूटी का १ करोड़ ६७ लाख ५६ हजार ५१३ रु० बकाया है और ६४ लाख की अकेली बकाया उदयपुर में है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : ६४ हजार होगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ६४ हजार की बकाया है और वह भी इस प्रकार कि जिसके लिये सदन में बार बार कहा जाता रहा है और सदन के फाइनेन्स मिनिस्टर साहब छाती पर हाथ मार कर कह रहे थे कि इस बकाया को वसूल करेंगे और इसके बाद भी वह ६५ तक बकाया है।

जैसे जाकिरहुसैन गुलाम अब्बास जिम्मे के १६,५१७) की बकाया है, श्री बसन्तकुमार, दीनानाथ और जाकिरहुसैन, गुलाम अब्बास में १ लाख ६,७६० रु० बकाया है, श्री जाकिरहुसैन गुलाम अब्बास में १२,६५०) की बकाया है यह बकाया पैसेन्जर टैक्स की है।

एक और बकाया है बसन्तकुमार, दीनानाथ की २५,७९६) की और बकाया है। बार बार सदन में यह बात कही जाती रही है, पर इसके बाद भी उन महानुभावों की बकाया वसूल नहीं करने का क्या कारण है ? आखिर क्यों रियायत है उनको ? बसन्तकुमार को यह विशेष रियायत क्यों ? गुलाम अब्बास साहब को यह रियायत क्यों ? फाइनेन्स मिनिस्टर साहब का यह कमिटमेन्ट है कि मैं वसूल करके रहूंगा। और तो और सूरतगड़ फार्म में ८० लाख की राजस्व बकाया है जिसे भारत सरकार से लेना था।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ८० लाख या ८० हजार ?

आपके तो लाख और हजार में फर्क होता ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : लाख में तो समझने वाले आप ही हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अन्त में मैं यह कहूं कि बकाया वसूली हो तो कैसे हो जब कि राजस्थान के फाइनेन्स मिनिस्टर साहब स्वयं चुंगी की चोरी करना चाहते हैं, चुंगी देना नहीं चाहते अजमेर पोस्ट पर और चाहते हैं कि चोरी करें।

Page No 47

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

खुद फाइनेन्स मिनिस्टर साहब टैक्सेज़ की चोरी में मददगार हैं, तो बसन्तकुमार की बकाया कैसे वसूल हो ? मिसेज़ कौल सारे कायदे-कानून को तोड़ कर मेयो कॉलेज की जमीन ले और अपने बंगले का वहां पर निर्माण करे और उसके बाद उस जमीन के अन्दर एक गैराज बनावे, उस जमीन के नक्शे की मंजूरी के लिये म्यूनिसिपल बोर्ड अजमेर में दी दरख्वास्त। सब कमेटी और हाउस बिल्डिंग लॉज २४ के तहत गैराज काट दिया जावे और इसके बाद भी वहां गैराज काट दिया जावे और इसके बाद भी वहां गैराज का बाकायदा निर्माण किया जावे और जब कि म्युनिसिपल बोर्ड इस बात को कहे कि आपने छः फीट जमीन पर ज्यादा निर्माण कर लिया है तो म्यूनिसिपल बोर्ड की स्पेशल मीटिंग बुलाई जावे। म्यूनिसिपल बोर्ड के सारे मेम्बरान को १८ जनवरी, ६५ को इकट्ठा किया जावे और वहां सारे म्यूनिसिपल बोर्ड के कर्मचारी रहें, १। बजे मीटिंग शुरू हो और पांच बजे इस बात का फैसला करे कि यह मोटर गैराज जस्टिफाइड कैसे हो ? सेनिटोरियम के अलाइनमेंट में नहीं आ रहा है, हाउस बिल्डिंग लॉज २४ के तहत उसके ऊपर बाकायदा तावान लगना चाहिये, पर वह भी नोर्मेलाइज हो जावे और इसके साथ साथ यह कह दिया जावे कि आप छः फीट जमीन और खरीद कर बाकी छोड़ दो। सवाल आया जमीन का; अब और किससे खरीदी जावे; तो दिखाई दिया मेयो कॉलेज इन्स्टीट्यूशन की खरीदी जावे। रेवेन्यू एक्ट की सेक्शन १६ के सब सेक्शन (७) के तहत कोई भी जमीन जो कि किसी इन्स्टीट्यूशन को दी गई हो उसको नहीं लिया जा सकता, लेकिन राजस्थान के फाइनेन्स मिनिस्टर साहब मेयो कॉलेज को ग्रान्ट इन एड और दूसरी ग्रान्ट्स के कागजों को दबाकर इस बात पर मजबूर करें कि इन्स्टीट्यूशन जमीन दे दे और इसके बाद उसके ऊपर एक इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन करे और फिर बोर्ड की इमर्जेन्सी मीटिंग बुलाकर तीन घंटे के अन्दर अन्दर यह फैसला कराले कि जो बना लिया सो बना लिया। अब ६ फीट जमीन और छोड़ दो। मेयो कॉलेज पर करो दबाव इसके लिये।

अध्यक्ष महोदय, यह मामला यहां तक रहा, यह भी ठीक है। पर मैं आपके सामने इस सम्बन्ध में कैरों के बारे में जो इन्क्वायरी कमीशन बैठा उस दास कमीशन ने जो इलियड सिनेमा के सम्बन्ध में अपनी अन्त में फाइंडिंग दी है उसके कुछ अंश आपके सामने रखना चाहूंगा जिसमें कि यह स्पष्ट कहा गया है :

"That on consideration of the evidence placed before the Commission in the light of the foregoing discussions, the Commission finds that Shri Surendra Singh Kairo has an interest in the Elite Cinema and if he is not the sole proprietor thereof with the hurry with which the sanction of the plan was issued from the Municipal office indicates that no enquiry or any preliminary enquiry was made before the plan were sanctioned.

That there is no evidence what-

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

ever that the irregularity or illegality committed by the Government or Municipal office was done."

अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट कहा गया है।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : आप यह बताना चाहते हैं क्या कि म्यूनिसिपल बोर्ड ने ऐतराज किया, या मेम्बर ने ऐतराज किया मीटिंग में।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें यह कहा गया है कि बालकृष्ण जी कौल वित्त मन्त्री राजस्थान के प्रेशर की वजह से और उनके दबाव के कारण से बोर्ड की स्पेशल मीटिंग हुई और बोर्ड ने दबाव के कारण उसे पास किया।

(व्यवधान)

आप जरा शान्त रहिये। इसके सम्बन्ध में आगे कुछ तथ्य और मैं रखता हूं; इतना ही नहीं है—अध्यक्ष महोदय, १४-२-६५ को अजमेर कस्टम पोस्ट की चुंगी चौकी पर श्री बालकृष्णजी के नाम से एक ट्रक की यह चुंगी की रसीद कटी है और यह रसीद बाकायदा मौजूद है। मैं सदन में उसे रखना चाहता हूं।'

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : तारीख क्या है, बतावें ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : १४-२-६५ को जब कि श्री बालकृष्णजी कौल का कोई मकान नहीं, श्रीमती कौल मकान बना रही हैं तो उस मकान के लिए टाइल्स श्री कौल के नाम से आ रहे हैं और इतना ही नहीं, जब लादूराम १२ बजे से पहले ड्यूटी पर था विलायतीरामजी वहां के प्री-ऑडिटर हैं वह उस चुंगी पर पहुंचते हैं ११ बजे के करीब और उसको यह कहते हैं कि अब कौन आने वाला है वह तो कहता है कि रघुवीरप्रसाद और नारायणदास आने वाले हैं। तो एक ट्रक आने वाला है मेहरबानी करके उस ट्रक से चुंगी न ली जावे। १२ बजे की ड्यूटी के बाद रघुवीर प्रसाद और नारायण दास आ जाते हैं। विलायतीराम फिर वहां पहुंचता है और कहता है ट्रक आ रहा है, उसकी चुंगी न ली जावे। तब वे गरीब कहते हैं कि हम तो इसकी चुंगी लेंगे और अगर आप चाहते हैं कि नहीं ली जावे तो ऑक्ट्राय सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब के पास चले जाइये। उस ट्रक पर एक चपरासी बैठा है और ऑक्ट्रोय सुपरिन्टेन्डेन्ट के पास पहुंचता है। ऑक्ट्रोय सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब कहते हैं, मैं चुंगी कैसे रोक दूं ?

(१. म. प.)

उन्होंने कहा कि हमारे पास इन्वोइस है, किसी कौल साहब के नाम की है तो वह कहता है कि गैर-कानूनी तरीके से अगर ट्रक चुंगी नहीं देकर जाता है तो ट्रक प्रवेश नहीं कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, उसका नतीजा यह निकलता है कि ट्रक के ऊपर चुंगी चार्ज नहीं होती है और कौल साहब के नाम से वह खबर करता है और उसके बाद सुपरिन्टेन्डेन्ट को चार्ज-शीट दी जाती है, उसका पेमेन्ट रोक दिया जाता है, उसका ग्रेड इन्क्रीमेन्ट रोक दिया जाता है। मैं सदन के सामने लादूराम का बयान पढ़ कर सुनाता हूं। सदन के सामने रघुवीरप्रसाद और नारायणदास के बयान

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

पढ़कर सुनाता हूं । सदन के सामने रघुवीर प्रसाद और नारायणदास के बयान पढ़ कर सुनाता हूं । ऑक्ट्रॉय सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब ने जो लिखा है चैयरमैन, म्युनिसिपल बोर्ड को वह पढ़कर सुनाता हूं ।

श्री अध्यक्ष : पढ़कर नहीं सुनायें । पहले तो आप यह बताइये कि ये लाये कहां से हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चुंगी से बाकायदा ।

श्री अध्यक्ष : ऑथेन्टिकेटेड कॉपीज़ हैं उनकी ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह तो नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : तथ्य तो आपने बता दिये । अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है । अच्छा तो यह है आप रख दें सदन की टेबल पर और अगर उचित समझेंगे तो स्वीकार कर लिये जायेंगे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सदन की मेज पर रख देता हूं ।

लादूराम ने बाद में चार्ज टेक ओवर किया । रघुवीरप्रसाद, नारायणदास को विलायतीराम दबाते हैं कि मुगल-ए-आजम राजस्थान का ट्रक आ रहा है इसलिये बराये मेहरबानी चुंगी वसूल न की जाय । मैं निहायत अहम-फहम भाषा में अर्ज कर रहा हूं । तो, अध्यक्ष महोदय, जिस राज्य के फाइनेन्स मिनिस्टर की नियत यह हो कि चुंगी का इवेज़न किया जाय, जिस राज्य का फाइनेन्स मिनिस्टर अनुचित रूप से एक इन्स्टीट्यूशन की जमीन दबा ले, जिस राज्य के फाइनेन्स मिनिस्टर साहब बाकायदा म्युनिसिपल बोर्ड के ऊपर अपनी मिनिस्ट्री का प्रेशर लाकर इल्लीगल कार्यवाही करायें, इल्लीगल कार्यवाही से भवन का निर्माण करे, उस राज्य में समाजवाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्वप्न कहां तक पूरा हो सकता है ?

अन्त में मैं अर्ज करूंगा कि मैं बताता हूं आपको ऑल्टर्नेटिव्ज़ । आप कहते हैं कि केवल एक एक्साइज़ ड्यूटी, केवल यह आप की स्मॉल सेविंग स्कीम के आधार पर नहीं हो सकता है, बेटरमेंट लेवी और सैल ऑफ लैण्ड समाजवाद का आधार नहीं हो सकते हैं......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अगर आधार हो सकते हैं तो इसका आधार होगा, ३ मिलियन पौंड्स वूल का प्रोडक्शन होवेगा, माइका का ट्रेड है, इसके अन्दर आप स्टेट ट्रेडिंग कर सकते हैं, मिनरल्स का अखंड भंडार भरा हुआ है । आप ७ लाख इसमें वसूल करने की बात कहते हैं उनकी लाइसेंस फीस पर । यह मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि लाखों रुपया वसूल किया जा सकता है और राज्य की इकोनॉमी का जैनरेटर बनाया जा सकता है हेवी इन्डस्ट्रीज़ लागू करके, राजा-महाराजाओं की तनख्वाह लेकर व आतिश, जिसके अन्दर किसी जमाने में घोड़े बंधा करते थे आज इस राज्य के अन्दर उसमें २०० दुकानें बनाई जाती हैं और १००-१०० रुपया किराया वसूल किया जाता है । आज मोहन-

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

लालजी मुखाड़िया के प्रजातन्त्र में उसमें नहीं जाया जा सकता है, मुगल गार्डन्स के अन्दर जाया जा सकता है, लेकिन त्रिपोलिया बाजार में एक सिपाही खड़ा है और थोरो फेयर है उसके अन्दर नहीं जाया जा सकता है। आज आपके राज्य के अन्दर यह बैठे हैं और आप कहते हैं कि इनसे वायदा किया है; तो अन्त में मैं यह कहूंगा कि आपने लगातार वायदे किये हैं, राजस्थान के दो करोड़ लोगों से वायदे किये हैं। इन २०-२१ लोगों से जो वायदे किये हैं व वायदे हैं और जो दो करोड़ लोगों से वायदे किये हैं वे वायदे नहीं हैं, तो समाजवाद की तरफ जो हमको जाना है उसके लिए मैं एक शेर अर्ज करूंगा कि राजस्थान की जनता उनको क्या कहेगी—
वादों में कट गई, कुछ वादों में कट जायेगी,
आंखें फिरेंगी तब हमको वफा याद आयेगी।

राजस्थान की जनता ने १८ साल से वफा की है और ज्यादा वफा नहीं की जा सकती है। यदि यही नीति और यही समाजवाद है तो राजस्थान की जनता आपको उठा कर फेंक देगी।

श्री परसराम मदेरणा : वह राजस्थान की जनता सोचेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री आनन्दसिंह कछवाहा!

श्री आनन्दसिंह कछवाहा (जोधपुर शहर प्रथम) : अध्यक्ष महोदय, आज बजट पर बहस के पांच दिन हो रहे हैं और बहुत से माननीय सदस्यों ने विभिन्न विषयों पर अलग अलग राय दी है। मैं उन पर ज्यादा कह कर आपका समय नहीं लेना चाहता लेकिन खास बात जो रह गई है मैं उसको बताना चाहता हूं।

जिस वक्त बजट पेश होने वाला था तो सब की धारणा यही थी कि यह जो बजट नया आने वाला है उसमें किसी प्रकार का नया कर नहीं लगेगा, लेकिन जब बजट हमारे सामने आया तो देख कर सब चकित हुए। भारत सरकार का जो बजट आया उसमें भी किसी प्रकार का नया कर नहीं लगाया गया, पंजाब का भी बजट आया उसमें भी किसी प्रकार का नया कर नहीं लगाया गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान का जब बजट आया तो उसमें (१,५५,००,०००) रु० के नये कर लगाये गये हैं। उसमें मैं समझता हूं कि कुछ वाजिब तौर के हैं और कुछ गैर-वाजिब तौर पर। जहां तक यह प्रोविजन किया गया है कि बूढों और अपंगों की पेन्शन बढ़ाई जाय और लड़कियों की शिक्षा के लिए अधिक धन का प्रोविजन किया गया है, और राजस्थान के कर्मचारियों की वेतन-वृद्धि के लिए प्रोविजन किया गया है, उसकी मुझे खुशी है, लेकिन जो नये कर आप लगाने बैठे हैं उस वक्त मैं यह देखता हूं कि सरकार द्वारा नये आमदनी के जरिये नहीं ढूंढे जाते हैं जिसकी वजह से नये कर लगाने पड़ते हैं। अगर आमदनी के जरिये ढूंढे जायं या फिजूलखर्ची जो कि राजस्थान में हो रही है उसको बन्द अगर किया जाय तो नये कर लगाने की जरूरत न पड़ेगी। मिसाल के तोर पर, फिजूलखर्ची

(श्री आनन्दसिंह कछवाहा)

जो हो रही है जैसे कि अन्य माननीय सदस्यों ने बताया कि खादी बोर्ड, भारत सेवक समाज, समाज कल्याण में सहकारी धन का दुरुपयोग और सरकारी इन्वेस्टमेंट में जो इन्कम होती है वह बहुत कम होती है, और सरकारी जो बकाया की वसूली है वह बराबर नहीं हो रही है। इस प्रकार से और भी यह जो फिजूलखर्ची हो रही है, बड़ी बड़ी कारों में मिनिस्टर लोग घूमते हैं जो कि एक लाख की गाड़ी होती है। इसे आज रोककर एम्बेसेडर कार लेकर चलें तो १४,०००) रु० की गाड़ी में ही काम चल सकता है। कारों पर झण्डी लगाने की आज्ञा नहीं है, लेकिन फिर भी गांवों में झण्डी लगाकर मिनिस्टर पहुंचते हैं जिससे जनता पर बुरा प्रभाव पड़ता है और समाजवाद के जमाने में जनता में इन्फीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नजर आता है। इस प्रकार की संस्थाओं में फिजूलखर्ची जो हो रही है, उसको रोका जाय और राजस्थान का जो इन्वेस्टमेंट है, जो रुपया लगा हुआ है, उससे ज्यादा से ज्यादा आमदनी हो उसकी ओर जरा ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। इससे सरकार लाखों की किफायत कर सकती है।

राजस्थान बहुत ही पिछड़ा हुआ देश है। यहां अकाल अक्सर पड़ता रहता है, लोग बड़े गरीब है। उसकी दशा को देखते हैं तो राजस्थान में पर-कैपिटा टैक्स सबसे कम होने के बजाय सबसे ज्यादा है, जब कि पर-कैपिटा इन्कम में राजस्थान अन्य प्रान्तों के मुकाबले में छठे नम्बर पर है। यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न है।

प्रति वर्ष जब टैक्स लगाया जाता है तो बहुत ही अच्छा हो यदि सरकार समाज को नुकसान पहुंचाने वाली वस्तुएं हैं उनके ऊपर टैक्स लगाये या बढ़ाये। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि यहां पर शराबबन्दी कर दी जायेगी। मगर अफसोस है कि यह नहीं है रहा। अफीम, गांजा, भंग यह सब जो नशे की चीजें हैं जिनसे स्वास्थ्य व समाज को नुकसान पहुंचता है, राष्ट्र को नुकसान पहुंचता है, उन पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाकर अगर सरकार उनको बन्द करने की कोशिश करे तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन दुर्भाग्य से अफीम व शराब पर जो अभी टैक्स लगाया है वह सिर्फ १० परसेन्ट ही लगाया है; यह अगर ५० परसेन्ट लगाया होता तो १ करोड़ ५५ लाख के जो नये कर लगाये हैं उनमें से काफी कमी इससे ही कर सकते थे।

मनोरंजन कर बढ़ाया गया है उसका मैं घोर विरोध करता हूं और उसका कारण बताता हूं! क्योंकि मनोरंजन हरेक व्यक्ति के लिये आवश्यक हो गया है, व्यवसाय में लगा प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी काम में व्यस्त रहे तो उचित है अन्यथा उसे उलटा कार्य ही करने को सूझेगा। यदि बहुत अधिक मनोरंजन कर लगा दिया जाता है तो ५ बार सिनेमा देखने वाला एक दिन ही देखेगा और हफ्ते में चार दिन तक बेकार रहेगा तो उसका मन खराब प्रवृत्तियों की ओर जायगा; जूए की ओर, शराब की ओर या दूसरे कामों की ओर जायगा। भारतीय योजना जो भी बनाई गई है उसमें खाद्यान्न को सबसे अधिक महत्व दिया गया है।

(श्री ग्रानन्दसिंह कछवाहा)

भारत में खाद्यान्न की सबसे बड़ी समस्या है। उसके लिये परिवार नियोजन आवश्यक रखा है ताकि आबादी गिर सके। लेकिन आबादी घटाने के लिये यह भी जरूरी है कि मनुष्य को ज्यादा एंगेज्ड रखा जाय और उसके लिये सस्ते मनोरंजन की व्यवस्था हो। यदि सस्ते मनोरंजन की व्यवस्था नहीं रही तो परिवार नियोजन को भी धक्का लगेगा।

आज समाजवादी व कल्याणकारी राज्य में आम गरीब लोगों को राहत देने की भावना बता रहे हैं। लेकिन वह झूठ व गलत है। आप जितने टैक्सेज लगाते हैं वे अधिकतर गरीबों पर ही लगते हैं। आपने मनोरंजन कर लगाया है वह गरीबों पर ही है, क्योंकि सिनेमा से जो आमदनी होती है उसका ७५ परसेन्ट कलेक्शन गरीबों से यानी लोअर क्लासेज से ही आता है, अपर की क्लासेज से कलेक्शन मिलता जरूर है लेकिन कम मिलता है। वित्त मंत्रीजी ने सिनेमा के आगे कभी शायद भीड़ भाड़ देखी होगी इसलिये सोचा होगा कि सिनेमाओं में हमेशा भीड़-भाड़ रहती है इसलिये उन्होंने ४० परसेन्ट, ५० परसेन्ट, ६० परसेन्ट, दिमाग में आया जैसा मनोरंजन कर लगा दिया। मैं समझता हूं इससे गरीबों पर बड़ा भारी भार पड़ा है। आप पड़ोसी राज्यों की बराबरी का बहाना बनाते हैं क्योंकि वहां ज्यादा कर था और हमारे यहां कम था इसलिये बराबर लाने के लिये हम यहां भी मनोरंजन कर बढ़ा रहे हैं। लेकिन आपने साथ ही साथ यह तो देखा होता कि वहां के लोगों की पर-कैपिटा इन्कम कितनी है और हमारे यहां के लोगों की पर-कैपिटा इन्कम कैसी है? यहां की जनता गरीब है, यहां आये साल अकाल पड़ते रहते हैं। आपका ध्यान तो पड़ोसियों के बराबर कर लगाने की ओर गया लेकिन उनके बराबर पर-कैपिटा इन्कम करने की ओर आपका ध्यान नहीं गया, इसका अफसोस है। आप पड़ोसी राज्यों के संबंध में जानकारी चाहें तो मेरे पास आंकड़े हैं उनसे आप राजस्थान में जो मनोरंजन कर लगाया है उससे मुकाबला कर लें।

यहां पर आपने १) रु० तक के टिकट पर ४० परसेन्ट मनोरंजन कर लगाया है, १) से २) रु० तक के टिकट पर ५० परसेन्ट लगाया है और २) रु० से ऊपर के टिकट पर ६०) परसेन्ट कर लगाया है। यह बहुत ज्यादा टैक्स है और ज्यादातर गरीबों पर पड़ता है। अब पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र को लीजिये। महाराष्ट्र में बड़े बड़े शहर हैं, वहां पर १) तक के टिकट पर ३० परसेन्ट और गांवों में २५ परसेन्ट और १) से २) तक के टिकट पर शहरों ४५ व गावों में ४० परसेन्ट और उसके बाद ५५ परसेन्ट रखा गया। १० पैसे के टिकट पर कर बिल्कुल फ्री रख दिया गया है। इसी तरह गुजरात को लीजिये। वहां भी गांव में ४० पैसे तक २५ परसेन्ट, १ रु० ६० तक ३० परसेन्ट, २ रुपये ६० तक ४० परसेन्ट और इससे ऊपर ५० परसेन्ट रखा गया है। मगर शहरों में ५ परसेन्ट अधिक रखा है। उत्तरप्रदेश को लीजिये जो बहुत ही विकसित है और वहां की पर-कैपिटा इन्कम भी हमारे यहां से बहुत ज्यादा है। वहां पर टैक्स टिकट १२ से १६ पैसे तक १० परसेन्ट, १६

(श्री आनन्दसिंह कछवाहा)

से २५ तक टिकट पर १५ परसेन्ट, २५ से ५० तक के टिकट पर २५ परसेन्ट और ५० से १०० पैसे तक के टिकट पर ५० परसेन्ट रखा है। इसी तरह आप भी रखें तो गरीबों को राहत मिल सकती है। १) से २) रुपये के टिकट पर एक रुपया रखा है। इसी तरह पंजाब को लीजिये, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर को लीजिये वह भी बोर्डर एरिया है वहां पर फ्लेट रेट पर ४० व २५ परसेन्ट क्रमशः रखा है। उसी प्रकार दिल्ली को लीजिये जहां पर कि हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा पर-कैपिटा इन्कम है और जो भारत की राजधानी है, वहां भी आप देखेंगे कि वहां जो टैक्स लगा हुआ है उससे कहीं ज्यादा राजस्थान में लगाया गया है। वहां पर १२ पैसे से १९ पैसे तक का टिकट है उस पर ३ नये पैसे, १९ से २५ पैसे तक के टिकट पर ६ पैसे, २५ से ५० तक के टिकट पर १२ पैसे, ५० से १०० पैसे तक के टिकट पर २५ पैसे, १ रु० से २ रु० तक के टिकट पर ५० पैसे और २) से ३) तक के टिकट पर ७५ पैसे लगा हुआ है। कृपया नोट तो करें कि दिल्ली जैसी राजधानी में भी कितना कम टैक्स लगा हुआ है। मध्य प्रदेश में जावें तो ३० परसेन्ट १ रु. तक के टिकट पर और उससे ऊपर के टिकट पर ३३$\frac{1}{3}$ परसेन्ट ही टैक्स लगा हुआ है। वैस्ट बंगाल में २० से ५० पैसे तक के टिकट पर २५ पैसे और १ रु. तक के टिकट पर ४० पैसे और १) से ३) तक के टिकट पर ७५ पैसे टैक्स लगा हुआ है। इसी प्रकार आसाम को लीजिये। आसाम में १) से कम टिकट पर २५ परसेन्ट, १) से २) तक के टिकट पर ३७॥ परसेन्ट और २) से ऊपर के टिकट पर ५० परसेन्ट लगा हुआ है। इसी तरह उड़ीसा में १) रु. के टिकट पर २५ परसेन्ट और १) रु० से ३) रु०तक ३३$\frac{1}{3}$ परसेन्ट टैक्स है और ३) रुपये के ऊपर के टिकट पर ५०% टिकट है। इसी प्रकार आन्ध्र में १.४० रु. के टिकट पर २० परसेन्ट और डेढ़ रुपये तक के टिकट पर २५ परसेन्ट और डेढ़ रुपये से ऊपर के टिकट पर ५५ परसेन्ट कर लगा हुआ है। इसी तरह मद्रास को लीजिये, ३० पैसे तक के टिकट पर २५ परसेन्ट व ३० पैसे से डेढ़ रुपये तक के टिकट पर ३०$\frac{1}{3}$ परसेन्ट, १.५० रु. के ऊपर ४०% है। इसी तरह मैसोर में ५० पैसे के टिकट पर २० परसेन्ट व डेढ़ रुपये तक के टिकट पर २५ परसेन्ट और ३) तक के टिकट पर ३० परसेन्ट और ३) से ऊपर के टिकट पर ३५ परसेन्ट है। राजस्थान के वित्त मंत्रीजी ने बताया था कि हम पड़ोसी राज्यों का मुकाबला करने जा रहे हैं, यह बिलकुल गलत है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपने राजस्थान में यह कर चालू रखा तो कई सिनेमा बंद हो जायेंगे और आप जो १६ लाख रुपये इस मनोरंजन कर से वसूल करने का स्वप्न देख रहे हो वह हरगिज पूरा होने वाला नहीं है।

विदेशों को ही लीजिये। वहां पर सिनेमा को केवल मनोरंजन का जरिया ही नहीं माना है, बल्कि उसको शिक्षा का माध्यम भी माना है। इस वैज्ञानिक तरीके से आदमी जो पढ़े-लिखे नहीं हैं और पढ़-लिख नहीं सकते हैं इसके लिये जिनको समय नहीं मिलता है वे सिनेमा में जाकर नयी नयी बातें देख सकते हैं और बहुत कुछ सीख

(श्री आनन्दसिंह कछवाहा)

सकते हैं; खाद्यान्न किस प्रकार बढ़े, उद्योग किस प्रकार बढ़ सकता है, देश व विदेश में क्या हो रहा है, भविष्य में वे क्या करने जा रहे हैं; इस प्रकार की शिक्षा उनको सिनेमा के जरिये प्राप्त होती है। इसी तरह से हमारे यहां जो न्यूज रील्स दिखाई जाती हैं उनसे शिक्षा मिलती है। इसी प्रकार विदेशों में सिनेमा घरों को शिक्षा का माध्यम माना गया है और हर गांव में ज्यादा से ज्यादा सिनेमा बनाने की कोशिश की जा रही है। मिसाल के तौर पर मैं बताऊंगा कि रूस में २३ करोड़ की आबादी है और वहां पर ४३००० सिनेमा घर हैं। वहां पर थाउज़ेन्ड आबादी के पीछे ६० सीट्स रखी हैं। अमेरिका की आबादी १८ करोड़ है और वहां पर १८२०० सिनेमा घर हैं और आबादी के पीछे पर थाउज़ेन्ड ५५ सीट्स रखी हैं। इसी तरह से इंग्लैण्ड के अन्दर जहां ५ करोड़ ६० लाख की आबादी है वहां पर ३,८३० सिनेमा घर हैं और वहां पर पर-थाउज़ेन्ड ५५ सीट्स रखी गई हैं। भारत का नाम मैं बाद में लूंगा। इससे पहले मैं यूगोस्लेवेकिया का बताऊं। युगोस्लेवेकिया की आबादी १ करोड़ ६५ लाख है और वहां पर १५५६ सिनेमा घर हैं और पर-थाउज़ेन्ड ३० सीट्स आती हैं। जापान की आबादी ९ करोड़ ८५ लाख है, वहां पर ८८०० सिनेमा घर हैं और पर-थाउज़ेन्ड ४५ सीट्स रखी हैं। इटली के अन्दर ५ करोड़ १० लाख की आबादी है और वहां पर १०,५०० सिनेमा घर हैं और पर-थाउज़ेन्ड ८५ सीट्स हैं। जर्मनी की ५ करोड़ ६० लाख की आबादी के अन्दर ६,७०० सिनेमा घर हैं और पर-थाउज़ेन्ड ४० सीट्स आती हैं। फ्रांस के अन्दर ४ करोड़ ८० लाख की आबादी है, वहां पर ५,७२३ सिनेमा घर हैं और पर-थाउज़ेन्ड ६२ सीट्स आती हैं। ईजिप्ट की आबादी २ करोड़ ५० लाख यानि राजस्थान के बराबर आबादी है, वहां पर ३८९ सिनेमा घर हैं और पर-थाउज़ेन्ड १५ सीट्स आती हैं। कनाड़ा की आबादी १ करोड़ ७० लाख है और वहां पर १८३२ सिनेमा घर हैं और पर-थाउज़ेन्ड ६५ सीट्स आती हैं। बेल्जियम की आबादी १ करोड़ १० लाख है और सिनेमा घर १,६८४ हैं और पर-थाउज़ेन्ड ८८ सीट्स आती हैं। अर्जेन्टाइना की आबादी २ करोड़ की है, जो राजस्थान के बराबर है, वहां २५३१ सिनेमा घर हैं और पर-थाउज़ेन्ड ५३ सीट्स आती हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भारतवर्ष के अन्दर ४४ करोड़ की आबादी है, वहां सिर्फ ४,४२० सिनेमा घर हैं और केवल ५ सीट्स पर-थाउज़ेन्ड रखी गई हैं। दुनिया के अन्दर जितने विकासशील देश हैं इनमें सबसे कम सीट्स और सिनेमा घर भारतवर्ष के अन्दर हैं। जहां संसार के अन्दर शिक्षा का माध्यम सिनेमा को मानकर इस सिनेमा उद्योग, फिल्म इन्डस्ट्री को एन्करेज किया गया है, उसी तरह से विज्ञान के युग के अन्दर सभी जगह इस सिनेमा उद्योग को शिक्षा का माध्यम माना गया है। इस दृष्टि से राजस्थान, जो एक पिछड़ा हुआ प्रान्त है, एक बैकवर्ड स्टेट है, जहां आधा भू-भाग तो बिल्कुल सूखा हुआ है, वहां पर ६० परसेन्ट टैक्स लगा दिया जाय, ५० परसेन्ट टैक्स लगा दिया जाय और ४० परसेन्ट टैक्स लगा दिया जाय तो सिनेमा घरों के मालिक जो हैं वे

(श्री आनन्दसिंह कछवाहा)

बिल्कुल इससे उत्साहित नहीं होंगे और आयन्दा सिनेमा घर नहीं बनायेंगे । आपने जो टैक्स लगाया है उसका हिसाब लगाकर देखें तो आपको मालूम होगा कि करीब अधिकतर सिनेमा घरों को लोस में जाना पड़ेगा और बहुत जल्दी ही एक साल, दो साल में सिनेमा घरों को बन्द करना पड़ेगा, यदि आपने इन रेट्स को रिवाइज नहीं किया तो ?

यदि राजस्थान के अन्दर आप सबको शिक्षा देना चाहते हैं तो इस वैज्ञानिक माध्यम को अपनाना पड़ेगा । जब राजस्थान बना था तब डेढ़ करोड़ रुपया शिक्षा पर प्रति वर्ष खर्च किया जाता था जब कि आज १५ करोड़ रुपया शिक्षा पर खर्च किया जाता है । उसके बाद भी आप दो करोड़ आदमियों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं । ऐसी सूरत में शिक्षा का माध्यम आपको सिनेमा घरों को बनाना पड़ेगा । यदि आप सिनेमा घरों को शिक्षा का माध्यम नहीं बनायेंगे तो आने वाले सौ वर्ष तक भी आप सब लोगों को शिक्षित नहीं कर सकेंगे ? जो आज इल्लिट्रेट हैं उनको पढ़ा-लिखा नही पायेंगे । आज दुनियां में क्या हो रहा है, हिन्दुस्तान में क्या हो रहा है, किस तरह अन्न का उत्पादन बढ़ सकता है, किस तरह उद्योगों का विकास हो सकता है–यह सब उनको इसके बिना नहीं बता सकेंगे......

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आपके कहने के अनुसार गांव वालों को शहर के सिनेमा घरों में लाकर पढ़ाया जाय ?

श्री नत्थीलाल (नदबई) : यह तो ज्ञान-विज्ञान का संगम है ।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : मैंने जब विदेशों के आंकड़े बताये थे उस वक्त आप सुन नहीं रहे थे, सो रहे थे ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मैं सो नहीं रहा था । मैं सुन रहा था ।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : आप शांति से सुन लीजिये मैं आगे क्या कह रहा हूं ।

तो इस तरह दूसके मुल्कों में ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा देने के साथ, उनको ट्रेनिंग देने के लिए इसका उपयोग होता है, वहां आपके लिए यह हंसी और मजाक की बात हो गई है और कहते हैं कि गांव के लोगों को शहर में लाकर पढ़ायें । क्या सिनेमा घर गांवों में नहीं होने चाहिए ? जहां गांवों में सिनेमा घर नहीं हैं वहां सिनेमा घर बना कर उनके द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षा दी जा सकती है । अगर यह मान्यता नहीं रही तो जितने इस एसेम्बली में माननीय सदस्य बैठे हुए हैं वे अपनी लाइफ के अन्दर क्या, सौ वर्ष के अन्दर भी यहां के अधिकतम लोगों को शिक्षा और ट्रेनिंग नहीं दे पायेंगे ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): बिल्कुल सही है ।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, वित्त) : टेलीविजन लग जायेंगे, जनाब ।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : और भी अच्छा होगा ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): He has got an argument in his favour.

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : भारतवर्ष के अन्दर जो फिल्म उद्योग है उसके लिए मैंने बताया कि जहां भारतवर्ष की आबादी ४४ करोड़ की है वहां केवल ४,४२० सिनेमा घर हैं और पांच सीट्स प्रति हजार व्यक्तियों के लिए रखी गई हैं और इस पर जो रुपया लगाया गया है, हम मानते हैं कि हिन्दुस्तान काफी समय तक गुलाम रहा लेकिन पन्द्रह वर्ष हो गये हैं इसको आजाद हुए, इस समय के अन्दर भी बहुत कम धन इस उद्योग पर लगा सके हैं। इस समय फिल्म उद्योग के अन्दर ८४ करोड़ रुपये का धन लगा हुआ है, उसमें प्रोडक्शन और एग्ज़ीबीशन भी शामिल है। इसके अलावा फिल्म इन्डस्ट्री का करीब १ लाख फेमिलीज़ लाभ उठा रही हैं और फिल्म उद्योग के द्वारा विदेशी मुद्रा भी करोड़ों की राशि के रूप में प्राप्त होती है। लेकिन नये नये टैक्सों के कारण से फिल्म प्रोडक्शन कम होता जा रहा है और इससे विदेशी मुद्रा को नुकसान होता जा रहा है। ऐसी सूरत में मैं निवेदन करूंगा कि वित्त मंत्री इस पर दुबारा विचार करें। मैं वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं बात तो वे बाद में कर लें, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिये......

श्री नत्थीलाल (नदबई) : माननीय सदस्य ने जो कहा वह आपने कतई नहीं सुना।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : जो आंकड़े मैं सुना रहा हूं वे खास तौर से वित्त मंत्री को सुनाना चाहता हूं। इसकी ओर वे ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष : आप आंकड़े दुहराना मत।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : दोहराऊंगा नहीं। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : जरूरी बात कह रहे हैं।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : वित्त मंत्रीजी इसको ध्यान से सुन लें तो लोगों को जाकर खुशामद नहीं करनी पड़ेगी।

जहां देहली के अन्दर पर-कैपिटा इन्कम अधिक से अधिक आती है वहां राजस्थान के अन्दर पर-कैपिटा इन्कम का नम्बर छटा आता है और वह भी पर-कैपिटा इन्कम गिर रही है। जब वह गिर रही है तो मैं समझता हूं कि टैक्स बढ़ाने का सवाल पैदा नहीं होना चाहिए और अगर टैक्स बढ़ाना ही है तो ऐसी चीजों पर बढ़ाना चाहिए जैसे मादक द्रव्य हैं और दूसरी तरह की चीजें हैं। मनोरंजन कर जो राजस्थान में लगाया गया है अथवा बढ़ाया गया है, मैं समझता हूं कि वह कतई नासमझी से लगाया गया है। उसका नमूना मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसी कि कहावत है, "अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा," वही यहां हुआ है। वह किस तरह से हुआ ? आपने सारे राजस्थान के

(श्री आनन्दसिंह कछवाहा)

लिए १ रुपये तक ४० परसेन्ट, दो रुपये तक ५० परसेन्ट और २ रुपये के ऊपर ६० परसेन्ट रख दिया, चाहे वहां सिनेमा घर पांच लाख की आबादी के शहर में हो, जयपुर जैसे शहर में, और चाहे जैसलमेर जैसी जगह में हो यानि जहां तीन हजार, पांच हजार, दस हजार की आबादी भी है, चाहे बाड़मेर में हो, चाहे जालोर में हो, चाहे छोटे से छोटे स्थान में हो–आप यह भी जानते हैं कि राजस्थान आधे से अधिक डेजर्ट है, वहां भी सिनेमा घर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं आप जयपुर का मामला ले लीजिये, जो राजधानी है, यहां की पांच लाख की आबादी है—यहां केवल सात सिनेमा है। जयपुर के बाद अजमेर और जोधपुर का नम्बर आता है। जयपुर लार्जेस्ट टाउन है, इसके बाद अजमेर और जोधपुर में मिलाकर ११ सिनेमा घर हैं। तीसरे नम्बर के शहर हैं; कोटा, बीकानेर, उदयपुर वगैरह, उनमें करीब ९ सिनेमाघर हैं। और पाली, गंगानगर वगैरह इस तरह के छोटे शहर है उनमें कुल मिला कर १३ सिनेमा घर हैं। इस तरह से राजस्थान में कुल मिला कर १३५ सिनेमा घर हैं। उनमें से ९५ सिनेमा घर छोटी छोटी बस्तियों में हैं, वहां पर भी यह ४० परसेन्ट, ५० परसेन्ट और ६० परसेन्ट टैक्स लगाया है। मैं समझता हूँ कि इन टैक्सों के कारण यह ९५ सिनेमा घर बन्द हो जायेंगे और जो आप १६ लाख की आमदनी का सपना देख रहे हैं, वित्त मंत्रीजी, वह १६ लाख के बजाय आपको ६ लाख भी नहीं मिलने वाला है···

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप बात कर लें, फिर कम कर देंगे।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : कन्विन्स हो गये हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। सदन के नियमों के अनुसार माननीय सदस्य या मंत्री महोदय आपस में बातचीत नहीं कर सकते। पांच-सात मिनट से वित्त मंत्री और खाद्य मंत्री निरन्तर बातचीत कर रहे हैं बजाय इसके कि जो माननीय सदस्य बात कर रहे थे उस बात को वह सुनें। लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : मुझे ऐसा लगता है···

श्री अध्यक्ष : यह बातचीत सम्भवतया सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित है।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : अगर यह टैक्स लागू हो जाय···

श्री मानिकचन्द सुराणा : जो इस सम्बन्ध में रूल है, वह जब तक माननीय मंत्री महोदय बात कर लें तब तक के लिए रिलेक्स फर्मा दिया जाय। या मन्त्री महोदय को कह दिया जाय कि वह बात न करें। मेरा निवेदन है कि सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित कोई बातचीत कर रहे हैं तो तब तक के लिए वह रूल सस्पेन्ड कर दिया जाय।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : मेरे डिप्टी फाइनेन्स मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं और वे नोट्स ले रहे हैं और मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य को इसमें क्या एतराज है ?

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : मैं वित्त मंत्रीजी से नम्र निवेदन, अध्यक्ष महोदय, आपके थ्रू करना चाहता हूं कि वे कृपया बतावें कि मैंने क्या क्या बातें कहीं ?

श्री बालकृष्ण कौल : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने मुझे पूछ लिया। मैं यह कहूंगा कि जितनी आपने बातें कहीं वे उसी चीज से सम्बन्धित हैं जिसका वे पेशा करते हैं। इसलिए आप एन्टरटेंमेन्ट के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन सरकार ने जो टैक्स बढ़ाया है वह···

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अगर इस प्रकार बातें करने का रवैया शुरू हो गया तो इसका कोई अन्त नहीं होगा।

अगर मैं किसी बात की विशेष जानकारी रखता हूं तो मेरा यह कर्तव्य हो जाता है कि मैं उनको बताऊं और आप उसको उसी रोशनी में सुनें।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : वे ज्यादा समझते हैं। जबकि हम उनको हैन्डल करते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि···

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री भी अपना पेशा कर रहे हैं।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी से पूरी बातें कह दीजिए।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : उन्होंने कहा कि मैं सिनेमा चलाने का पेशा करता हूं और इस नाते मैं इन्ट्रेस्टेड हूं। ठीक है मैं सिनेमा एसोसियेशन का अध्यक्ष भी हूं लेकिन फिर भी मेरा फर्ज हो जाता है कि विशेष जानकारी इस सब्जेक्ट पर मैं रखता हूं वह आपके सामने रखूं। इसलिए मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि टैक्सेज बढ़ाने का जो प्रावधान रखा है वह बिल्कुल अनुचित है और मैं समझता हूं कि शायद उन्होंने इसलिए टैक्स बढ़ाना ठीक समझा होगा कि असेम्बली आते समय उन्होंने किसी सिनेमा के सामने बड़ी भीड़ देख ली होगी और आपने यह समझ लिया होगा कि सिनेमा वालों सालों को बहुत ज्यादा आमदनी है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : "साला" की बात निकाल दी जावे।

श्री अध्यक्ष : अब आपकी सारी बातें मंत्री महोदय समझ गए हैं। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : मुझे तो इसलिए अर्ज करना था कि १३५ सिनेमा सारे राजस्थान में हैं जिसमें से ९५ सिनेमा तो ऐसे हैं जिनकी बहुत थोड़ी आमदनी है। जिनकी आमदनी १०० और १५० रु० रोज होती है। इसका असर सबसे पहले इन ९५

(श्री आनन्दसिंह कछवाहा)

सिनेमाओं पर होगा और सबसे पहले ये ६५ सिनेमा बन्द होंगे । आप यह समझते हैं कि जो आमदनी होती है वह ऊपर के टिकटों से होती है ? मैं कहूंगा कि ऊपर के टिकटों से आमदनी अधिक नहीं होती । ७५ परसेन्ट सिनेमा घरों में जो आमदनी होती है वह नीचे की सीटों से होती है । उस पर आपने टैक्स बढ़ाया है । आपने गरीब जनता के साथ न्याय नहीं किया है । अगर आप ५० पैसे के टिकट तक फ्री कर देते तो मैं समझता कि वास्तव में जिस प्रकार कहा करते हैं कि हम गरीबों की इमदाद करते हैं, आपको मान लेते कि वास्तव में आप गरीबों की इमदाद करते हैं । लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है । आप गरीबों के हमदर्दी होने की झूठी बातें कहते हैं । जिस सिनेमा वालों से अथवा अन्य व्यवसाय वालों से पूछते हैं तो वह कहता है कि अब आमदनी कम होती जा रही है । मुझे इस संबंध में अकबर बादशाह का एक छोटा सा किस्सा याद आ गया । एक बार अकबर बादशाह और उनके साथी शिकार खेलने को गये । बड़े बड़े वजीर उनके साथ थे.........

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह किस्सा आखिर किस पर पड़ेगा ?

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : आखिर में यह किस्सा जाकर कौल साहब पर पड़ेगा ।

श्री भैरोंसिंह : कौल साहब पर किस्सा पड़ेगा या शिकार पड़ेगी ।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : अकबर बादशाह शिकार को गया.........

एक माननीय सदस्य : आप तो अन्धेर नगरी और अनबूझ राजा की बात कहते थे ।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : वह तो इसलिए कहा था कि ५ लाख की आबादी वालों पर भी वही टैक्स और ५ हजार की आबादी वाले स्थानों में सिनेमागृहों पर भी वही टैक्स । उस संबंध में कहा था कि आपने तो खल और गुड़ सब एक भाव कर दिया है । अकबर बादशाह और उसके पांच साथी शिकार को गये । शिकार खेलने खेलते जंगल में अकबर बादशाह रास्ता भूल गये और उनके दूसरे साथी पीछे रह गये । बादशाह को बहुत प्यास लगी । बादशाह एक किसान के खेत में पहुंचा । वहां पर एक बुढ़िया बैठी हुई थी । उस बुढ़िया को बादशाह ने कहा कि अम्मा मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो । उसने यह नहीं समझा कि यह कोई राजा है । उसने गन्ने के खेतों में से एक गन्ना तोड़ा और लकड़ी के बने हुए चर्खे में उस गन्ने को डाल कर चर्खे को घुमा कर रस निकाल दिया और अकबर को कटोरा भर कर पीने को दे दिया । उस बुढ़िया ने देखा कि यह बहुत शरीफ आदमी है और प्यासा है इसलिये उसने उसको वह गन्ने का रस पिलाया । बादशाह ने जब वह मीठा गन्ने का रस पिया तो उसके दिमाग में आया कि बादशाह होकर भी हमें इतना अच्छा रस पीने को नहीं मिलता है और ये लोग मौज इतनी करते हैं । बादशाह अकबर ने उस बुढ़िया से पूछा, अम्मा इस खेत पर

(श्री आनन्दसिंह कछवाहा)

क्या टैक्स लगता है। उस बुढ़िया ने कहा कि ज्यादा तो नहीं है १॥ आना बीघा लगता है। बादशाह घर गया और उसने अपने फाइनेन्स मिनिस्टर कौल को बुलाया, सेक्रेट्री को बुलाया। कहा कि गन्ने के खेतों पर यानी सिनेमा पर अधिक टैक्स लगाओ। इनकी बहुत बड़ी इन्कम है। सेक्रेट्री से कहा कि सारे आंकड़े इकट्ठे करो। वास्तव में जब आॅर्डर निकलने वाला था, साल बीत गया बादशाह अकबर फिर शिकार को चला गया, और उसी तरह से रास्ता भूल गया और उसी गांव में अपनी प्यास बुझाने के लिए उसी बुढ़िया के पास पहुंचा। बादशाह ने बुढ़िया से कहा मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दे अम्मा। उस बुढ़िया ने कहा बेटा पहले गांवों में खातिर बहुत होती थी और कोई पानी मांगता था उसको दूध पिलाया जाता था; बैठो बेटा। वह उसी प्रकार खेत में गई और गन्ने ले कर रस निकाला। पहले एक गन्ने में कटोरा भर गया था मगर इस बार तीन चार गन्ने पेलने से कटोरा भरा। उस बुढ़िया ने कटोरा भर कर बादशाह को पीने के लिये दिया। उसने पूछा–"मैं एक बात पूछना चाहता हूं। एक साल भर पहले जब मैं आया था तो एक ही गन्ने से कटोरा भर गया था और अब की बार ४–५ गन्नों से भी कटोरा नहीं भरा।" इस पर उस बुढ़िया ने कहा, "बेटा, पूछो मत ? उसने कहा कि इसका कुछ न कुछ कारण है ? या तो मेरी नियत बिगड़ गई या बादशाह की नियत बिगड़ गई। इसलिये गन्ने में रस नहीं रहा है।" इसी तरह से जैसी सरकार की नियत होती है भगवान वैसी ही बरकत करता है?

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि वे खेत कहां हैं, जिस खेत से गन्ना खाया था।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : सैकड़ों खेत हैं। जिस तरह से बादशाह के दिमाग में आया उसी तरह वित्त मंत्री के दिमाग में आया कि सिनेमा घर पर अधिक टैक्स लगावे।

(कुछ व्यवधान उपस्थित होने पर)

आपजरा सुन लें

आपने ६ तारीख को टैक्स लगाये मगर सिनेमा वाले पहले ही कह रहे थे कि आमदनी बहुत कम होती जा रही है। बड़ी मंदी है। ६ तारीख को पता लग जावेगा।

अकबर बादशाह की क्या नियत थी, उसकी नियत के अनुसार एक गन्ने का रस छः गन्नों में बंट गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह बात वित्त मंत्री ने कही थी कि ६ तारीख को पता लग जावेगा।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : यह बात मैंने उनसे कही थी।

एक बात जो मैं कह देना चाहता हूं वह दुःख भरी बात है, वित्त मंत्रीजी को गुस्सा तो आवेगा और वे यह कहेंगे कि मैं सिनेमा में काम करने वाला हूं इसलिये यह कहना चाहता हूं। मैं बहुत सख्त बात कहने वाला हूँ और समझता हूं कि आप नाराज नहीं होंगे।

श्री बालकृष्ण कौल : कहिये, कहिये।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : अभी ६ तारीख को आपने टैक्सों का एनाउन्समेंट किया कि १ रु० तक के टिकट पर ४० फी सदी, २ रु० तक के टिकट पर ५० परसेन्ट, २ रु० से ऊपर के टिकट पर ६० फी सदी। ७ तारीख को आप श्रीमान् अजमेर पधारते हैं। ७ तारीख को सण्डे था। वहां पर चापलूस लोगों, भाई लोगों ने वहां नये अजन्ता सिनेमा में आपका स्पेशल सिनेमा शो का इन्तजाम कर दिया। उसमें वित्त मंत्रीजी और उनकी सारी फौज बैठे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने उस दिन कितना टैक्स दिया? आप वहां पर सिनेमा में बैठे या नहीं और बैठे, तो आपने कितना टैक्स दिया ?

मैं कहता हूं कि हमारे यानी सिनेमा मालिकों के लिये तो यह कहते हैं कि बिना टैक्स सिनेमा में नहीं बैठ सकते, वैसे देखा जाय तो सिनेमा सरकार का कमाऊ बेटा है, सब जगह कमाऊ बेटा होता है वहां उसकी घर में भी खातिर होती है, बाप देखता है कि बेटा कमाऊ है तो उसकी खातिर करता है; अच्छी रोटी, अच्छी सब्जी देता है, पर आप हमको जलील करते हैं, हम कमा कर देते हैं पर हम पर आप रेड करते हैं, पुलिस भेज दी जैसे चोर डाकू आये हुए हों, सिनेमा घेर लेते हैं, क्या कर रहे हैं, सब सिनेमा देखने वालों को डिस्टर्ब किया और नतीजा कुछ नहीं, सब टैक्स देकर बैठे हैं। रेड ही करना था तो ७ तारीख को अजन्ता सिनेमा अजमेर में। वित्त मंत्री १०० आदमियों के साथ अपनी फौज के साथ बैठे थे तो क्यों नहीं रेड किया ? कहां गये सब अफसर ?

श्री बालकृष्ण कौल : पर्सनल एक्स्प्लेशन दे दूं........

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : पूरा बयान कर दूं किस्सा।

श्री अध्यक्ष : पूरा किस्सा सुन लीजिये।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : अच्छी बात है, पहले आप फर्मा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आपको बोलना है तो बोल दीजिये, आप काफी बोल चुके हैं। सीधे मनोरंजन कर पर ५ मिनिट बोल कर समाप्त कर दें।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : ६ तारीख को घोषणा की मनोरंजन कर बढ़ाने की और ७ तारीख को कौल सहाब ने सिनेमा देखा पूरे लवाजमे के साथ और ८ व ९ को घोषणा कर दी कि 'हकीकत' फिल्म पर टैक्स फ्री। 'हकीकत' फिल्म सिनेमा बिजनेस पोइन्ट ऑफ व्यू से इतनी अच्छी है कि इससे ६ लाख के टैक्स का कलेक्शन होता है, ४०, परसेंट, ५० परसेंट, ६० परसेंट का एवरेज निकालते हैं तो ५० परसेंट होता है। मुगले आजम की पदवी आपको श्री हांडा ने दी थी मैं भी आपको पदवी देना चाहता हूं, बादशाहों के सामने जब कोई नृत्य किया जाता था तो मोतियों की माला फेंक दी जाती थी, उसी तरह आपने तीन लाख रुपये के टैक्स का सरकार को इस चित्र को कर मुक्त करके नुकसान पहुंचाया है........

(शेम-शेम की ध्वनि)

(श्री आनन्दसिंह कछवाहा)

इस तरह आपको करना था तो एक कमेटी बनाते और उसमें गवर्नमेंट के अधिकारियों को, असेम्बली के सदस्यों को लेते, फिल्म ट्रेड के रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज़ को लेते और उनकी राय लेकर ऐसा कर सकते थे। अगर उसमें नसीहत की बात है तो अच्छी बात है उसको टैक्स फ्री करना चाहिये, यह आपने अच्छा काम किया पर जिस तरीके से किया, जिस तरह से किया, गलत किया। पंजाब सरकार ने किया था तो इसलिये किया था कि पंजाब सरकार का १६ लाख रुपया निकल रहा था उसमें जिसने फिल्म बनाई। पर आपने तो जिस तरह मुगले आजम के ऑर्डर निकलते थे उस तरह से ऑर्डर निकाल दिया। अगर ३ लाख रुपये की माफी एक पिक्चर को देनी थी तो गरीबों पर यह ५० पैसे तक के टिकट पर टैक्स नहीं लगा कर राहत दे सकते थे?

मेरा सुझाव यह है कि मनोरंजन कर में उचित संशोधन करें। मेरी राय है कि ५० नये पैसे तक तो टैक्स नहीं होना चाहिये ताकि गरीबों को थोड़ी राहत मिले, फायदा मिले। इसके बजाय मादक द्रव्यों पर आप ५० परसेंट टैक्स लगाइये, विलायती शराब को आपने छोड़ दिया है क्योंकि बड़े आदमी पीते हैं। अफीम पर १० परसेंट टैक्स लगाया, उसके बजाय ५० परसेंट लगा देते, यह कोई समझदारी का काम नहीं हुआ है।

इसी तरह फालतू खर्चे जैसे कि भैरोंसिंहजी ने कहा, उनमें आप कमी कर सकते थे। मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि भारत सेवक समाज आज एक पेट-पालक समाज बन चुका है, टूटी हुई साइकिल लेकर जो आदमी घूमता था, जिसके पास खाने को नहीं था उसने एक लाख रुपया कमाया है, वह कहां कमाने गया? इसमें ४०-५० आदमी इस तरह अपना पेट भर रहे हैं। इसी तरह खादी बोर्ड बना वह भी मशहूर हो चुका है। मिल का सूत लाकर लोग खादी बनाते हैं, उसको हम सब्सिडी देते हैं, यह बन्द कर देनी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री अध्यक्ष : श्री भानुप्रसाद।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि वित्त मंत्री मेरे भाषण के दौरान में कुछ स्पष्टीकरण करना चाहते थे।

श्री भानुप्रसाद करड़िया : अध्यक्ष महोदय,........

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, जिस वक्त मैं निवेदन कर रहा था तो वित्त मंत्री महोदय खड़े हुए थे और क्लेरिफिकेशन करना चाहते थे; आपने हुक्म दिया था कि पूरा किस्सा सुन लें फिर स्पष्टीकरण करें....

श्री अध्यक्ष : वह आ जायगा, मन्त्री महोदय, जवाब देंगे तब।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : मैं उस वक्त शायद नहीं मिलूंगा।

श्री अध्यक्ष : यह तो आपके सोचने की बात है ।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया (चौमू) : अध्यक्ष महोदय, हमारा गांवों का राज्य पंचायतों के अधीन है. उस सम्बन्ध में मैं गवर्नमेंट से अर्ज करना चाहता हूं कि पंचायतों के तहत एजूकेशन है वह नहीं रहनी चाहिये । दूसरे यह है कि ५० रुपये से ज्यादा जुर्माना मुकदमों को लेकर नहीं कर सकते; मैं उदाहरण दूंगा कि ग्राम अचरोल में शिड्यूल्ड कास्ट के एक व्यक्ति से ४०० रुपये लिये और रसीद भी नहीं दी । मैं उस व्यक्ति का नाम भी बता दूं । उसका नाम है बोदू, सन ऑफ लक्ष्मीनारायण रेगर, जिसने अचरोल में मकान बनाया ।

गोविन्दगढ़ पंचायत समिति की इस प्रकार की कई शिकायतें हैं, पर मन्त्री महोदय, जिला परिषद् और कलेक्टर कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देते । तो फिर पंचायत समितियां और ग्राम पंचायतें खोलने से क्या मतलब, इनके खोलने की आवश्यकता क्या है ?

रिलीफ के लिये आवेदन दिये जाते हैं, रिलीफ के लिये तकावी, अनुदान दिये जाते हैं पर वह नाम मात्र को मिल पाता है । जिस प्रकार बन्दर को चने फेंक कर जाल में फंसाने का प्रयत्न किया जाता है उसी तरह से गरीब लोगों को इन अनुदानों के द्वारा जाल में फंसाया जाता है । न उनके हित के लिये बांध बंधाये जाते हैं, न सड़कें बनाई जाती हैं और न उनके लाभ के लिये दूसरे कार्य किये जाते हैं, तो फिर पंचायत समितियों और पंचायतों के खोलने का आधार क्या है ?

जिला परिषदों में हमारे शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ट ट्राइब्स के लिये रिज़र्वेशन होना चाहिए, एजूकेशन जिला परिषद् को दे रखी है वह नहीं देनी चाहिये, गवर्नमेंट के तहत होनी चाहिये; नहीं तो एजूकेशन का मामला राजस्थान में और बिगड़ जायगा ।

सहकारिता की आड़ में ढिंढोरा पीटा जाता है, पर समितियों के रजिस्ट्रेशन गलत कर दिये जाते हैं, लोन, अनुदान समय-समय पर नहीं मिलते, जो उनकी मीटिंगें रेगुलर होनी चाहिये वे नहीं होतीं और चुनाव सालाना होने चाहिये वे नहीं होते हैं । इस सम्बन्ध में मैं थोड़े से उदाहरण रखना चाहता हूं । जैसे खोरा बीसल बहुधंधी सहकारी संघ था, जिसके बारे में विधान सभा में कई बार सवाल उठाया गया, पर उनसे कोई वसूली नहीं हुई, जो आदमी हैं, वे पैसा खाकर बैठे हैं, व श्री हरिभाऊजी के दोस्त थे इसलिये बहुधंधी सहकारी संघ की एन्क्वायरी नहीं हुई, उस संघ का मकान है पर वह नीलाम करके वसूली नहीं की जाती है ।

इसी तरह शिव डूंगरी वार्ड कृषि सहकारी समिति है उसको रजिस्ट्रार साहब ने रजिस्टर किया, इसको जमीन नहीं दी गई, कई दफा भारत सरकार को, राज्य सरकार को और मन्त्री महोदय को लिखा गया पर अनुसूचित जाति की सहकारी समिति थी, गरीब लोगों की

Page No 64

(श्री भानुप्रसाद कराड़िया)

सहकारी समिति थी इसलिये इसे १०० बीघा ही जमीन दी गई और २०० बीघा जमीन और दूसरे जमींदारों को दी गई जिनके पास कि पहले से ही जमीनें हैं।

इसी प्रकार से चौमू के अंदर चमड़ा उत्पादक सहकारी समिति है और बसवा के पास एक गांव है वहां भी एक सहकारी समिति है। इस चमड़े के अंदर ४-४ जगह टैक्स लिया जाता है, कच्चे माल पर, पक्के माल पर और जूते बनने के बाद भी टैक्स लिया जाता है। घी के बराबर चमड़ा बिकता है।

जो भी किसी प्रकार के दलाल दलाली करते हैं, राजस्थान सरकार को उन पर टैक्स लगाना चाहिए।

दूध वाला एक एक सेर इकट्ठा करके दूध बेचता है उस पर ४-४ हजार और ५-५ हजार जुर्माना किया जाता है। यह अच्छी बात नहीं है।

अनुसूचित जातियों के लिए साढ़े बारह परसेन्ट स्थान हरेक विभाग में सुरक्षित हैं। कई बार आपने सर्क्यूलर भेजा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं है। समाज कल्याण मंत्री क्यों नहीं आदेश देते हैं ? किसानों, मजदूरों और अनुसूचित जातियों की वजह से आज राजस्थान में कांग्रेस सत्ता मौजूद है। अगर उनके पेट पर सरकार कुठाराघात करेगी तो यह सत्ता शायद आपके पास नहीं रहे।

हरिजनों के होस्टल्स में किताबों का प्रबन्ध नहीं, खाने का प्रबन्ध नहीं। कई दिक्कतें हैं, थोड़ा ख्याल रख कर काम करें।

चौमू कस्बे के अंदर तहसील एक कोने में है, उसके नीचे दो सौ गांव हैं। वहां सब गांवों के आदमियों को आना पड़ता है। वहां की जनता की यह मांग है कि कम से कम जनता की सुविधा के अनुसार इसको चौमू कस्बे में रद्दोबदल किया जाय।

दूसरे आपने पैट्रोल और डीज़ल पर टैक्स लगाया है और उसका सीधा असर जनता पर पड़ेगा क्योंकि पैट्रोल वाले अपनी जेब से तो देंगे नहीं। इसलिए पैट्रोल और डीज़ल पर टैक्स माफ करें। क्यों की वो जनता पर किराया बढ़ा देवें गे।

किसानों के लिए आपको कुछ करना चाहिए था। आप बताइए, राजस्थान में कितने कुओं में आपने बिजली लगवाई, कितने कुओं से आबादी की या यातायात के साधन दिए ? तीसरी पंचवर्षीय योजना में ऐसा प्रोपोज़ल कर लें ताकि कम से कम जो विकसित गांव हैं उनके अंदर कुओं में बिजली लगनी चाहिए और सड़क का निर्माण हो जाना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा चीजें गांव वाले उपलब्ध करें और बेकारी की समस्या खत्म कर सकें। इससे वे जो भी चीजें पैदा करेंगे, आसानी से शहर में ला सकेंगे और सस्ती मिल सकेंगी।

आपने वेतन बढ़ाए हैं लेकिन फोर्थ क्लास ऑफिसर्स के यहां २४ घंटे ड्यूटी दें और दूसरे लोग ८ घंटे ड्यूटी दें। होली और

(श्री मानुप्रसाद कराड़िया)

दीवाली जैसे त्योहारों पर भी उनको अफसरों के घरों पर लिपाई-पोताई करनी पड़ती है। उनका वेतन नाम मात्र का रखा है। क्लास फोर्थ सर्वेन्ट्स को कम से कम १००) रु० मिलने चाहिए, वह ५०), ६०) में क्या कर सकता है? मुख्य मंत्री ने रिज़र्व पुलिस लाइन्स के अंदर कहा था कि १००) रु० से कम वेतन कॉन्स्टेबलों का नहीं होगा।

एक गांव है ग्राम खोरा जयपुर जिले के अंदर। विकास कार्यों के अंदर उसका दूसरा नम्बर है। दो मील के अंदर बीस गांव पड़ते हैं और आबादी १५-२० हजार है। उप-शिक्षा मंत्री भी वहां गये थे लेकिन सरकार की तरफ से हाई स्कूल नहीं खोला जा रहा है। २० गांवों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है, यातायात के साधन नहीं दिए जा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि यातायात के साधन उपलब्ध करने की कृपा करें और गांवों में बिजली तो लगनी चाहिए।

आपने बड़े बड़े आंकड़े दिए। मोटे मोटे आंकड़े देने से कुछ भी नहीं होने वाला है। जो कानून आपने बनाए हैं उनको कार्य रूप में जब तक परिणत नहीं करेंगे तब तक समाजवादी समाज नहीं कहलाया जा सकता। चाहे पंचायत में, चाहे पंचायत समिति में, चाहे जिला परिषद में, बहुमत को नहीं देखना चाहिए, कानून को देखना चाहिए।

इसके अलावा आखिरी मांग मेरी यही है कि राजस्थान विधान सभा के सदस्यों के लिए कम से कम एजूकेशन निर्धारित करनी चाहिए, अगर अनपढ़ व्यक्ति आ जावे तो वह क्या करेगा? तो मैं राजस्थान सरकार और भारत सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी कमसे कम एजूकेशन निर्धारित करनी चाहिए। अनपढ़ आदमी आकर क्या कर सकता है?

मैं फिर निवेदन करूंगा कि सरकार मेरी प्रोपोजल्स की तरफ ध्यान देने की कृपा करे।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): बजट पर जो आम बहस हो रही है, उसका आज पांचवा दिन है और आखिरी दिन है। बहुत से मुद्दे माननीय सदस्यों ने उठाए हैं। मैं उन सारे मुद्दों में दुबारा नहीं जाऊंगा। राजस्थान सरकार का बहुत से मुद्दों पर एक दृष्टिकोण है, राज्य की बढ़ती हुई आय को लेकर राज्य सरकार का एक दृष्टिकोण है, राज्य की पर-कैपिटा आय क्या है, इस बारे में सरकार का एक दृष्टिकोण है, राज्य में खाद्य की स्थिति क्या है, इस बारे में भी सरकार का एक दृष्टिकोण है और कुछ मान्यताएं हैं। मैं उन सारे सिद्धातों के विवेचन में नहीं जाना चाहता कि जो मान्यताएं राज्य सरकार की हैं वे किस हद तक तथ्यों पर आधारित हैं। लेकिन बहुत सी मान्यताएं हैं जो निर्मूल हैं, मैं उनकी चर्चा यहां करता हूं। कल सदन में खाद्य मंत्री और योजना मंत्री के भाषण हो चुके हैं और उससे पहले वित्त मंत्री की बजट स्पीच हुई। खाद्यान्न ५८ लाख टन पैदा हुआ है, इस तरह के आंकड़े सदन को दिए हैं। सरकार कहती है कि हमारी स्टेट अनाज के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो गई है।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

(२. म. प.)

खाद्य मन्त्रीजी ने यह भी कहा, अध्यक्ष महोदय, कि हमने कीमतों की मेग्ज़िमम लिमिट तय कर दी है। योजना मन्त्रीजी ने और भी महत्वपूर्ण आंकड़े दिये। सोशियल सर्विसेज़ पर राजस्थान ने खर्चा किया, लैंड रेवेन्यू सब स्टेट्स की प्रति एकड़ कम है और चतुर्थ योजना के आंकड़े और उसका विस्तार और आकार जो ४३८ करोड़ का है हमारे सामने रखे। इन सारी पृष्ठभूमियों में, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि इस सारी बजट स्पीच के अन्दर राज्य की जनता को हमारे वित्त मन्त्रीजी ने कोई राहत नहीं दी है। राहत न देकर १.७३ लाख के नये टैक्स और ड्यूटीज इम्पोज की हैं और १ करोड़ ७३ लाख के नये टैक्स और ड्यूटीज़ इम्पोज़ इस नाम पर कीं कि महंगाई बढ़ गयी है इसलिए हमको हमारे कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ानी पड़ीं। इस दलील पर नये टैक्स इम्पोज़ किये।

इस बजट स्पीच में, अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया है कि २३ करोड़ रुपये भारत सरकार को चुका दिये और सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स में यह बताया कि १२ करोड़ रुपये हमने रिज़र्व बैंक को चुका दिये। इस तरह मैं देखता हूं कि इस बजट में २६ करोड़ रुपया भारत सरकार को चुकाने की व्यवस्था की गई है और यह कहा गया कि चूंकि ये ओवर ड्राफ्ट्स चुकाने जरूरी थे इसलिए राज्य के प्लान्ड एक्स्पेन्डीचर के लिए ४२ करोड़ रुपया मुहैया हुआ है। यह भी, अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि ८० करोड़ के रिसोर्सेज़ को इकट्ठा करने का जो वादा पांच साल पहले राज्य सरकार ने किया था २१६ करोड़ के प्लान के लिए, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने यदि यह ३५ करोड़ को चुकाने की जल्दी न की होती भारत सरकार को और इस वर्ष में २६ करोड़ रुपया न चुकाया होता तो तृतीय योजना का आकार बड़ा रह सकता था और कटौती की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के खर्चों को चुकाने के लिए और तृतीय पंचवर्षीय योजना के शुरू में ओवर ड्राफ्ट्स और ऋण लेने पड़े, क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जितने रिसोर्सेज़ इकट्ठे करने चाहिये वह आप नहीं कर सके, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रिसोर्सेज जो आपको इकट्ठे करने चाहिये थे वह नहीं कर सके, जिसका वजन तृतीय पंचवर्षीय योजना पर पड़ा और इसलिए उसका आकार कम हो गया। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, कल योजना मन्त्रीजी कह रहे थे, योजना तो एक कन्टीन्युअस प्रोसेस है और क्या फर्क पड़ता है। सन् ६१-६२ में १५ करोड़ रुपया ले लिया, ६२-६३ में २० करोड़ रुपया ले लिया और आखिर रुपया तो खर्च हुआ ही। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कर्जा लिया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आकार था उसको बड़ा कर दिया। द्वितीय योजना में ९९ करोड़ रुपया खर्च किया और तृतीय पंचवर्षीय योजना में पुराने कर्जे को चुकाने के लिए २०८ करोड़

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

की योजना २०३ करोड़ तक छोटी कर दी। पांच करोड़ की इस सदन के द्वारा मान्यता प्राप्त कोर ऑफ दी प्लान को, जो आपने इस हाउस से, इस सदन से, पास कराया था, उसमें से कट कर दी।

इसकी सैद्धान्तिक बहस और लम्बे चौड़े आंकड़ों में जाऊं तो, अध्यक्ष महोदय, फोरी आवश्यक बातें हैं वे मैं नहीं कह सकूंगा। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पन्द्रह वर्ष की इस योजना के बावजूद, मेरा यह चार्ज है, अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार राज्य की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ा नहीं पायी। योजना मन्त्री कभी हमको ५९-६० की प्राइसेज के आंकड़े बतायें, कभी करेन्ट प्राइसेज के आंकड़े बता कर जो हमारी प्रति व्यक्ति आय स्थिर है उस स्थिर को बढ़ाने का हमारी सरकार द्वारा प्रयत्न किया गया है। ५४-५५ की कोस्ट प्राइसेज़ पर प्रति व्यक्ति आय २३३) वहां सन् ६३-६४ के अन्दर वह २४४) रुपया हुई है। पन्द्रह साल में और दस साल की योजना में सन् १९६५ में प्रति व्यक्ति आय करेन्ट प्राइसेज पर २४४) होकर ११) ही बढ़ी है। एक साल में १) रु० की बढ़ोत्तरी हमारी राज्य सरकार अपनी प्लान के द्वारा लोगों की आमदनी में कर पायी है।

(२.०५. म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

यह प्रति व्यक्ति आय भी महत्वपूर्ण चीज नहीं है। अवैध है। इसको जन-संख्या से भाग देते हैं, उसका एवरेज है। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि २४४) वार्षीक की आय चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में दिखायी है, यह आपकी दी हुई चीज है, दूसरी किताबों की नहीं। यदि मुख्य मंत्रीजी इसको देखना चाहें तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोस्ट प्राइसेज़ के आंकड़े चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के इस ब्यौरे के पेज २१ पर दिये हुए हैं, वे उनको मुलाहिजा कर लें कि पिछले दस साल में सिर्फ ११) रु० प्रति व्यक्ति आय राजस्थान में बढ़ी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये सारे जिलों में आये बराबर नहीं हैं। ऐसे हिस्से आज राजस्थान में मौजूद हैं जहां पर प्रति व्यक्ति आय, सारे जिले के ६० प्रतिशत लोगों की, करीब ७॥) रु० ७॥) रु० प्रति व्यक्ति प्रति महीने की है। मैं विवरण देना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय जो डाइरेक्टरी ऑफ इकॉनोमिक्स इन्डस्ट्रियल सर्वे में है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट्स के सर्वे का है, उसके आधार पर निवेदन करना चाहूंगा कि इन सर्वेज़ के अन्दर यह साफ तौर पर लिखा गया है कि रूरल पॉपुलेशन बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की आबादी ३.९४ हजार और इसमें ६० प्रतिशत शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं और यहां एवरेज इन्कम है उपाध्यक्ष महोदय, ७.९९ पैसे प्रति व्यक्ति एक महीने की। २६ पैसे रोज की आमदनी है। ६० प्रतिशत लोगों की २६ पैसे रोज की आमदनी, उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमन्त्री जी, उनकी आय २६ पैसे रोज की है २४४) साल की नहीं। एक दिन की आमदनी २६ पैसे। एक महीने की आमदनी ७) रु० और साल भर की आमदनी ८४)। जहां शिड्यूल्ड ट्राइब्स के

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

लोग रहते हैं। इस तरह से डूंगरपुर में पर कैपिटा आमदनी १०) महीना। ३३ पैसे रोजाना। १२०) साल भर के। यह एवरेज इन्कम आपके ही आंकड़े बताते हैं। यह जगलरी है आंकड़ों की। पर-कैपिटा इन्कम भी एक जगलरी है। ५० परसेन्ट ऐसे लोग हैं जिनकी एक साल भर की आमदनी १२०) से नीचे है और आपके बताये हुए पर-कैपिटा से ज्यादा नहीं है। बहुत कम है। मैं इस पर-कैपिटा के थ्योरिटिकल प्रिन्सिपल्स में ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं।

हमारी सरकार की दूसरी मान्यता यह है कि हमारी स्टेट खाद्य के मामले में आत्म निर्भर है।

हमारे खाद्य मंत्री कभी थकते नहीं कहते कहते। पिछली साल ५८ लाख टन पैदा होगया। लेकिन आप ही की किताबों में यह लिखा है कि जहां तक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का सवाल है उसमें एक साल के आंकड़े देखना ठीक नहीं।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : आप यह गलत कह रहे हैं; मैंने यह नहीं कहा ६२-६३ में हम यह आशा लेकर चलते हैं ५८ लाख टन या ६० लाख टन होने की आशा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं सन् ६४-६५ की कह रहा हूं। आपकी पुस्तकों में लिखा है एग्रीकल्चर में चार साल की औसत लेनी चाहिये। क्योंकि मौसम की तब्दीलियां, रेगिस्तान, वर्षा का अभाव, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखकर चार वर्षों का एवरेज लेना चाहिये। उस हिसाब से यह महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। चौथी योजना में हमारे क्या आंकड़े हैं, उनकी मैं नहीं कहता। ६१ से लगाकर आप ६५ का एवरेज लें उस हिसाब से तीसरी योजना के चार साल के आंकड़े हैं, उसका हिसाब लगाया जाय तो वह एवरेज ४८ पोइन्ट ४५ लाख टन आता है। यह आंकड़े मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं आपके डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा जो लेख लिखा गया है और जो सोवेनियर में छपा है उस आधार पर निवेदन कर रहा हूँ। ५७ से लेकर ६१ तक की सालों में राजस्थान का एवरेज उत्पादन ४५ से ५६ लाख टन था और ५२ से ६५ तक ३७.६६ लाख टन था। इस तीसरी योजना के इन चार सालों में एवरेज प्रोडक्शन ४८.४५ लाख टन है तो खाद्य मंत्रीजी आप किस प्रकार कहते हैं राजस्थान खाद्य के मामले में आत्म निर्भर है और इम्पोर्टर बन गया है?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो फैक्ट है कन्जम्प्शन कितना है और प्रोडक्शन कितना, इसको देखिये सरप्लस है इसीलिये बाहर भेज रहे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : खाद्य मंत्री जी यह फैक्ट है। यह मेरे पास एस्टीमेटेड डिमान्ड्स फोर सीरियल्स इन राजस्थान १९६६ है, इसमें जयपुर का सर्वे किया जाता है। उसके अनुसार राजस्थान को सन् ६६ में अनाज की कितनी आवश्यकता होगी इस किताब के अन्दर वे आंकड़े हैं। यह छः पेज की सर्वे रिपोर्ट है जिसको पढ़ने का आपको मौका नहीं मिला। लेकिन

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

इस सर्वे के अनुसार राजस्थान को ६६ में अनाज की आवश्यकता सिर्फ रूरल सेक्टर के अन्दर ४६ लाख टन लोगों को खाने के लिये चाहिये। जिसमें से ४.६० बीज के लिये, ४.६६ पशुओं के लिये, ०.४२ बीज आदि खराब होजाय उसके लिये, ५५.६२ लाख टन ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकता के लिये अनाज है। अगर शहर की आवश्यकता को मिलाकर देखा जाय तो राजस्थान के लिये कुल ६२ लाख टन अनाज चाहिये। यह मांग इस आधार पर केल्कुलेट की गई है कि एक आदमी को अपना शरीर स्वस्थ रखने के लिये कितने केलोरीज़ की आवश्यकता है। उसके अनुसार १७ आउन्स अनाज की आवश्यकता है और ३ औंस पल्सेज़ यह एक मनुष्य के लिये आवश्यक मानकर चला गया है। आपके एक्सपर्ट्स कहते हैं ६२ लाख टन की आवश्यकता है और हम पैदा कर रहे हैं ४८ लाख टन। राजस्थान से अनाज बाहर जा रहा है, इसका खास कारण यह है कि जितना अनाज राजस्थान के लोगों को खाने ~~के लिये~~ मिलना चाहिये उतना अनाज नहीं मिलता है। जितना एक मनुष्य को अपने स्वास्थ्य को कायम रखने के लिये मिलना चाहिये। हो सकता है आमदनी का दृष्टिकोण हो, राजस्थान की जनता की इतनी आमदनी नहीं कि वह अपने को स्वास्थ्य रखने के लिये उतना अनाज खा सके उसके कारण जो बच जाता है वह आप बाहर भेजते हैं। यह इस बात का इशारा है कि राजस्थान के लोगों को स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिये जितना अनाज चाहिये उतना नहीं मिल रहा है। हम अभी तक अपनी आवश्यकता के अनुरूप अनाज पैदा नहीं कर पाये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय खाद्य मंत्री को सन्तोष है जब कि उनके अधिकारी ६५ लाख टन की आवश्यकता महसूस करते हैं वे कहते हैं हमारे लिये ४८ लाख टन काफी हैं इसी में हम बाहर भी भेज देते हैं और अपने यहां भी काम चला लेते हैं। उनको सन्तोष है, उनकी सरकार को सन्तोष है। लेकिन लोगों को सन्तोष नहीं, आपकी इन नीतियों से सन्तोष नहीं है। खाद्य मंत्री जी ने कल कहा कि हमारी नीतियों के फलस्वरूप कीमतें गिर गई हैं और इस सम्बन्ध में पिछले तीन महीनों की कीमतें बता दीं। मुझे खुशी हुई, उपाध्यक्ष महोदय, कि सरकार एक ऐसे स्टेज पर आई है जिसमें घटती हुई कीमतों का श्रेय अपने ऊपर लिया है। इससे जब कीमतें बढ़ती हैं तो हम सरकार को पकड़ सकते हैं। मैं खाद्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं खाद्य मंत्रीजी पिछले साल जो कीमतों में वृद्धि हुई उसका क्या कारण था, एक साल में ४१ पोइन्ट कीमतें बढ़ गईं। आप कहेंगे कि ४१ पोइन्ट बढ़ गईं तो क्या हो गया ? विकासशील अर्थ व्यवस्था में कीमतों का बढ़ना बहुत लाजमी है। उन्होंने कहा इसके साथ कि हम नीचे से नीची कीमत तय कर देंगे और ऊंची से ऊंची कीमतें भी हम तय कर देंगे। यह भी देखेंगे कितने फल्क्चुएशन्स होते हैं; कितने रीज़नेबल है, कितने नहीं। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विकासशील अर्थ व्यवस्था में कीमतों का बढ़ना जिस हद तक

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

राजस्थान और हिन्दुस्तान में बढ़ी हैं, उतनी कीमतों का बढ़ना आवश्यक नहीं। दूसरे विकासशील देशों की तुलना में बढ़ती हुई कीमतों को देखें तो हमें राजस्थान में ऐसा लगता है सरकार ने कीमतों के बारे में कोई मेजर्स एडॉप्ट नहीं किये जिससे कीमतें बढ़ने से रुक सकें। दूसरे देशों के तुलनात्मक आंकड़े आपको बताना चाहता हूं; फ्रान्स में पांच साल में ५२ से ५७ तक ४ प्रतिशत कीमतें बढ़ी हैं, स्विट्जरलैंड में ३ प्रतिशत, वेस्ट जर्मनी में ५ प्रतिशत कीमतें बढ़ीं। ग्रेट ब्रिटेन में १६ प्रतिशत। एवरेज निकालें तो साढ़े तीन प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ी जो हमारे से कई गुना विकासशील है। दूसरे देशों की तुलना में हमारे यहां ४१ पोइन्ट कीमतें बढ़ी हैं, यह फीगर्स देखिये और समझने की कोशिश करिये, इन देशों में जहां हमसे ज्यादा विकास हुआ है उनमें इतनी प्रतिशत कीमतें बढ़ती हैं तो हमारे हिन्दुस्तान में ही इतनी क्यों बढ़ें ?

दूसरी योजना के प्रत्येक साल में ६ प्रतिशत बढ़ी हैं लेकिन राजस्थान में गत एक साल में ३१ परसेन्ट बढ़ी हैं, क्या इसी को आप विकासशील व्यवस्था कहते हैं ? इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान सरकार कीमतों के बारे में बिल्कुल सजग नहीं है। सरकार कीमतों को बढ़ने न देने के लिये क्या मेजर्स एडॉप्ट करेगी इसका भी कहीं उल्लेख नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में १५० से कम वेतन पाने वालों को पांच रुपया मंहगाई भत्ते के रूप में दिया है। १५० से ४०० तक को ३५ दिया है। यह स्पष्ट नहीं किया गया है जहां ३२० रुपये पाने वालों को आपने इस घोषणा से १५ रुपया दिया है और ३५ रुपया मिला है, ३२० से ५४० तक वेतन पाने वाले हैं उनको मिला है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने ३२० से ऊपर वेतन पाने वालों को क्यों बढ़ाया ? आपको यह पता है कि रिवाइज्ड पे स्केल के अन्तर्गत ३२० से ऊपर वेतन पाने वालों का पूरा डी० ए० वेतन में मर्ज कर दिया गया। और ३२० से नीचे जिनका वेतन था उनका डी० ए० दस और पन्द्रह रुपया मर्ज किया गया और बाकी का डी० ए० के रूप में रखा गया। उनको इतना डी० ए० मिलने के बावजूद अगस्त में आपने घोषणा की, उसके अनुसार ४००) रु. तक वालों को १०) रुपया मंहगाई भत्ता दिया। ४००) वालों को दस रुपये मंहगाई दे दी और अब कहते हैं कि चार सौ वालों को भी ३५) और पांच सौ से ५७५) वालों को पूरे ३५)। जो एक नये पैसे के अधिकारी नहीं थे जिनका डीयरनैस पूरा का पूरा असल पे में मर्ज कर दिया गया था...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मुझे थोड़ा समय लगेगा। मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि हम तो समाजवादी हैं। समाजवादी हैं साहब ये। चपरासी की पूरी मंहगाई वेतन में मर्ज नहीं की, ३२० से नीचे वालों की पूरी मर्ज नहीं की और पांच-पांच रुपया करके तीन बार में १५) रुपया आपने उनको दिया और ऊपर वालों को ३५)

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

मिलेगा क्योंकि उनको रोटी नहीं मिल रही है और नीचे वाले और चपरासी की हालत बहुत अच्छी है, उनको खूब रोटी मिल रही है ? यही है न ?

रिवाइज्ड पे स्केल में ३२० से ऊपर वालों की मिनिमम स्टार्ट बढ़ा दी और मेक्जिमम सेलेरी भी बढ़ा दी २५०) ढ़ाई सौ, ६५०) वालों का ९००) कर दिया । ४५०) से स्टार्ट दिया । १५०) रुपया इमोल्यूमेंट में फायदा दिया, जब कि नीचे वालों को एक पैसे का फायदा नहीं हुआ । पर इसके बावजूद जिनको कुछ नहीं मिलना चाहिये उनको आप ३५) बढ़ाते हैं पर जिनको सब कुछ मिलना चाहिये उसके सिर्फ पांच रुपये बढ़ाये । वित्त मंत्रीजी हमारे वित्त की रक्षा करते हैं, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): वे तो यहां नहीं हैं, गायब हैं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कोई फर्क नहीं पड़ता । मुख्य मन्त्रीजी यहां बैठे हैं, खाद्य मन्त्रीजी बैठे हैं । आपने दोहरी नीति इस मामले में अख्तियार की है । उसके प्रति तीव्र असन्तोष है और इसे बर्दाश्त करने के लिये ३२०) से नीचे वाले राज्य कर्मचारी तैयार नहीं हैं ।

पर यह सब क्यों हो रहा है ? इसलिए कि हमारी सरकार की नीतियां समाजवाद की ओर नहीं हैं और मैं तो बधाई देना चाहता हूं वित्तमन्त्रीजी को यह कहने पर कि अब नेहरू युग समाप्त हो गया । नेहरू युग को तो कोरा लिप सिम्पेथी का युग था समाजवाद के प्रति । पर अब तो आपने साफ साफ घोषणा कर दी कि अब तो वह लिप सिम्पेथी का युग भी लद गया। अब तो बढ़ी हुई तनख्वाह वालों को वेतन बढ़ेगा, और जिनकी तनख्वाह कम है उनको तो धीरे धीरे मारा जावेगा । पांच पांच रुपया ही बढ़ोत्तरी उनको दी जावेगी । उनकी बढ़ोत्तरी नहीं की जावेगी और जिन की ऑलरेडी बढ़ी हुई तनख्वाह है जिनको ऑलरेडी फायदा दे दिया गया था उनको और फायदा दिया जावेगा । मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि इस वेतन के प्रश्न पर जो असन्तोष है वह असन्तोष बहुत तीव्र हो रहा है और सरकार को इसके प्रति जागरूक होना चाहिये और महंगाई भत्ता भी जो छोटी तनख्वाह के कर्मचारी हैं उनका भी कम से कम उतना बढ़ जाना चाहिये जितना कि आपने ३२०) से ऊपर वालों का बढ़ाया है और जितना फायदा उनको दिया है कम से कम उतना फ्लैट रेट का फायदा उनको मिलना चाहिये । पर उपाध्यक्ष महोदय, यह सब यहां नहीं होगा इस सरकार में ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार में सैद्धान्तिक बहस की सुनवाई नहीं होगी । हमारे खाद्य मंत्रीजी यह जरूर कहेंगे कि हमें बड़ी बातों की तरफ ध्यान देना चाहिये और जो छोटी छोटी बातें हैं उनकी तरफ बहुत कम ध्यान देना चाहिये । पर सदन के माननीय सदस्य छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान ज्यादा देते हैं । कल इस तरह का भाषण उन्होंने दिया । मैंने बहुत गौर से चिन्तन किया उनका भाषण और मेरी इच्छा

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

यह हुई कि अब से कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किया जाना चाहिये, बन्द कर देनी चाहिये, ये छोटी छोटी बातें हैं, और बड़ी बातों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये कि बजट का आकार क्या है, चौथी योजना क्या है, पर-कैपिटा इन्कम क्या है, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह क्या है ? सैद्धान्तिक बातों की तरफ ध्यान देना चाहिये।

पर उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह सोचा कि हमने सिर्फ बड़ी बातों की ही तरफ ध्यान दिया तो छोटी बातें ऐसी न हो जावें कहीं कि सारी बातों को वे टारपीडो कर दें, खत्म ही कर दें। इंग्लैंड में अध्यक्ष महोदय, प्रोफ्यूमो का काण्ड रक्खा पालिया-मेंट में वह हैरॉल्ड विल्सन ने रक्खा। भद्दी बात थी जो इस काण्ड के द्वारा लोगों के ध्यान में आई। पर इसका नतीजा क्या हुआ ? नतीजा यह हुआ कि सरकार के एक बहुत बड़े मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और बहुत बड़ा परिवर्तन वहां की राज-नीति में इस छोटी सी घटना से हो गया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि इसी तरह की कई बातें सदन में कही गईं। अभी अभी माननीय जोधपुर से आए सदस्य ने कहीं कि वित्त मन्त्रीजी ने सिनेमा देखा। देख कर उसका एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स माफ कर दिया। उससे दो तीन लाख का रेवेन्यू का नुकसान स्टेट को होगा। मैं नहीं समझता कि उस पिक्चर को देखने से राजस्थान की जनता को क्या मिल जावेगा ? कितने छोटे से आरोप पर वित्त मन्त्रीजी उसका जवाब देंगे। दो लाख का इससे नुकसान होगा, मुख्य मन्त्री जी बर्दाश्त कर लेंगे क्योंकि बर्दाश्त की उनकी ताकत बहुत बड़ी है। बहुत सी बातें वे बर्दाश्त करते आये है। पर मुझे सूचना मिली है कि दो लाख का स्टेट का नुकसान होगा पर सिनेमा ओनर्स के बीस हजार चले गये इस सारे टैक्स के कन्सेशन कराने के लिये, एन्ट-र्टेनमेंट टैक्स को माफ कराने के लिये। ये आनन्दसिहजी यहां हैं या नहीं। उनसे पूछिये कि यह हकीकत है या नहीं।

यहां हांडा साहब ने कह दिया कि वित्त मन्त्रीजी ने टैक्स का इवेजन किया। बीबी का मकान बन रहा है और उस मकान के अन्दर कोई टाइल्स आई। उन टाइल्स पर ऑक्ट्रोय की माफी के लिये वहां के ऑक्ट्रोय के सुपरिन्टेन्डेन्ट को कहा जाता है एक विलायतराय की तरफ से। विला-यतराय कौन ? आप प्री-ऑडिट के अफसर हैं जिनके नीचे १५ लड़कियां काम करती हैं और पांच आदमी काम करते हैं। बहुत खुशनसीब हैं वह अफसर। १५ लड़कियों को रिक्रूट किया प्री-ऑडिट में और व्यक्तियों में सिर्फ ५ को। और उन विला-यतीरामजी ने जाकर सुपरिन्टेन्डेन्ट ऑक्ट्रोय को क्या कहा कि कौल साहब की टाइल्स हैं उनको जाने दो और उसके अफसर की रिपोर्ट, रामेश्वर सिंहल की रिपोर्ट, रखी गई है। मुझसे कहा गया कि इसका टैक्स जाने दो, पर मैंने कहा कि यह नियम के विरुद्ध है. टैक्स उनको देना पड़ेगा और इसके बाद में टैक्स बालकृष्णजी कौल के नाम से चुकाया गया। यह भी एक छोटी

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

बात है। क्या हुआ ? एक मकान बन रहा है मन्त्रीजी का और मकान कैसा, जिसके लिये २० हजार का लोन जो नियम में प्रावधान मिडल इन्कम ग्रुप में है उसका रिलेक्सेशन करवा कर ३३ हजार का लोन लिया गया। क्योंकि कौल हों तो ३३ हजार मिल सकते हैं और कोई दूसरा हो तो २० ही हजार या १८ हजार, जैसा नियमों में प्रावधान है, मिलेगा इससे ज्यादा नहीं मिल सकेगा, फिर मकान चाहे एक लाख का बने। पर टैक्स का, ऑक्ट्रोय का इवेजन फाइनेन्स मिनिस्टर करते हैं। तो मैं खाद्य मन्त्रीजी से कहना चाहता हूं कि यह छोटी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि टैक्स इवेडर मिनिस्ट्री में बैठे हों तो या तो आप ऐसे मिनिस्टरों को निकालिये या खुद मिनिस्ट्री से, सरकार से निकलने की हिम्मत करिये। दो बातें साथ साथ नहीं चल सकतीं। लोगों को तो उपदेश दें और छोटी बात के नाम पर टैक्स इवेड करने वालों पर ध्यान न दें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इससे भी छोटी बात कहना चाहता हूं।

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

और वह यह कि वित्त मन्त्रीजी के यहां पर मैंने देखा गाड़ी में गवर्नमेन्ट होस्टल जब वे आये तो उस वक्त कार में एक छोटी लड़की पांच साल की। मैंने पूछ लिया। भैरोंसिहजी थे और भी दो चार सदस्य वहां थे। मालूम हुआ, यह कौल साहब की लड़की है। पर बाद में पता चला उपाध्यक्ष महोदय, कि कौल साहब के पांच साल की कोई लड़की नहीं। बहुत खूबसूरत लड़की थी। मालूम हुआ वह कौल साहब के घर पर रहती है। क्यों ? मैं पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं, बजट पर आप सीमित रहें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं बजट पर ही बोल रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय। मैंने टैक्स इवेजन की बात रक्खी। मैं जानता हूं, टैक्स को माफ करवाया, कैसे करवाया, वह बात मैंने रक्खी। और बताना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि वह जो लड़की है, वह उनकी नहीं है, पर उनको पापा कहती है और मां किसी को कहती हैं, उपाध्यक्ष महोदय ! मुझे जानकर ताज्जुब हुआ कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट में जो सेक्रेटरी है मिस्टर मुकर्जी उनके यहां कोई स्टेनोग्राफर है, प्रतिभा देवी, उसको वह मां कहती है। प्रतिभादेवी को वह लड़की मां कहे, कौल साहब के यहां रहे, इसका ताल्लुक क्या है, कुछ भी हो। पर उपाध्यक्ष महोदय,.......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बातें यहां पर कही जावें कि जिसका इस हाउस से कोई सम्बन्ध न हो, विषय से जो रिलेवेन्ट न हों और उस बात को लेकर टैक्स के साथ जोड़ा जावे, मैं समझता हूं यह इस सदन के लिये बहुत उपयुक्त बात नहीं होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि यह बस प्रोसीडिंग्ज़ से एक्सपन्ज किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, वे स्वयं काफी जिम्मेदार हैं, पार्टी में महत्व का स्थान रखते हैं और जिस प्रकार से महत्व की बात यहां पर सदन में रखते थे उसके अन्दर यदि हम कोई पर्सनल बात को रखते हैं या लाते हैं तो वह शोभा नहीं देता है। तो इसके लिये जहां तक हो सके, पर्सनल एस्परशन्स को टालने का प्रयत्न करें तो अच्छा होगा। इससे कोई टैक्स की बात पर डाइरेक्ट असर नहीं पड़ता है और इसलिये ये जो शब्द अभी कहे गये हैं उनको मैं कार्यवाही से एक्सपन्ज करने का आदेश देता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कौन से शब्दों को एक्सपन्ज किया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सारे के सारे लड़की के इन्सीडेन्स का जो आपने कहा।

श्री उपाध्यक्ष : होस्टल में लड़की के साथ आये उससे लगा कर जो उनके माता और पिता के विषय में जो कुछ कहा गया है वह सारा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : पोइंट ऑफ ऑर्डर, सर, उपाध्यक्ष महोदय, ये फेक्ट्स क्या होंगे यह तो माननीय सदस्य जिस समय इसको कन्क्लूड करेंगे उस समय पता लगेगा। लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि इन फेक्ट्स में ऐसी कौनसी बात है जिससे इनको हाउस की प्रोसीडिंग से एक्सपन्ज करने की आवश्यकता महसूस हो गई ?

श्री उपाध्यक्ष : It is personal......

श्री भैरोंसिंह : कोई चीज पर्सनल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह आगे कोई चीज होगी तो उसको उस तरह से देखा जायेगा। यह इस समय तो बिल्कुल पर्सनल बात है।

श्री भैरोंसिंह : इसमें पर्सनल क्या था, पर्सनल क्या बात थी ? इसका व्यक्ति किसी को मामा कहता है और किसी को पापा कहता है तो उसमें क्या पाप हो गया ? मैं समझता हूं कि आगे क्या होगा आपको मालूम होगा कि आगे क्या कहते हैं क्योंकि आप उनसे ज्यादा परिचित हैं। उन घटनाओं पर शायद आप इन्फरेन्स निकाल सकते हैं। इसमें मुझे इरिलेवेन्सी क्या है वह दिखाई नहीं देता है। इसमें पर्सनल क्या बात है ? मेरी लड़की मुझे पापा कहती है तो कहेगी ही। मेरी लड़की है तो पापा कहेगी ही।

श्री उपाध्यक्ष : इरिलेवेन्सी तो है ही, क्योंकि बजट पर भाषण हो रहा है न कि माता-पिता पर।

श्री मानिकचन्द सुराणा : हिन्दुस्तान का गार्जियन्स एण्ड वार्ड्स (अटेन्डेन्ट्स ऑफ मेजोरिटी) एक्ट है। मैं इसके हवाले से कहना चाहता हूं। मैंने जो कुछ कहा है वह मैंने कानूनी बात कही है जिसके तहत में राज्य की स्टाम्प ड्यूटी और कोर्ट फीस यह सब वसूल होती है और जिसको वित्त मन्त्रीजी ने इवेड किया है। मैं सारे केस को लॉ पर कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महो-

Page No 75

(श्री मानिकचद सुराणा)

दय, इसलिए मै निवेदन करना चाहता हूं कि में इस सारे प्रसंग को आगे कन्क्लूड करूंगा और उसके बाद में आपने जो कुछ भी एक्सपन्ज किया तो उस पर विचार किया जाय कि कोई एक्सपन्ज करने लायक बात नहीं कही है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं किया है, कोई एलिगेशन नहीं लगाया है, वित्त मन्त्रीजी पर पर्सनल एलिगेशन नहीं है, मैंने गार्जियन्स एण्ड वार्ड्स एक्ट के सम्बन्ध में बात कही है.......

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप मंत्री, राजस्व) : टाइम रिप्लाई का शुरू हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : समय की सीमा का ध्यान रखें। आधा घन्टा हो गया है। आपकी पार्टी का समय समाप्त हो चुका है। इस लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ८ मिनिट और बोल लें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, कौल साहब के यहां लड़की रहे मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन कौल साहब ने एक विज्ञापन जारी किया है कि कोई लड़की बरसात में छोड़ गई है इनके घर पर, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कौल साहब कोई कानून से अपरिचित आदमी नहीं हैं। उनको मालूम है कि हिन्दुस्तान में कानून बना हुआ है कि किसी लड़की का गार्जियन बनना हो तो उसको कलेक्टर के यहां दर्ख्वास्त देनी होगी कि मैं इस लड़की का गार्जियन बनना चाहता हूं, और गार्जियनशिप के तहत कुछ फीस रखी हुई है, कुछ स्टाम्प ड्यूटीज भी हैं, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, एक लड़की जो नेशन की प्रोपर्टी है, कौल साहब की प्रोपर्टी नहीं है, वह इनके घर में रहती है तो जब तक ये अपने आपको गार्जियन डिक्लेयर नहीं करायें दफा ७ और ८ है, इस एक्ट का, दफा ८ में कहा गया है :—

"8-Persons entitled to apply for order-An order shall not be made under the last foregoing section except on the application of—

(a) the person desirous of being or, claiming to be, the guardian of the minor, or

(b) any relative or friend of the minor, or

(c) the Collector of the district or other local area within which the minor ordinarily resides, or in which he has property, or

(d) the Collector having authority with respect to the class to which the minor belongs."

उपाध्यक्ष महोदय, कोई हो, चाहे वित्त मंत्री हो और चाहे जिस वक्त से अपने पास में लड़की को रखा हो वित्त मंत्री न रहे हों, वे गार्जियन नहीं बन सकते हैं, अपनी कस्टडी में नहीं रख सकते है जब तक कि इस कानून की दफा ८ के तहत कोई दर्ख्वास्त कलेक्टर को न दे दें। वित्त मंत्री जी मुस्करा रहे हैं तो यह मुस्कराहट नहीं है। इनका जी रो रहा है। मैं यह बात क्यों कहना चाहता हूं ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

यह लड़की जो प्रतिभा देवी को अपनी मां कहती है और इनको अपना 'पापा' कहती है तो आप उसके गार्जियन कानून के तहत क्यों नहीं बनना चाहते हैं ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने इस सारी स्टाम्प ड्यूटीज को क्यों इवेड किया है ? उपाध्यक्ष महोदय, इस बात की जांच होनी चाहिए कि लड़की प्रतिभा को मां क्यों कहती है ? उपाध्यक्ष महोदय, यदि लड़की प्रतिभा देवी की है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी कस्टडी फाइनेन्स मिनिस्टर साहब के पास क्यों है ? यह इसको प्रतिभा देवी को रिटर्न क्यों नहीं कर दी जाती है ? और, उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिभा देवी के पास हो चाहे कौल साहब के पास रहे, यदि इनकी कोई बात नहीं है, यदि कोई उत्तरदायित्व है, इनका नाता-रिश्ता है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि यह रिश्ता है तो उस रिश्ते की सफाई गार्जियन एण्ड वार्ड्स के तहत आकर कहना चाहिए कि इसका क्लेम करना चाहता हूं कि मैं इसका रियल गार्जियन हूं, लेकिन जब तक यह सारी प्रोसिडिंग नहीं करते हैं, गार्जियन्स एक्ट के तहत गार्जियन नहीं बनते हैं, तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रतिभा देवी जिनको पर्सनल असिस्टेन्ट बनाया था, जब कि वे अजमेर में मंत्री थे, वह आज फाइनेन्स सेक्रेटरी के यहां पर स्टेनोग्राफर हैं, ये हमेशा लन्च पीरियड में उसके साथ मे चाय पीयें हमारे वित्त मंत्रीजी; तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी से कि क्या आपके एक मंत्री की ये सारी हरकतें आपके राज्य के लिए शोभनीय हैं ?

माननीय भैरोंसिंहजी जो जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने डांगी साहब का किस्सा रखा, उस पर मैं नहीं कहना चाहता हूं । वे सर्किट हाउस में शराब पीकर उल्टी कर देते है; तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उपमंत्रीजी ऐसी करें और वित्त मंत्रीजी चाय पीयें । उनके पास में लड़की हो वह किसी को मां कहे, वह उनके डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर हो और यदि लड़की अविवाहित हो; उपाध्यक्ष महोदय, ये सारी हरकतें क्या वित्त मंत्री के लिए शोभनीय हैं ? इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को कोई आदर्श जन व्यवहार का, मंत्रियों के व्यवहार का कायम करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ इतनी ही बात नहीं, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपने मिनिमम गारन्टी लागू कर दी। मिनिमम गारन्टी ३-४ साल से चल रही है राजस्थान में और मिनिमम गारन्टी का, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह चार्ज है वित्त मंत्रीजी पर कि मिनिमम गारन्टी से मेग्ज़ीमम करप्शन राजस्थान में हो रहा है, होता आया है तीन साल से और कोई कागजात मांग लें तो मुख्य मंत्रीजी कह देंगे कि मैं जांच कराऊंगा। जांच करायेंगे, लेकिन सदन को पता नहीं कि कब जांच खत्म होती है, क्या फैसला होता है, लेकिन फिर भी जांच चलती रहती है । उपाध्यक्ष महोदय, मिनिमम गारन्टी में ६२ से एक ठेकेदार को कर रखा था....

श्री उपाध्यक्ष : शीघ्र करें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ६४ ने ऐसे नियम निकाल दिये जायं कि जयपुर का ठेका उसके पास रहे, अहमद अली के पास। ४० लाख पर १० पर्सेन्ट मिनिमम सिक्योरिटी माँगते हैं और टेन्डर्स आते हैं और टेन्डर्स का मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कितने ही ठेके पी.डब्लू.डी. के ४० लाख से ज्यादा के होते हैं जहां कि ५,१० और २० हजार की सिक्योरिटी भेजी जाती है, लेकिन शराब के लिए ४ लाख की दे यदि टेन्डर भरे तो, नहीं हो तो टेन्डर नहीं भर सकता है। मैं वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि मिनिमम गारन्टी ठेकेदार के अन्डर में जो २० दूकानें हैं उन २० दूकानों का डाइरेक्ट नीलाम क्यों नहीं किया जाता है ? डाइरेक्ट नीलाम इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि मुनाफा खत्म हो जाता है और जो शेडी डीड्स शराब के ठेकेदारों से होते हैं वे खत्म हो जाते हैं, नहीं हो सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज एक माननीय सदस्य द्वारा स्थगन प्रस्ताव रखा गया है, उपाध्यक्ष महोदय, उसमें यह कहा गया है कि लाखों रुपयों के स्टॉक का कोई वेरीफिकेशन हमारे वित्त मंत्रीजी ने नहीं किया है। लाखों रुपयों का शराब, शराब के ठेकेदारों के पास पड़ा है। आपने १२॥ पर्सेन्ट एक्साइज ड्यूटी बढ़ायी। राजस्थान में १०.१५ लाख का सवाल है, इसका नतीजा यह हुआ कि स्टेट को १५ लाख का नुकसान हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सन् ६७ में आने वाले चुनावों के लिये कांग्रेस के लिये वित्त मंत्रीजी ने....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कांग्रेस की बात करके आप इस पार्टी को गलत ढंग से बदनाम करने की बात करते हैं। इन्डिविजुअल ने कोई बात की हो तो सारी पार्टी को आप कैसे बदनाम कर सकते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैंने यह नहीं कहा कि चंदा वसूल करते हैं, मैं तो पूछता हूं कि क्या आपने शुरू कर दिया है, मैंने तो सवाल उठाया है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक मिनट में खत्म करता हूं। Let me continue. मिनिमम गारन्टी में आपने टैक्सेज बढ़ाये हैं। इस स्थिति में शराब ज्यादा बिक सकता है इसलिए इसकी स्ट्रेंथ कम कर दें ताकि शराब ज्यादा बिके। पिछली साल स्वयं मुख्य मंत्रीजी ने आश्चर्य किया था कि शराब की रेट पर क्या कंट्रोल नहीं है ? मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में इश्यू पर प्राइस तय है लेकिन कन्ज्यूमर्स को शराब कितने में मिलेगी इसकी प्राइस तय नहीं है। राजस्थान में गेहूं के भावों पर कंट्रोल है लेकिन शराब पर कंट्रोल नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं सारे प्रश्न पर उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये सरकार की नीतियां इन सारे कार्यों से जाहिर होती हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : हमारी सरकार पिछले दस सालों में राजस्थान की जनता की समस्याएं हल नहीं कर पाई है। चौथी पंच वर्षीय योजना के ४३१ करोड़ के आंकड़े दिये हैं। आपने स्टेट सेक्टर में सिर्फ ५ करोड़ रुपये दिये हैं। पलाना प्रोजेक्ट स्टेट सेक्टर में होगा। पलाना के लिए मंत्रीजी कहते हैं कि १५ करोड़ की आवश्यकता होगी। मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि चौथी योजना में पलाना के लिए ५ करोड़ का प्रावधान करके १५ करोड़ के पलाना पायलोट प्रोजेक्ट, ओपन कास्ट को किस तरह पूरा कर सकेंगे।...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। मुख्य मंत्रीजी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, उपाध्यक्ष महोदय, जो रूलिंग आपने फर्माई, जो हवाला गार्जियन्स एण्ड वार्ड्स एक्ट के बारे में दिया गया उस पर आपने रूलिंग फर्माई है, उसमें कोई पर्सनल रिफ्लेक्शन नहीं है इसलिये सारे वर्ड्स जो एक्सपन्ज किये गये हैं वे सारे के सारे वापिस रखे जावें।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में अध्यक्ष महोदय निर्णय देंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसका तात्पर्य यह है कि फिलहाल कोई निर्णय नहीं है उस पर निर्णय कल सुनाया जायगा।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : जितना आपने निर्णय दिया है वह तो रहेगा ही। बाकी अध्यक्ष महोदय देंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : एक माननीय सदस्य के वर्ड्स एक्सपन्ज होते हैं तो वह उसकी डाइरेक्ट इन्सल्ट है। गार्जियन्स और वार्ड्स एक्ट का जो हवाला दिया उसमें पर्सनल आक्षेप जैसी कोई बात नहीं थी इसलिये उन शब्दों को एक्सपन्ज करना माननीय सदस्य के अधिकारों पर आघात है। आपने जो वर्ड्स एक्सपन्ज कराये हैं उसका फाइनल निर्णय अध्यक्ष महोदय को करना है तो आज जैसी पोज़ी— है वैसी रहने दीजिये। स्पीकर साहब चाहेंगे जैसा निर्णय हो जायगा। इस समय जो निर्णय दिया है उसको विदड्रा कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष के बजट पर यह वाद—विवाद कर रहे हैं......

श्री मानसिंह महार (आमेर) : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, अभी जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया है उसका फैसला क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : फैसला हो चुका है।

श्री मानसिंह महार : फैसला कुछ नहीं हुआ।

Page No 79

श्री उपाध्यक्ष : यह फैसला हो चुका है यदि अध्यक्ष महोदय कोई परिवर्तन करना चाहेंगे तो कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : वे कैसे करेंगे ? डिप्टी स्पीकर के रूलिंग को ओवररूल करने की व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : ओवररूल करने का प्रश्न नहीं है । सारे संदर्भ को देखकर निर्णय देंगे । यदि यह रिलेवेन्ट है तो कायम रह सकता है और यदि यह रिलेवेन्ट नहीं है तो जो रूलिंग वे देंगे उस पर कायम रहेंगे। सारी प्रोसिडिंग और आपके वक्तव्य को देखकर निर्णय करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : जो अन्त में उन्होंने बात कही ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस संदर्भ में जो निर्णय हो चुका है उसमें मौखिक रूप से कोई परिवर्तन करने में असमर्थ हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस वक्त का बजट हमें इस बात का संकेत देता है कि इस तृतीय योजना के दौरान हमारे सामने क्या मुश्किलें आईं, क्या प्रगति हुई और हम तीसरी योजना के बाद कहां पहुंच पायेंगे । इस बजट से स्पष्ट तौर से यह मालूम होता है कि यह वर्ष पहले वर्षों से खास तौर से सारे भारतवर्ष के लिये और राजस्थान के लिये विशेष तौर से काफी मुश्किल वर्ष रहा। हमारे सामने वित्तीय साधनों पर भी काफी दबाव रहा। माननीय उपाध्यक्षजी, पिछले वर्ष राजस्थान के बहुत बड़े हिस्से के अन्दर अकाल होने की वजह से और उसके पूर्व राजस्थान में वर्षा जितनी होनी चाहिये उतनी नहीं होने की वजह से खेती की पैदावार पिछले दो तीन वर्षों में कम हुई। उसका असर हमारे प्रति औसत आय पर हुआ और राजस्थान के वित्तीय साधनों पर असर काफी मात्रा में पड़ा। आज जब हमारे सामने बजट पेश कर रहे हैं, स्वाभाविक तौर से यह प्रश्न भी साथ में रहता है कि चौथी पंच वर्षीय योजना और पांचवीं पंचवर्षीय योजना आने वाली है उनमें तीनों योजनाओं का वजन क्या होने वाला है और कुल मिला कर राजस्थान की स्थिति क्या बनने वाली है ?

उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष कई प्रदेशों में जो बजट प्रस्तुत किये गये, आम तौर से घाटे के बजट रहे हैं और वहां घाटे के बजट होने के साथ साथ उनमें नये टैक्सेज लगाने के बारे में कोई प्रपोज़ल्स नहीं रखे गए हैं। इस सदन में भी कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि जब दूसरी स्टेट्स में कोई प्रपोज़ल्स एडीशनल टैक्सेशन के नहीं हैं तो हमारे यहां एडीशनल टैक्सेशन की बात क्यों आई ? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, शायद माननीय सदस्यों को यह जानकारी होगी कि राजस्थान और दूसरे प्रदेशों के बीच में एक बहुत बड़ा अन्तर यह रहा है कि जो खास तौर से ब्रिटिश प्रोविन्सेज़ पहले के थे उन प्रोविन्सेज़ में आजादी के बाद जो उनके रिज़र्व्स थे वे काफी बड़ी मात्रा में थे। आज भी उपाध्यक्ष महोदय, जिन स्टेट्स में

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

डेफिसिट बजट है और उनको कवर भी करना चाहें तो उसके लिये उनके पास सिक्योरिटीज़ में और तरह से जो रिज़र्व्स हैं उनसे पूर्ति करने का प्रयत्न वे करते हैं। उदाहरण के तौर पर यू० पी० मे जमींदारी होती थी उस पर किसानों को जो हक दिया गया वह कुछ मुआवजा लेकर दिया गया और हमारे यहां खातेदारी के हक बिना मुआवजा लिये सारे किसानों को कानून बना कर दे रहे हैं। दोनों जगहों के किसान खातेदार बन गए लेकिन हमने उनसे किसी प्रकार का मुआवजा नहीं लिया लेकिन यू. पी. में जमींदार के तौर पर कसानों से कपेन्सेशन लेकर एक बड़ा रिज़र्व फंड उनके यहां एड किया गया जिससे कि वक्त वक्त पर डेफिसिट हो तो उससे कवर अप कर सकें।

आज भी उपाध्यक्ष महोदय, उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करना चाहता हूं पश्चिम बंगाल है उनके वहां कुल मिलाकर घाटे का बजट ७ करोड़ ६ लाख का है लेकिन उनके वहां रिजर्व में ३३ करोड़ रुपये हैं। इसी प्रकार यू. पी. का ५७ करोड़ का इन्वेस्टमेन्ट है और पंजाब में ८ करोड़ ४२ लाख का रिजर्व है। गुजरात में १८ करोड़ का रिज़र्व है और बिहार में ३ करोड़ ८६ लाख का है। आन्ध्र में कुछ नहीं है । राजस्थान में २ करोड़ ३५ लाख का है। इससे इस बात का अन्दाज हो सकता है कि यदि अनकवर्ड आप जिसको कहें कि निर्धारित टैक्सेज़ हम छोड़ देना चाहते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि इस चीज के लिए गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया से ओवर ड्राफ्ट के जरिये आगे हम अपना काम काज चलावें या अपने एक्सपेण्डीचर को कर्टेल करके अपने अपने सारे स्टेट बजट को इस प्रकार से बनायें कि जो बैलेन्स्ड......

श्री भैरोंसिंह : एक करोड़ का राजस्थान में इन्वेस्टमेंट है वह पब्लिक सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में है या दोनों में है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके बारे में मैं विस्तार में नहीं कह सकता लेकिन यह टोटल......

श्री भैरोंसिंह : ज्यादा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हो सकता है, ज्यादा हो। लेकिन जहां से ड्रॉ कर सकते हैं वह सिक्योरिटी से कर सकते हैं या रिज़र्व से कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि राजस्थान दूसरे स्टेट्स की तरह ड्रॉ करने की स्थिति में न होने की वजह से अगर अपने बज़ट को बैलेन्स्ड रखना चाहे तो रेवेन्यू को बढ़ाना होगा और रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए दो तरीके हो सकते हैं–या तो पब्लिक सिक्योरिटीज रेज़ करें या प्रोपर्टीज़ से पैसा लें। पब्लिक सिक्योरिटीज़ में स्माल सेविंग आ जाते हैं और पब्लिक लोन्स वगैरह आ जाते हैं और प्रोपर्टीज़ में सेल ऑफ लैण्ड आ जाता है और सेल ऑफ प्रोपर्टीज़ आ जाती है। इन दोनों के द्वारा इन्कम करके

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

बजट को बैलेन्स्ड कर सकते हैं लेकिन इनके विपरीत राजस्थान में निरन्तर प्रयत्न किया गया है कि अपने रिसोर्सेज जितने हो सकते हैं उनको बढ़ाने का प्रयत्न करें।

माननीय उपाध्यक्षजी, अभी जो देश के अन्दर मंहगाई बढ़ी उसके बारे में सदन के सभी सदस्य इस बात को जानते हैं कि राजस्थान या हिन्दुस्तान में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना में और उसके साथ यह कल्पना की जाती थी कि एग्रीकल्चर और दूसरे सेक्टर्स के अन्दर जितना उत्पादन होना चाहिए उतना उत्पादन नहीं होने की वजह से भावों के अन्दर ज्यादा बढ़ोत्तरियां हुई। इसी तरह जो पालिसीज की बात कही जाती है कि भावों की वृद्धि को रोकने के लिए हमें ऐसी पॉलिसी का निर्माण करना चाहिए जिससे भावों की वृद्धि रुके। मैं समझता हूं कि सबसे पहले आवश्यकता इस बारे में इस बात की पड़ती है कि जो इन्वेस्टमेंट है और जो प्रॉडक्शन हो-इन दोनों की रिलेशनशिप हो—जिसकी वजह से आगे इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो सके। मैं समझता हुं खास तौर से डेफिसिट फाइनेंसिंग के जरिये इन्वेस्टमेंट करने की बात है, जब तक हम अपने प्रोजेक्ट्स के टार्गेट्स को एचीव नहीं कर सकें, वह हमें रोकना पड़ेगा। इसलिए हमारे वित्त मन्त्री, भारत सरकार ने सबके सामने इस बात के ऊपर जोर दिया है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग पर न जायं और करोड़ों के बजट में डेफिसिट फाइनेंसिंग करने के बजाय, बजट, बैलेन्स्ड बजट के तौर पर प्रस्तुत किया जाय। उन्होंने दूसरे स्टेट्स को कहा है कि जो बजट बनायें वह इस प्रकार का बनायें जो बैलेन्स्ड बजट हों। हो सकता है कि कुछ स्टेट्स ने अपने यहां पर टैक्स इस ख्याल से न लगाये हों कि फाइनेन्स कमीशन इस वक्त बैठा हुआ है। वह हमारा जो डेफिसिट है, जो थर्ड फाइव ईयर प्लान के एण्ड तक, इस साल के एण्ड तक होगा, उसको ध्यान में रखते हुए वह ग्रान्ट अपनी तरफ से देगा। इसलिए टैक्स लगा कर अपने रिसोर्सेज की साइड को बढ़ाया जाय, उससे जिस मात्रा में जो मदद मिलने वाली है फाइनेन्स कमीशन से वह कहीं कम न हो जाय। इसलिए उन्होंने अनकवर्ड गेप छोड़ दिया है। मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरह स्टेट के फाइनेन्स मिनिस्टर्स को कहा गया कि विशेष तौर से इस बारे में एफर्ट्स करें, तो मेरा निश्चित माना है कि हमने जो एफर्ट्स किये हैं वह, फाइनेन्स कमीशन इस बीच में जो करने वाली है, हमको यह मान कर चलना पड़ेगा कि राजस्थान का इस दिशा में एफर्ट करना कोई उसके लिए हैंडीकेप नहीं बन सकता है। लेकिन आल इण्डिया में डेफिसिट फाइनेंसिंग की स्थिति नहीं हो, उस दिशा में कमी करने का स्टेप लिया है। इसलिए आप देखते हैं हिन्दुस्तान के अन्दर कि इस वर्ष बजट को बैलेन्स करके आपके सामने प्रस्तुत किया गया है।

माननीय उपाध्यक्षजी, इस सदन में यह बात रखी गई कि कौर ऑफ प्लान सदन के सामने रखा गया था तब उसमें २४ करोड़ रुपये के और एडीशनल टैक्सेज

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

के लिए उसमें बताया था। और कोर जो २०८ करोड़ रुपये का था, उसके अनुसार अब जो कुछ टैक्सेज इस साल लगा रहे हैं और अब तक जो लगाये हैं—उन सबको मिला कर यह अन्दाज किया जाता है कि ३१ करोड़ रुपये के एडीशनल टैक्सेज़ इस तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर होंगे। इन ३१ करोड़ रुपये के एडीशनल टैक्सेज के बारे में जो माननीय सदस्यों की भावना थी उसको मैं समझता हूं। उसका परिणाम यह होना चाहिए था कि २०८ के बजाय हमारा प्लान २१५ के करीब होना चाहिए था। बजाय इसके टैक्स से इन्कम ज्यादा हुई और प्लान रिड्यूस होकर २०८ से २०४ करोड़ का हो गया। मैं सोचता हूं यह शंका उठाना आपका वाजिब है। यह कल्पना कोई भी करे कि जो टैक्सेज़ फोरकास्ट किये थे, उसके एफर्ट्स ज्यादा होकर अचीवमेंट अच्छे हों तो उसके साथ ही प्लान पर असर क्यों पड़ा? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर असर पड़ने के कई कारण हैं। उसके अन्दर जो सबसे बड़े कारण बीच में आये वह करीब ६ करोड़ के ऊपर इस अर्से में राजस्थान में डियरनेस अलाउन्स के अन्दर खर्च बढ़ाना पड़ा उसकी वजह से राजस्थान के अन्दर करीब छः करोड़, साढ़े छः करोड़ का असर आया। जो फेमिन रिलीफ का वर्क शुरू किया गया उसमें हमें एक बड़े पैमाने पर खर्च करना पड़ा, एक तरफ तो २ करोड़ का लैण्ड रेवेन्यू सस्पेन्ड करना पड़ा, और जो हमारे साधन थे, जितना हम उसके लिये रखते थे उससे ज्यादा तीन करोड़ के आसपास फेमिन रिलीफ पर खर्च करना पड़ा।

दूसरे, हमारे नॉन प्लान एक्सपेंडीचर में बढ़ोत्तरी हुई। ये फेक्टर्स आये इसके अन्दर मोटे तौर से, ये मोटे मोटे फेक्टर्स सामने आये जिसके कारण इसके ऊपर असर पड़ा। माननीय उपाध्यक्ष जी, पिछले वर्ष दुर्भाग्य से कीमतों में काफी चढ़ाव हुआ। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार यह समझती हो कि कीमतों को बढ़ाने में कोई रोका टोक नहीं करनी चाहिए या कीमतों को बढ़ने देना चाहिए—यह कोई भी सरकार कल्पना करके नहीं चल सकती। पिछले वर्ष हमारे यहां राजस्थान की परिस्थिति दूसरे प्रदेशों के मुकाबिले उत्पादन के लिहाज से कहीं खराब थी। लेकिन सारे भारतवर्ष के अन्दर, जैसा मैं पहले निवेदन कर चुका हूं, एक तरफ जो खर्चा हमारे प्लान के अन्दर डिफेन्स का बढ़ा दूसरी तरफ उत्पादन के अन्दर, खास तौर से खेती के क्षेत्र में कमी हुई-उसकी वजह से सारे देश में भावों में बढ़ोत्तरी हुई। इस वर्ष फसल सौभाग्य से सारे भारतवर्ष में अच्छी है और राजस्थान के अन्दर पिछले वर्ष के मुकाबले काफी अच्छी फसल है। फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में पन्द्रह जिलों में करीब दो हजार गांवों को अकाल-ग्रस्त क्षेत्र इस वर्ष घोषित किया जायगा। उनमें से कुछ को किया जा चुका है और क्योंकि वहां पर विशेष तौर पर जो पिछली वर्षा जैसी होनी चाहिये थी वह समय पर नहीं होने की वजह से फसल को नुकसान हुआ। शुरू में तो वर्षा अच्छी थी, लेकिन बाद में जाते हुए वहां नहीं हुई, इसकी वजह से रबी की फसल के, उसकी वजह से चान्सेज़ हो सकते थे उस पर भी प्रभाव पड़ा। यदि पिछली वर्षा अच्छी हो गई होती तो रबी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

की फसल भी, जितनी हम उम्मीद करते थे उससे ज्यादा अच्छी होती । लेकिन फिर भी जितना उत्पादन हुआ है उससे राजस्थान की परिस्थितियों में आज के भावों को देखते हुए जो कुछ प्रभाव पड़ रहा है-वह हमारे, सामने है । माननीय उपाध्यक्षजी, पिछले वर्ष भी राजस्थान सरकार ने भारत सरकार के सामने जोन कायम रखने के लिए अपनी नीति को रखा था । हमने कहा था, और प्रदेशों से, जो कुछ भी वहां का सरप्लस प्रोडक्शन है, वह रेगुलेटेड तरीके से दूसरे प्रदेशों को दिया जाय-इसके खिलाफ हम नहीं । हम भी नहीं चाहते, और प्रदेशों में अनाज खराब हुआ करे और दूसरों में कमी रहे । प्रश्न यह उठता है कि अनाज एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी के पास, दूसरे व्यापारी से तीसरे व्यापारी के पास अलग अलग प्रदेशों में चला जाता है तो उसका परिणाम यह निकल सकता है कि जो सरप्लस स्टेट हैं, वहां के लिहाज से कई बार डेफिसिट की स्थिति आ सकती है और दूसरा पोइन्ट है कि जो पर्चेजिग कैपेसिटी है वह चीज डाउन होती हुई चली जाती है । भारत सरकार ने इस नीति को स्वीकार किया था । इस वर्ष की नीति के बारे में, मैं समझता हूं, जल्दी ही भारत सरकार की तरफ से फैसला होते ही सबके सामने आ जायगा । हम इस बात को चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे भावों को काबू में रखा जा सकता है और साथ ही साथ सबको उपलब्ध होने में भी ज्यादा मुश्किल नहीं हो ।

माननीय उपाध्यक्षजी, कीमतों को रोकने के बारे में हर एक व्यक्ति को चिन्ता होना स्वाभाविक है । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के बजट पर जो इन पिछले वर्षों के अन्दर, कम से कम इन पन्द्रह वर्षों के अन्दर कहना चाहिये, इन वर्षों में जो असर पड़ा है, बल्कि खास तौर से दस वर्ष में जो विशेष असर पड़ा है, वह हमारे यह जागीर रिजम्प्शन के बारे में जिस नीति को अपनाया गया, जब मैं कहता हूं, जिस नीति को, तो उसका मतलब है एक तरफ किसानों को जागीर रिजम्प्शन करने के कारण जो अधिकार मिला, उस अधिकार के लिए उनसे कोई भी मुआवजा न लेना और दूसरी तरफ जागीरदारों और हमारी राज्य सरकार के बीच में जो इसके सम्बन्ध में विवाद था उसको पंच फैसले के जरिये शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के प्रयत्न में जल्दी पन्द्रह साल के अन्दर इसको चुकाने के बारे में फैसला करना है ; जब कि यू.पी. और बिहार में कई वर्षों में, ४० वर्षों में कम्पेन्सेशन चुकाया जायगा । इससे इस सारे पीरियड के अन्दर राजस्थान जैसी जगह में, जहां की इकोनोमी पर बहुत प्रेशर है, वहां इसके कारण और ज्यादा प्रेशर हम पर आया ।

(३.०० म. प.)

लेकिन इस वजन के आने की वजह से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे जागीर कम्पेन्सेशन आदि कुल मिला कर अन्दाज किया जाता है; उसमें सर्टीफिकेट्स, जागीर बोन्डस आदि सभी मिला कर ६६ या ६७ करोड़ पर सारा यह जागीर रिजम्शन को वजह से सरकार पर वजन

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

आवेगा। इसमें से तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम करीब करीब ३२ करोड़ रुपयों के ऊपर जो कुछ हमें चुकाना चाहिये चुका चुके होंगे। चौथी पंच वर्षीय योजना और उसका वज़न रहेगा, कल्पना यह की जाती है कि शायद १९ करोड़ के आस-पास वजन चौथी पंचवर्षीय योजना में भी कम हो जावेगा; उसके बाद पांचवीं, छठी और सातवीं योजना में यह वजन कम होता रहेगा।

आज जो कर्जा हमको नजर आ रहा है वह इसलिये कि हमें जागीर कम्पेन्सेशन के रूप में रुपया देना पड़ रहा है इसलिये कुछ समय तक यह नजर आवेगा लेकिन बाद में यह कर्जा नहीं रहेगा और सरकार पर जो आज कर्जा है उसको उतार सकेगी और जो फ्यूचर डेवलपमेंट के काम लागू करेगी, जिससे ज्यादा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकेगी। इसलिये आज ज्यादा वजन आता है, लेकिन इससे फ्यूचर पर कोई ज्यादा वजन चारों तरफ से आता हो, यह बात नहीं है। धीरे धीरे पांच या ७ सालों में यह वजन कम होता चला जावेगा। पांच वर्षों के बाद १ करोड़ रुपया जो छोटे छोटे जागीरदारों को नेहरू एवार्ड के अन्तर्गत देना है वह भी कम हो जावेगा। वह भी १९७३ के आस-पास चुक जावेगा। यह मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि आज सदन में बार बार यह कहा जाता है कि आज हम पर इतने अरब, इतने करोड़ रुपयों का वजन आया हुआ है। राजस्थान सरकार शायद दिवालिया होने जा रही है, ऐसा भी कहा जाता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कर्जा हो रहा है वह आम तौर पर इस बात के कर्ज हो रहे हैं जिससे बड़े बड़े एमेट्स मीट हो रहे हैं।

यह कहा गया कि दूसरे प्रान्तों में हमारे यहां के मुकाबले में ज्यादा रिटर्न मिलती है। मैं समझता हूं, यह सही है कि दूसरे प्रान्तों में; जैसे मद्रास, बम्बई और दूसरी स्टेटों की तरह से हम अभी आगे नहीं बढ़ पाये हैं। हम चाहे इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड को ही ले लें या किसी दूसरे वर्क को लें, वहां पर रिटर्न बहुत ज्यादा हो सकती है क्योंकि वहां पर उनका फैलाव बहुत हो चुका है और हमारे यहां अभी ये सारे के सारे काम शुरूआत की स्टेज पर हैं। नहरें भी अभी बनाकर इरिगेशन शुरू किया है। हमारे यहां इरिगेशन भी अभी शुरू हुआ है। इसलिये इसमें समय लगता है। हमें इस स्टेज से निकलने में और जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि आज हमारा प्रान्त चाहे शिक्षा को ले लीजिये, चिकित्सा को ले लें, चाहें १०० मील के एरिया में रोड्स को ले लें या बिजली को ले लें, पर-केपिटा के हिसाब से तो इसमें कोई शक नहीं कि अभी तक यह बहुत पिछड़ा हुआ है। इसलिये हमने यह सोचा कि चौथी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान केनाल का वजन हमारे पर न हो क्योंकि वहां जो भी विकास के कार्य हैं; जैसे शिक्षा स्वास्थ्य, स्कूलें, पानी, सड़कें आदि के लिये काफी अर्थ की आवश्यकता पड़ेगी, मकानों के लिये लोन की आवश्यकता पड़ेगी, जमीन को लेवलिंग भी कराने के लिये आवश्यकता पड़ेगी। ये सारी आवश्यकताएं वहां पर विकास के कार्यों के लिये

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

बहुत जरूरी हैं और यह कोई ऐसी जगह नहीं है जैसी कि कोटा में है। अगर कोटा में कोई डेम बनाया जाता है तो वहां पर पहले ही से उत्पादन होता चला आ रहा है इसलिये उस स्थान पर इतनी दिक्कत नहीं होगी, मगर इस क्षेत्र में तो सारा का सारा ही अतिरिक्त उत्पादन होगा और मैं यह समझता हूं कि फाइनल रिटर्न जितना राजस्थान केनाल से होगी, उतनी किसी और जगह से नहीं हो सकती। मैं समझता हूं कि यह हमारा फेज है वह १९७९—८० में पूरा हो जावेगा।

हम कोलोनाइजेशन कमिश्नर को और फाइनेन्स मिनिस्टर से इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर सेन्ट्रल ऑथोरिटी कोई ऑथोरिटी बनाती है या कोई जोइन्ट ऑथोरिटी बनती है तो इसका परिणाम यह निकलना चाहिये कि यह फेज तीन चार वर्षों पहले ही समाप्त हो जावे और लोगों को इससे जल्दी फायदा पहुंच सके।

इस सदन में इस बात पर जोर दिया गया कि राजस्थान के लोगों को एम्प्लोयमेंट की दृष्टि से प्रायोरिटी मिलनी चाहिये। ऐसा न हो कि यह सेन्टर में जाने के बाद सारी बातें सेन्टर के हाथ में चली जावें और वहां पर दूसरे लोग आकर बस जावें और राजस्थान के लोगों को कोई फायदा न हो। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कोलोनाइजेशन की पॉलिसी है उसके बारे में हमने कहा है कि जो भी ऑथोरिटी बनाई जावे, उससे पहले कोलोनाइजेशन की पोलिसी पहले से तय कर दी जावे ताकि उसके लिये बनने वाली ऑथोरिटी बाद में केवल उन नीतियों के अनुसार ही कार्यवाही करे जिससे किसी प्रकार की कार्यवाही बाद में न हो और इसके लिये वे देखें कि किस प्रकार की कार्यवाही होनी चाहिये और किस प्रकार से यहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। मैं यह कहूंगा कि यह अपने ढंग की सारे भारतवर्ष में पहला ही राजस्थान नहर परियोजना के अन्तर्गत विकास करने का परीक्षण होगा। इसको समय से पूर्व पूरा करने का विचार है। इसके लिये कई बार मीटिंगें हुई हैं और मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ भी निर्णय किया जावेगा उसके बाद इस सदन को उसके बारे में पूरी तौर से कोन्फीडेन्स में लिया जावेगा। आपने जो भावना हमारे सामने व्यक्त की है वह भी हमारे सामने है। इसको किसी रिजोल्यूशन के द्वारा लाया जावे या कानून के द्वारा लाया जावे, क्योंकि जो भी परिवर्तन होंगे लॉ मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया भी इसको एग्जामिन कर रहे हैं और हम भी इसको एग्जामिन करा रहे हैं कि किस प्रकार से विकास हो। हमें इतने बड़े प्रोजेक्ट के कार्य को क्षेत्रीय भावना से नहीं देखना चाहिये।

हमें सम्पूर्ण राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए, नेशनल इन्ट्रेस्ट को देखते हुए कार्य करना चाहिये। हम चाहते हैं कि यह प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी पूरा हो। वैसे अभी भी राजस्थान केनाल ऑथोरिटी ने यह रिजोल्यूशन पास किया और राजस्थान केनाल का काम शुरू हुआ और ५३ परसेन्ट हिस्सा

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

राजस्थान को दिया । इस रिज़ोल्यूशन को, इसी कल्पना को सामने रखते हुए बनाया है कि यह राजस्थान कैनाल की कोलोनाइज़ेशन पोलिसी, राजस्थान गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट मिल कर फाइनेलाइज़ करेगी । इसलिये आज के दिन भी यहां के लोगों के हित के लिये प्रोविज़न है और आगे भी राजस्थान के लोगों के हितों की रक्षा की पूरी कार्यवाही की जावेगी । इतना मैं राजस्थान के विधान सभा के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं ।

माननीय उपाध्यक्षजी, इस राजस्थन कैनाल के हो जाने के बाद भी हमारे सामने दर असल एक गम्भीर प्रश्न है कि हम चौथी पंच वर्षीय योजना में किस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं । चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में जो अब तक उसका एक प्रोपोज़ल तैयार किया है वह माननीय सदस्यों के पास अनौपचारिक रूप से भेजा गया है, बहुत से माननीय सदस्यों ने उसे देखा होगा । मैं निश्चित रूप से इस बात को मानने वालों में से हूं कि देश इस मे लक्ष्य को रख कर योजनाएं बनानी चाहिए जिसमें यह देखना चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा कहां कहां की नेचुरल पोटेन्शियल्स क्या हैं, उनमें कितना कहां इन्वेस्टमेंट करने पर अधिक लाभ हो सकता है, अधिक विकास हो सकता है । हमारे यहां मिनरल्स का बाहुल्य है, हमारे यहां लैंड उपलब्ध है, हमारे यहां प्रोजेक्ट्स बनें, सीलिंग किसी जगह आकर रुकता है तो दूसरी जगह जितना इन्वेस्टमेंट करने से प्रोडक्शन बढ़ता है, उतना हमारे यहां करने से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ सकता है, चौथी पंचवर्षीय योजना में यह देखना होगा कि कुछ मिनिमम लेवल दूसरी स्टेट्स के बेसिक कितने हैं; एज्यूकेशन में, मेडिकल में, ड्रिंकिंग वाटर में, रोड्स वगैरह के बारे में उनका आधार होना चाहिए जिससे प्लानिंग के परिणाम निकलते हैं, रीजनल एब्सेन्सेज़ को दूर करके दो-तीन प्लान के बाद इस स्थिति में आ सकें कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स देश के नागरिक की हैं वे उसे उपलब्ध हों । आयरन ओर (iron ore) बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश में हैं तो स्टील इन्डस्ट्री हमारे यहां नहीं लग सकती । कोपर है तो नहीं लग सकती । और मिनरल्स हैं तो जहां उपलब्ध हैं, उसी जगह उनकी इन्डस्ट्री हो ही, यह पूरा विचार करके, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बैलैंस किया जा सकता है, एक जगह एक प्रकार का पोटेन्शियल है तो दूसरी जगह इन्डस्ट्री बढ़ाई जा सकती है ।

इस सदन में कहा गया, सांभर साल्ट वर्क्स हैं, उनमें हमारे यहां सोड एश या दूसरे बाइ-प्रोडक्ट्स हो सकते हैं वे होने चाहिये । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में जो सम्बन्धित मंत्री हैं भारत सरकार के और दूसरे व्यक्तियों से हमने खास तौर से कहा है कि सांभर की सिर्फ सॉल्ट मेन्युफैक्चर की बात को लेकर यह माल कर चलें कि बहुत बड़ा काम भारत सरकार की तरफ से हुआ है, तो ऐसा मानकर नहीं चला जा सकता । जब तक बड़ा प्रोजेक्ट केमिकल इन्डस्ट्री का नहीं होता तब तक हम यह मान कर नहीं चल सकते । छोटे पैमाने पर सही, पर पचपदरा, डीडवाना में हम यह

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कर रहे हैं। मैं यह मान कर चलता हूं कि पब्लिक सेक्टर में सोडा एश का या आयोडाइट्स का और केमिकल्स का काम शुरू करेंगे जिससे राजस्थान में पिछली तीन योजनाओं में पब्लिक सेक्टर में कमी रही है, उसकी पूर्ति हो।

एक स्टेट के विकास के लिए पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में और कोऑपरेटिव सेक्टर में इनवेस्टमेंट होना आवश्यक है। तीनों का मिल कर इन्वेस्टमेंट होता है तो उसका विकास होता है। जिस पॉलिसी के अन्तर्गत पब्लिक सेक्टर को एक्स्टेन्ड करना चाहते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना में पब्लिक सेक्टर में काफी फंड्स हैं, उसमें राजस्थान के अन्दर अगर प्रोपर शेअर नहीं लगता है तो हम दूसरों के मुकाबले में सफर करते हैं, इसलिये हम चाहते हैं कि वह लाभ राजस्थान को प्राप्त हो।

माननीय उपाध्यक्षजी, इन बातों के साथ साथ सदन में लिग्नाइट के और दूसरे सेक्टर्स के बारे में कहा गया। मैं समझता हूं, हमारे योजना मंत्रीजी ने पहले भी कहा है और अभी जब राजस्थान नहर के निरीक्षण के लिये प्लानिंग कमिशन के डिप्टी चेयरमन श्री ठक्कर, नेचुरल रिसोर्सेज के और दूसरे टेनिकल डिपार्टमेंट्स हैं उनके इन्जार्ज हैं वे आये, उनके साथ रशियन एक्स्पर्ट्स आये हुए थे, उनके साथ बातचीत बीकानेर में रखी थी और अभी एक सवाल वहां खड़ा हुआ था पानी के बारे में कि कितना पानी ट्यूब वैल्स के जरिये वहां प्राप्त हो सकता है। एक लाख किलोवाट का जेनरेटर वहां लगाया जाय तो उसकी जानकारी हो सकती है, इसके लिए एक्स्प्लोरेटरी ट्यूब वैल ऑर्गनाइजेशन को लिखा है, एटोमिक एनर्जी के एक्स्पर्ट भाभा को भी लिखा है कि एटोमिक प्रोसेस से यह जानकारी कर सकते हैं क्या कि फ्यूचर में भी वहां पानी की उपलब्धि कितनी होगी, कहीं पानी पोकेट की तरह तो नहीं है, ओवर फ्लो है या नहीं। उसके सम्बन्ध में कार्यवाही हो रही है। उनकी जांच के बाद में ठीक तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। उस दशा में जो कदम उठाने चाहिये, जो कार्यवाही हो सकती है, उस कार्यवाही को करने के लिए सरकार बाराबर प्रयत्नशील है।

माननीय उपाध्यक्षजी, इस सदन में इस बात पर काफी वाद-विवाद हुआ कि जो राज्य कर्मचारी हैं उनकी जो हमें इस मौके पर महंगाई में बढ़ोत्तरी करनी चाहिये थी वह हमने की और यह उनके साथ में न्याय नहीं हुआ। मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी सरकार, उसके लिये संभव हो कि वहां अपने राज्य के कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचा सके तो उसके लिये उसके दिल में झिझक नहीं होगी, लेकिन उसको यह ख्याल रख कर चलना होगा और सरकार के सामने जिम्मेदारी है कि जिन लोगों से टैक्स लेती है, राजस्थान की जनता से टैक्स लेती है, उसके काम काज को, डेवलपमेंट प्रोग्राम को क्या बिल्कुल रोक दे और सारी की सारी इन्कम केवल मात्र तनख्वाह बढ़ाने में खर्च कर दे। तो मैं समझता हूं सदन इसे पसंद नहीं करेगा और

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

न कोई दूसरा ही पसंद करेगा। जो टैक्स प्रोपोज़ल रखे गये, उसके बारे में काफी वाद विवाद है और यह भी कहें कि ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिलने चाहिए। जो इस सदन में बैठते हैं, वे राजस्थान के काम को चलाने वाले हैं, राजस्थान का काम चलाने की जिम्मेदारी किसी एक की हो, मैं इसे नहीं मानता, इस सदन की जिम्मेदारी है। जब खर्चा बढ़ाने की बात सोचते है तो यह भी इस सदन को सोचना होगा कि कहां से उसकी पूर्ति होगी। सदन में चर्चा होती है कि यह ठीक नहीं हुआ, वह ठीक नहीं हुआ, यह बचत हो सकती थी, वह बचत हो सकती थी पर सवा-डेढ़ करोड़ का खर्चा बढ़ाते हैं तो उसकी पूर्ति के लिए भी विचार करना ही पड़ेगा।

पिछला एक साल गुजरा है जिसमें भावों में विशेष तौर से बढ़ोत्तरी हुई। मैं समझता हूं माननीय सदस्यों को संतोष होना चाहिये कि राजस्थान जैसे प्रदेश में, जहां हमारे वित्तीय साधन इतने सीमित है, कोई भी व्यक्ति हो; सरकारी कर्मचारी हो, कोई भी हो कुल मिला कर हमारे यहां की आर्थिक शक्ति है उस आर्थिक शक्ति से हमारी दूसरी चीजें बेमेल नहीं चल सकतीं, समन्वय करके चलना होगा। आज आर्थिक स्थिति जो है उसको देखते हुए १५ रुपयों की बढ़ोत्तरी नीचे लेवल पर काम करने वालों की है। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सदस्यों की जानकारी में मैं लाना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर यह कहा जाता है या समझा जाता है कि लो पेड एम्प्लोईज हैं, उनकी तरफ यह कांग्रेस सरकार ध्यान देकर नहीं चलना चाहती है और सोशलिस्टिक पैटर्न की बात करते समय कम तनख्वाह पाने वालों का ध्यान नहीं रखती है, उनको ऊंचा नहीं उठाती है। मैं यह रखना चाहता हूं कि ५०-५१ में राजस्थान में जो स्थिति थी और आज के दिन जो स्थिति है, इन दोनों पर निगाह डाल कर विचार करें तो सारा पिक्चर साफ नजर आयेगा। ५० में राजस्थान का पियोन था उसको डीअरनेस और तनख्वाह मिला कर ३७ रुपया मिनिमम मिलता था........

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इसके साथ साथ प्राइस इन्डेक्स भी बता दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस पर भी आता हूँ....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आप १९५०-५१ के फिगर्स दे रहे हैं। आप इस आलोचना का जवाब दें कि ४०० से ऊपर पाने वालों को जिनका डीयरनेन्स अलाउन्स पहले मर्ज हो चुका, आप उनको ३५ दे रहे हैं और इनको १५ दे रहे हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप एम्प्लोईज के केस को प्लीड कर रहे थे। मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे लेवल पर उनको ऊंचा लाएं, इसके अंदर दो राय नहीं। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि १९५० के अंदर जो क्लास फोर एम्प्लोई लोएस्ट लैडर पर था उसका मिनिमम १७ रु० था। माननीय सदस्यों को पता होगा

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

उसके बाद, यानी १९५० के बाद मेडीकल फैसिलिटी दी गई, एजुकेशन फैसिलिटीज़ दी गई, हाउस रेन्ट अलाउन्स दिया गया। उसकी वजह यह है कि सोश्यलिस्ट पैटर्न का मतलब कैश के अंदर देने से नहीं होता है बल्कि उनकी जो मिनीमम आवश्यकताएं हैं, जो सोश्यल रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी पूर्ति की तरफ भी कदम उठाए जाते हैं। मतलब यह है कि किसी का एक लड़का है उसको आगे पढ़ने की फैसिलिटी दी जाय, बजाय इसके कि हरेक के १० रुपये बढ़ाए जायं जिससे किसी के घर में पढ़ने वाला न हो तो भी उसको रिलीफ दें। तो मैं कह रहा था कि पहले जिसकी तनख्वाह ३७) रु० थी उसके मुकाबले में आज राजस्थान के क्लास फोर की मिनिमम ७०) रुपये है। उस ७०) रुपये के अलावा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो जयपुर शहर में क्लास फोर सरवेंट रहता है उसको जयपुर शहर में रहने की वजह से पांच रुपये और ऐड होते हैं और उसके साथ साथ हाउस रेन्ट अलाउस के ६) रुपये और ऐड होते हैं। इस प्रकार कुल मिला कर जहां ३७) रुपये पहले था उस ३७) के बजाय आज उसको ८१) रु० मिलते है यानी डबल से भी ज्यादा प्लस फ्री मेडीकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन भी है। तो जो लोएस्ट कैडर पर है उसकी सरकार ने चिन्ता नहीं की हो, यह नहीं है। अगर उस कैडर की न्यूट्रलाइज़ेशन को देखें, तो भी आज़ के दिन ५०) रुपये बनते हैं। आप तो स्टैटिस्टिक्स जानने वाले हैं। १९५० के अंदर जो हमारा फिगर था, इस बीच के समय के अंदर जो राइज़ हुआ है, इन्डेक्स नम्बर को सामने रख कर चला जाय, अजमेर के अंदर इन्डेक्स नम्बर निकलता था यहां शुरू होने से पहले उसको कोरिलेट किया जाय और और सेन्ट परसेंट न्यूट्रलाइज किया जाय तो आज के दिन ५०) रु० बनता है, उसके बजाय उसका ८१) लोएस्ट कैडर में किया गया है। उसका मतलब यह है कि न्यूट्रलाइज़ेशन तो लोएस्ट कैडर वालों का हुआ प्लस प्लान की वजह से जो हम आगे बढ़ते हैं और उसको ओर लेवलों पर बढ़ाया है और आगे बढ़ाने के लिए फैसिलिटीज़ दी गई हैं।

लोवर डिवीज़न क्लर्क जिसको दूसरी कैटेगरी के अंदर रख कर चलना चाहिए, उसको राजस्थान के अंदर पहले १९५०-५१ के अंदर ६५) रुपये मिलते थे और आज के दिन राजस्थान के अंदर १३०) रुपए मिलते हैं प्लस एजुकेशनल और मेडीकल फैसिलिटीज़। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हु कि राजस्थान के लोअर लेवल्स के लिये, जिन लोगों की तनख्वाहें कम हैं, उनके बारे में यह कहना कि कुछ नहीं किया गया, हम कुछ एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, मैं समझता हूं, यह उपयुक्त नहीं होगा।

इसी तरह टीचर्स के बारे में, लोएस्ट लेवल के जो मैट्रिक ट्रेन्ड टीचर्स हैं उनको लेकर हम चलें, तो पहले उनका ६५) रुपये का मिनिमम था और आज उनको कुल मिलाकर १३१) रुपये मिलते हैं।

तो मेरा निवेदन करना है कि और हम बढ़ा सकें उस पर मैं मतभेद नहीं रखता। मैं भी चाहता हूं कि हम ज्यादा

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कर सकें। भारत सरकार का ऐसा कोई फॉर्मूला होता जैसा दूसरी पंच वर्षीय योजना में था कि उन्होंने कुछ प्रतिशत सब्सीडाइज किया था, तो अलग बात होती। लेकिन आज हमारे टैक्सेज के एफर्ट्स अगर केवल वेतन की बढ़ोत्तरी की तरफ लगाये जायं तो डेवलपमेंट के जरिये जो फर्दर एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल डेवलप होता है, जिससे आज नहीं तो कल भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके, वह अवरुद्ध हो जायगा और देश को क्षति पहुंचेगी।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह भी निवेदन करूं कि जब हम वेतन वृद्धि के प्रश्न पर सोचते हैं, आज मार्च के महीने में, तो यह भी कल्पना करके चलें कि इस महीने में खास तौर से, और फरवरी के पिछले फोर्टनाइट में चीजों के भावों में कमी आई है, ट्रेंड उतार की तरफ है। उस मौके पर हम कहें कि बढ़ोत्तरी का सिद्धांत होना ही चाहिये, एक पोलीटिकल बात मालूम होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज कर्मचारियों के लिये हम करना चाहते हैं और हमने किया भी है। हमारी हालत अच्छी होगी और परमात्मा न करे, अगर भावों में बढ़ोत्तरी हुई तो सरकार कर सकती है। लेकिन आज जो स्थिति चल रही है, जो कुछ सरकार कर चुकी है, हमारे वित्तीय साधनों को देख कर हम और कुछ नहीं कर पायेंगे। तो अच्छा यह है कि एजीटेशनल एप्रोच छोड़कर काम में लग जायं और सरकारी कर्मचारियों को इस बात का लक्ष्य लेकर चलना होगा।

आज राजस्थान के लोग उम्मीद करते हैं कि जो करोड़ों रुपये सेवाओं पर खर्च होते हैं उनका रिटर्न उनको मिले। आज किसान चाहता है कि गांव में अस्पताल हो, स्कूल हो तो उनको हम यह कहें कि तुम्हारा काम नहीं हो रहा है और राज्य सरकार तो कुछ नहीं कर रही है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : राज्य सरकार फिजूल खर्ची रोके। उसकी बहुत गुंजाइश है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : फिजूलखर्ची रोकने से इन्कार नहीं है। लेकिन आज खर्चे का सवाल आता है। हम इस बात का लक्ष्य लेकर चलें कि रेकरिंग एक्सपेंडीचर में जो बढ़ोत्तरी करते हैं उससे स्थाई तौर खर्चा बढ़ जाता है।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने अभी इस बात की जानकारी करने की कोशिश की थी, पिछली फरवरी तक का ही अन्दाज हो सकता था, मार्च तक का तो मुश्किल है कि फीगर्स मिल सकें, जो इन्डेक्स नम्बर चल रहे हैं उसमें पिछली फरवरी में क्या स्थिति थी, तो मैं निवेदन करूं कि जहां अक्टूबर में २०२ थे, फूड का आइटम कह रहा हूं, नवम्बर में २०४, दिसम्बर ६४ में २०१, जनवरी १९६५ में १९९ और फरवरी में १८७ पहुंचे। जिसका मतलब यह है कि १७ पोइन्ट इन पिछले तीन-चार महीनों में फूड आइटम्स पर गिरावट हुई है। इसलिए मैं बहुत ही नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : बाजार में नहीं हुई है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ये फीगर्स तो असेस होकर आये हैं, फाइनेलाइज होकर बाद में आवेंगे । यह आज सबके सामने है, हर एक व्यक्ति इस बात को जानता है । चार महीने पहले जो भाव थे उसके मुकाबले आज भाव क्या हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : बेंगन १।।) रुपया किलो है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दूसरा यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रख कर चलना है कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के बजट में रोजमर्रा की चीजें हैं उनमें, एक्साइज की ड्यूटी कम करके रिलिफ दिया गया है, उसका फायदा भी तो एक कन्ज्यूमर को अल्टीमेटली मिलने वाला है । जहां प्राइसेज को चारों तरफ से नीचे लाने के एफर्ट्स हो रहे हैं वहां हम इस तरह प्लीड करें कि जिससे भाव ऊपर जाने की बात हो तो यह कोशिश हमें नहीं करनी चाहिये । मैं समझता हूं राजस्थान के हित की दृष्टि से यह उचित बात नहीं होगी ।

यह भी निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्षजी, कि एक माननीय सदस्य ने कर्मचारियों के साथ सरकार कोई ज्यादती करती हो, अपने भाषण के दौरान में यह कहा था कि एल. डी. सीज और यू. डी. सीज जो आठ आठ, दस-दस साल की सर्विस कर रहे थे उनको निकाल दिया और उनके साथ ज्यादती की गई । मैं बहुत ही नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन एल. डी. सीज और यू. डी. सीज को रिट्रेन्च करने की जरूरत पड़ी, उस बात के लिए माननीय सदस्य इस बात की जांच करें कि एल. डी. सीज और यू. डी. सीज जो काम कर रहे थे, उनकी पोस्ट्स एडवर्टाइज होकर उसके लिए इम्तिहान हुए, उसके बीच में जूनियर डिप्लोमा कोर्स के जरिये सेक्रेटेरियट में और युनिवर्सिटी में इम्तिहान हुए, उनको पास नहीं किया, एलिजिबल थे, पास कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया और आखिरी इम्तिहान लिया गया । सेक्रेटेरियट के केन्द्र बनाया और इम्तिहान लिया गया, कुल मिला कर कनिष्ठ लिपिक और लिपिक १६४ के करीब इम्तिहान में बैठे और उनमें से १६० पास हुए और तीन फेल हो गये । तीन फेल हुए उनके लिए भी अगर एजीटेशन चलने लगे और फेल वालों को भी रखना चाहिये किसी प्रकार, बीच में इतनी ऑपोर्चुनिटी दी गई, इतना मौका दिया गया, दो बार, तीन बार, उसमें भी पास न हो और फेल हो जाने के बाद भी उनको रखना चाहिये, यह माननीय सदस्य भी चाहेंगे कि उचित नहीं होगा । माननीय सदस्य यह भी चाहेंगे कि आखिर एक स्टेज ऐसी होगी कि उनको टेस्ट पास करना होगा । वे रहें, हमें एतराज नहीं । उसका भी एजिटेशन को आधार बनाया जाय, मैं समझता हूं, आगे चल कर यह उपयुक्त बात नहीं होगी ।

माननीय उपाध्यक्षजी, पुलिस की हड़ताल के बारे में और दूसरी चीजों के बारे

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

में कहा गया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस विभाग के सम्बन्ध में मैं और कुछ कहूं उससे पहले मुझे यह समाचार देते हुए खुशी होती है कि बाड़मेर में नाक कान काटने के लिए, फतहमोहम्मद के लिए, एक माननीय सदस्य ने नाम लिया था उसमें वे शरीक थे, उसको कल बाड़मेर में गिरफ्तार कर लिया गया है और यह घटना कल ही यहां हुई, जिससे जो आतंक फैला हुआ था, नांचना गांव, ये मेघवाल छोड़कर चले गये, वे मेघवाल सब वापिस आकर नांचना गांव में बस गए हैं और उनके दिल में किसी प्रकार के कोप की बात नहीं है।

माननीय उपाध्यक्षजी, इस सदन में पुलिस के बारे में यह कहा गया था कि उनकी जो शिकायतें होती हैं उनको सुनने के लिए एक ग्रिवान्सेज़ कमेटी बनाने के लिए इस सदन में कहा गया था, लेकिन इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया और कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं सदन की जानकारी के लिए निवेदन कहना चाहता हूं कि इस विषय में शीघ्र से शीघ्र जो विस्तृत जानकारी मिल सकती थी वह जयपुर जिले की ही हो सकती थी इसलिए मैंने एस. पी. जोधपुर को स्पेश्यली बुला कर इस विषय में पूछा। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि अप्रेल, १९६४ से लगाकर दिसम्बर १९६४ तक के बीच में ३५ तो एस. आईज, ३२ हैड-कॉन्स्टेबल्स और २३६ कॉन्स्टेबल्स की शिकायतों को डील किया गया इस नौ-दस महीने के पीरियड में, जिसमें एरियर्स, टी.ए., फिक्सेशन, रिडक्शन की शिकायतें थीं। एरियर्स के बारे में, फिक्सेशन के बारे में इस प्रकार की बहुत सी बातें उनके सामने आयीं, उनको डील किया। इतने कम समय में जो मैं जानकारी कर सकता था वह जानकारी की कि राजस्थान में ६४ में २६३ जगह मीटिंग्ज हुई और ६०८ के करीब केसेज़ को डिस्पोज ऑफ किया गया। माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने इस बात की भी जानकारी करने की कोशिश की कि कितने केसेज़ फिक्सेशन और रिवाइज़्ड पे स्केल्स के हैं और उनको फाइनली डिसाइड करने के लिए पेंडिंग रखा हुआ है, उसमें फिक्सेशन के केसेज़ सारे राजस्थान में २०० के करीब। यह तादाद मुझे भी ठीक नहीं लगी, जो आज दिन तक बाकी है, इसलिये मैंने कल ही आई. जी. पी. से कहा है कि तीन महीने के अन्दर ६० परसेन्ट केसेज़ डिस्पोज ऑफ होने चाहिये और उसकी मेरे पास रिपोर्ट आनी चाहिये। ये पड़े न रहें। ये ग्रिवान्सेज़ कमेटीज़ ज्यादा से ज्यादा मिलें और फ्रीली अपनी बात करने के लिये ऑपोर्चुनिटी मिलनी चाहिये। मैं यह भी कह कर नहीं चलना चाहता कि उनको ऑपोर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिये।

सदन में बार बार सवाल यह खड़ा होता है कि कर्मचारी यूनियन को माना जाना चाहिये और जो भूख हड़ताल चल रही है उसके साथ इसका सम्बन्ध जोड़ा जाता है। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्षजी, जो मानसिंह भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इस यूनियन को हमने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है, फिर भी यह जानकारी हुई है उनकी तरफ से कि वे यूनियन की इजाजत के खिलाफ भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। बजाय इन

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

टैक्टिक्स को जारी रखें, आपस में मिला जाय और बातचीत की जाय और ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे और तरह की चीज बनें।

माननीय उपाध्यक्षजी, जहां तक पुलिस यूनियन को रिकॉग्नाइज करने का सवाल है, दो–तीन स्टेट्स के अलावा कहीं पुलिस की यूनियन रिकाग्नाइज़ नहीं हैं इसलिये इस सवाल को भारत सरकार और दूसरी स्टेट्स के साथ बातचीत करके एक ही नीति निर्धारित की जानी चाहिये, बजाय इसके कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नीति हो इसलिये इसके कानूनी पहलू और सरकार इसको रिकॉग्ना-इज़ करे, इस पर दूसरी स्टेट से बातचीत चल रही है। इतना ही कह कर इस मौके पर चल सकता हूं और अधिक नहीं कहना चाहूंगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने १५ साल से इसको लटका रखा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप मुझे कहने दीजिये। आपको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था, आप मुझे पहले सुन लीजिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने इसको १५ साल से लटका रखा है। या तो आप यह कह दीजिए कि हमारी सरकार इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगी; पिछले साल भी, इस साल भी यह मामला आया है और अगले साल भी आवेगा। पहले ही इसको डिसाइड कर दीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो कुछ मुझे इसके बारे में कहना चाहिये था वह मैंने कह दिया, उससे माननीय सदस्य जो कुछ समझना चाहें समझ सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्षजी, इस बहस के दौरान में, मुझे दुख है कि कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक टेन्डर के बारे में राणा प्रतापसागर के विषय में जिस तरह का जिक्र किया है और उसमें केन्द्र के उप–मन्त्री जो यहां पर मौजूद नहीं हैं, जो पार्लियामेन्ट में हैं, श्री हाथी के बारे में जिस तरह का आक्षेप उन्होंने किया, मैं समझता हूं वह एक दुःखद बात थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो वहां पर टेन्डर इन्वाइट किये गये, उसके बाद वह कमेटी को रेफर किया गया, उसके अन्दर डॉ० राव जो उस समय थे, टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे। उस कमेटी ने टेन्डर तय किये और उसके बाद वह टेन्डर बोर्ड के सामने आया। जिस बोर्ड में, जहां हाथीजी चेयरमैन हैं, वहां मध्य प्रदेश रिप्रेज़ेन्टेड है, राजस्थान रिप्रेज़ेन्टेड है, कई लोग रिप्रेज़ेन्टेड हैं, वहां पर उसका फैसला किया गया। जिस वक्त की बात कही गई है श्री हाथी उस मिनिस्ट्री में ही नहीं रहे। वे लेबर और दूसरी में चले गये थे। वहां वह कमेटी ही तय करती थी। एग्जीक्युटिव ऑथोरिटी किसी चेयरमैन की हो, वह प्रश्न नहीं है। यहां पर उसको रिजेक्ट किया और इन्ट्रेस्टेड थे, यह कहा गया। मैं नम्रतापूर्वक माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि शायद उनको

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

इस बात में भ्रम रहा हो, हाथीजी के बारे में इस प्रकार की कल्पना कर बैठे हों, स्वयं भी अनभिज्ञता के कारण यह कह दिया हो तो इसको स्पष्ट कर देंगे, तो मैं समझता हूं कि उसमें कोई गलत बात नहीं होगी। बल्कि फैक्ट्स सामने आने पर करेक्ट कर लेते हैं तो कोई एतराज नहीं। जो कुछ आपने कहा ओर्गेनाइज़र अखबार ने जिस प्रकार उसको रिफ्लेक्ट किया, स्वाभाविक तौर से जो आदमी प्रामाणिकता के साथ में काम करता रहा है, हमारे सदन के जरिये उसके लिये इस प्रकार की बातें कही जायं, उन पर इस प्रकार के आक्षेप हों जो भारत सरकार के जिम्मेवार पद पर हैं, उनके लिये इस प्रकार से कहा जाय वह चीज हम सब के लिये विचारणीय हो जाती है; इसलिये मैंने खास तौर से आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप एक बात बता दीजिये; हाथीजी थे या और कोई, इसमें मैं जाना नहीं चाहता। इस सम्बन्ध में जो स्पेसिफिक चार्जेज लगाये गये हैं टेन्डर आदि लेने के बारे में, उसकी प्रक्रिया के सम्बन्ध में शिड्यूल्ड रेट्स से ज्यादा देने के बारे में, उस बात का आपने उल्लेख नहीं किया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो टेन्डर तय किया गया, जिसको मन्जूर किया गया वह एक अलग आस्पेक्ट है। जहां तक टेन्डर के मन्जूर करने का सवाल है उसके लिये जो कमेटी थी वह डाक्टर राव के चेयरमैनशिप में कमेटी थी, उसने सिफारिश की। उस टेन्डर की सिफारिश हो जाने के बाद इम्प्लीमेन्टेशन के अन्दर क्या बातें हों, किस प्रकार का काम हो, इस बारे में इरिगेशन मिनिस्टर बता सकते हैं। इमीजियेटली में इतनी जानकारी नहीं कर पाया; लेकिन टेन्डर मई १९६२ में मन्जूर हुआ है और श्री हाथी तो उसके बाद इसके चेयरमेन भी नहीं रहे।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : मैं स्पष्टीकरण के तौर पर निवेदन कर दूं, आप प्रोसीडिंग उठा कर देख लीजिये, मैंने नाम नहीं लिया है। मेरे चार्जेज दूसरे थे, जिसको आप अवोइड करते जा रहे हैं।

I have not mentioned any name anywhere.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपने कहा चेयरमैन जिस जगह के थे उसी जगह की कन्स्ट्रक्शन कम्पनी है, इसलिये उसको दिया गया। इससे साफ जाहिर होता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दोनों एक जगह के हों तो हों।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ५-१२-६१ को काम आरम्भ हो गया। प्रोवीजनल एग्रीमेन्ट १-५-६२ को हुआ है। मैंने चार्ज यह लगाया था कि जो टेन्डर्स इन्वाइट किये गये उसके लिये विदिन २४ आॅवर्स चार लाख रुपये अर्नेस्ट मनी के जमा कराने की शर्त रखी। इसका क्या कारण था, यह तो आपने नहीं बताया ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक टेन्डर के इन्वाइट करने का प्रश्न है चीफ इन्जीनियर को अधिकार है वह टेन्डर इन्वाइट करता है। जो भी शर्तें लगानी होती हैं वे लगाते हैं। चीफ इंजीनियर टेन्डर लेने के बाद उनकी स्क्रुटिनी करके चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड के पास भेजते हैं, उसके लिये सब-कमेटी है जिसमें सी. डब्लू. पी. सी और फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट का मेम्बर होता है, वे टेन्डर को एग्ज़ामिन करते हैं, स्क्रुटिनी करते हैं। वह स्क्रुटिनी सब-कमेटी ने की जिसके चेयरमेन डॉक्टर राव थे। यह होने के बाद वह बोर्ड की स्वीकृति के लिये गया बोर्ड के सामने। बोर्ड में दोनों स्टेट्स के नुमायन्दे चेयरमैन युनियन गवर्नमेन्ट होते हैं जो उस समय के डिप्टी मिनिस्टर थे। उन सब ने मिल कर यह तय किया।

श्री भैरोंसिंह : आप मूल बात का उत्तर दीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दूसरे पॉइन्ट का जवाब विस्तार से अभी नहीं दिया जा सकता; उसके लिये फिर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जैसा कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, उससे श्री हाथी पर इन्डाइरेक्टली रिफ्लेक्शन आता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : घोटाला होता होगा तो आयगा। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा २४ घंटे पहले चार लाख रुपये अर्नेस्ट मनी देने की कन्डीशन रखना, यह किस बात की द्योतक है, इसमें चाहे हाथी जी हों या ऊंट जी हों; उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर श्री पटनायक और उनके मिनिस्टर मित्रा के बारे में मेन्डेट दिये गये हैं। कौन क्या कर सकता है, इसकी कौन कह सकता है? हाथीजी को भगवान ने दूध का धुला हुआ नहीं बनाया है या आपने सर्टिफिकेट दे दिया तो सब ठीक हो गया। आप उसकी सफाई दीजिये जो स्पेसिफिक तौर से चार्ज लगाये हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो आरोप श्री हाथी पर लगाये गये हैं वे बिल्कुल निराधार हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं राणा प्रताप सागर डेम जो ४ करोड़ का बना है उसमें करीब १ करोड़ रुपये का घोटाला है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह तो अन्दाज इस पर ही लगाया जा सकता है कि चार करोड़ के प्रोजेक्ट में एक करोड़ का घोटाला ! इसमें कितना तथ्य है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो एलीगेशन्स लगाये हैं, उनका कोई जवाब नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मन्डोर में जो मूर्तियां हैं उन मूर्तियों के फोटो लिये गये, उनको लाकर उन्होंने बताया। इस पर हमने जांच की और वहां पर जो इन्चार्ज व्यक्ति है ड्यूटी पर उसको इमीजियेटली सस्पेन्ड करने के लिये आदेश दे दिये हैं और इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने की आज्ञा दे दी गई कि इसकी जांच

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

की जाय कि किस प्रकार फोटो लिये गये, किस प्रकार यह कार्यवाही हुई।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने इस बहस के दौरान यह भी देखा है कि एक माननीय सदस्य किस प्रकार से जो वास्तविकतायें हैं उनको ट्विस्ट करके सदन के सामने रखते हैं और एक प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयत्न करते हैं।

इस सदन के अन्दर बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने दो चिट्ठियां इस सदन में पढ़ कर सुनायीं जिसके अन्दर एक अकाउन्ट्स ऑफिसर, उदयपुर माईनिंग डिपार्टमेन्ट ने के० एल० जैन को इस बात का पत्र भेजा कि आपने श्री सुखाड़ियाजी और डी० एम० जी को दे दिया, उससे काम नहीं होने का, मुझे भी देना पड़ेगा; १३ फरवरी को मिलो।

मुझे अफसोस है कि बीकानेर से आने वाले सदस्य जो सदन के जिम्मेवार सदस्य हैं; मामूली तौर से एक व्यक्ति भी यह कल्पना कर सकता है ! एक गवर्नमेन्ट ऑफिशियल सर्विस में रहते हुए किस प्रकार से ऐसा पत्र लिख सकता है और जिसमें भी यह कि वह किसी से रिश्वत की मांग करता हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि २९ और ३० तारीख के दिन जो चिट्ठी लिखने की बात कही जाती है, वास्तविकता यह है कि ३० तारीख के दिन के. एल. जैन माईनिंग डिपार्टमेन्ट उदयपुर में रॉयल्टी और दूसरी चीजों के लिये उदयपुर में बातें कर रहे थे। चिट्ठी में यह बताया गया है कि उनके नाम पत्र २९ तारीख को डिस्पेच किया गया, उनके नाम पर जिसमें लिखा कि १३ फरवरी तक मिलने का टाइम नहीं, आपको १३ फरवरी के बाद मिलना पड़ेगा; इस प्रकार की भाषा है। २० और ३० के आस-पास मिले हैं ; ६ तारीख का लैटर लिखा ए. ओ. ने, ३० तारीख को बातचीत हुई; उस बातचीत के आधार पर फलां तारीख को जयपुर माइनिंग डिपार्टमेन्ट को जाकर अपना रिकॉर्ड पेश करो। ८ फरवरी को वह पार्टी मिलती है और १३ फरवरी को फाइनल डिस्पेच करने के लिये मिलती है। तारीफ की बात यह कि ए. ओ. का लैटर भी माननीय सदस्य के पास और के. एल. जैन का पत्र भी माननीय सदस्य के पास; जैसे मानो दोनों ने उन्हीं के पास चिट्ठी भेजी हो और कहा यह जाता है कि भ्रष्टाचार फैल गया; देखो इस प्रकार से चिट्ठियां लिखी जाती हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वे तथ्यों की गहराई में जाकर सोचें तो ज्यादा अच्छा हो।

सदन में यह भी कहा गया एक माननीय सदस्य द्वारा कि यहां पर एक अधिकारी है जो पाकिस्तानी नेशनल के साथ मिले हुये हैं। एक महिला जिसकी मृत्यु हो चुकी है मिस सरोजनी उसके बारे में, उसके भाइयों के बारे में कहा गया कि सारे के सारे पाकिस्तान से मिल कर के चल रहे हैं; उस रोज ही जिस रोज यह बात कही गई, मैंने जयपुर के एस. पी. को जानकारी के लिये कहा, जयपुर के एस. पी. ने इस बारे में पूरी जानकारी की। जो शिकायत करने वाले थे उनसे यह कहा गया कि

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

महरबानी करके ओरीजिनल लैटर दें लेकिन उन्होंने नहीं दिया । नहीं देने के अलावा जिस लैटर के लिये बताया जाता है वह लिखने वाला एम. ए. पास है लेकिन उस लैटर की भाषा को पढ़ा जाय तो मालूम होगा कि एक मामूली व्यक्ति भी नहीं लिख सकता । उसकी फोटो स्टेट कॉपी माननीय सदस्य के पास मौजूद है । मैं निवेदन करना चाहता हूं; आजकल इस प्रकार के फोर्जरी के काम बहुत चल रहे हैं, बहुत से व्यक्ति इस प्रकार फोर्जरी करते हैं ......

श्री भैरोंसिंह : आपकी हुकूमत में इसी प्रकार की फोर्जरी चलेगी ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय समस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे कोई भी चीज सदन के अन्दर लायें, ज्यादा क्या कहूं, वे खुद ही विद्वान हैं, लेकिन कोई भी चीज लायें उसकी जांच पड़ताल कर लिया करें कि कहीं फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट तो नहीं है ।

मैंने तो यहां तक सुना है कि वे दूसरों के भी कइयों के पास गये । दूसरों ने तो कहा कि ये फर्जी मालूम होते हैं । पर बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने उन्हें पकड़ लिया । सोचा, यहां बोल देंगे तो अखबारों में पब्लिसिटी मिल जावेगी; तो ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिये और वे तत्काल आगे बढ़ कर आ गये ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ओन ए पोइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन, सर, हाजिर नहीं है जिनके बारे में आप फरमा रहे हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरे भी डॉक्यूमेन्ट्स रखे हैं । जयनारायणजी व्यास ने नोट्स रक्खे हैं । और दूसरी चीजें रक्खी हैं जो आपके रिश्तेदारों से सम्बन्धित हैं । आप उन पर कहिये । आपकी आदत है कि वीक पोइन्ट पर पहले बोलते हैं । उसे जल्दी पकड़ते हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वीक पोइन्ट निकला, यह आपने माना तो सही ।

तो मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आगे निवेदन करूं कि माननीन सदस्य ने पानरवा के बारे में उल्लेख किया । यहां पर पानरवा के बारे में इतनी बार बहस हो चुकी । उन्होंने इस बात पर एक लाइन पढ़ कर सुनाई और यह कहा सुब्रह्मण्यम् के नोट पर चीफ मिनिस्टर के पास फाइल आई थी और उस पर लिख दिया कि I have seen the file और उसकी परवाह न करके पानरवा का फैसला कर दिया ।

मैं सदन की जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस चीज का जिक्र किया है यह मेरा नोट यह है, "I have gone fully into this case" यह तो सेन्टेन्स कहा है । आगे का नहीं कहा । फिर आगे मैंने कहा : " I don't wish to offer any comments on this. I would like that the whole case with full facts and opinion of all concerned may be put up before the Cabinet for decision. R. S. may be asked to prepare Cabinet Memo and submit as early as poossible."

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

इसके बाद कैबिनेट में आने के बाद जो फैसला किया वह यह किया कि :

"The Revenue Department Memo. No.——— regarding the contract of the Panarva forest, Udaipur District, in favour of Ghulam Abbas was considered. It was dcided that the stay order dated 28th September, 1957 passed by the Forest Minister should continue and that the administrative department should re-examine the matter in the light of the observations of the Chief Secretary in his note dated the 28th November, 1957."

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को मैंने कन्सेन्ट देकर और उनके नोट को ओवर रूल करके पास करवा दिया; इस बात को सदन में रखने वाली बात कहना, उससे पहले यह अच्छा होता कि वे तथ्यों में जाते ।

फिर मैं दूसरा निवेदन करूं कि गुढ़ा बांध के बारे में बहुत जोर से बात कही और कहा गया कि गुढ़ा बान्ध का प्रोजेक्ट तीन लाख का एस्टीमेट से बनवाया गया । फिर न मालूम २६ या कितने लाख में बना और एस्टीमेट कमेटी ने भी इस बात को कहा है और चीफ मिनिस्टर ने क्योंकि उनके रिश्तेदारों की जमीन वहां आने वाली थी इसलिए उसको बनवा दिया और एस्टीमेट कमेटी का हवाला दिया तो मुझे आश्चर्य हुआ । मैंने सोचा कि तीन लाख का प्रोजेक्ट तो मेरे खयाल में जिस जमीन मे इतना ईरिगेशन होने वाला हो, वह ३ लाख में बन जावे । मेरी समझ में आने वाली बात नहीं थी । इसलिए मैंने सोचा एस्टीमेट कमेटी ने क्या लिखा है उसकी जानकारी करूं । एस्टीमेट कमेटी में भ्रम हो गया । एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट में पेज ३१ पर लिखा है, आंकड़े तो सही हैं; कुल योजना का प्रावधान ५७ से ६१ तक; मतलब सेकण्ड प्लान में अमुक प्रोजेक्ट पर कितना खर्चा होगा, उसका प्रावधान दिया हुआ है । वह इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि गुढ़ा के लिए तो यह दिया हुआ है । उसके साथ में जवाई बान्ध के लिए सिर्फ १० लाख दिया हुआ है । इसी पेज पर । तो क्या १० लाख का प्रोजेक्ट जवाई का है । इस प्रोजेक्ट पर दूसरे प्रोजेक्ट का दिया हुआ है, राणा प्रतापसागर डेम के लिए पचास लाख । यह है तीसरी योजना में कितना खर्चा होने का प्रावधान है क्योंकि दूसरी योजना में बहुत सा खर्चा हो चुका था । जो स्लिपट ओवर था, दो बार बान्ध टूटा, ब्रीचेज पर खर्चा हुआ, फिर यह कहा गया कि हजारों बीघा सिंचाई होती है । सिर्फ उन्हीं उन्ही की जमीन के लिये पानी दिया मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ कि वहां पर जो सिंचाई होती है वह दस हजार एकड़ पर होती है और वह तो और ग्रेजुअली आगे बढ़ेगी । पर मैं तो पिछले वर्षों की बता रहा हूं कि ९, साढ़े नौ हजार में तो आज हो रही है और जिन मेरे रिश्तेदारों की जमीन की रोज दुहाई दी जाती है उनकी जमीन के लिये मैंने पूछा । मुझे बताया

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

गया है, २०० बीघा होती होगी। उसको लेकर तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर भी १२ सौ बीघा जमीन की बात कहना! जहां १२ सौ का सवाल नहीं। पर सबसे ज्यादा अफसोस मुझे यह है कि जहां कानून से कार्यवाही होती हो वहां कैसे हो सकता है? कोटा कमिश्नर के लेटर की बात कही गई। जमीन ट्रान्सफर नहीं हो सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अच्छा सुबूत दिया। जो कोटा कमिश्नर ने कहा कि यह ट्रान्सफर नहीं हो सकता है क्योंकि वे चाहे मेरे रिश्तेदार थे, पर वे नहीं जोतते थे इसलिये तो वह जमीन कैंसिल हो गई; पर वह ट्रान्सफर नहीं की गई और जो कोटा कमिश्नर ने कहा उसी प्रकार की कार्यवाही हुई। तो यह करवा लेने का प्रश्न नहीं आता।

मैं यह भी कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष जी, कि यह जमीन की बात सब जानते हैं मेरी पत्नी ने उदयपुर में जमीन ली है। आज हमारे पास में २००–१२०० एकड़ जमीन होती तो उसके पीछे रोज जाकर, खड़े होकर इतनी मेहनत करके उसके काम में लगे हुए हैं तो इतनी जमीन दूसरी जगह होती तो वहां जाकर जरा से टुकड़े पर रात दिन मेहनत करने की जरूरत क्यों पड़ती? इतनी जमीन करने के लिये खर्चा करने की जरूरत क्यों पड़ती? यह कॉमन सेंस से भी अन्दाज लगा सकते हैं। पर दूसरी बात के साथ जोड़ दिया गया यह भी।

यह कहा गया रामनाथजी पोद्दार का ट्रैक्टर चल रहा है क्योंकि हमारे सम्बन्ध हैं उनसे। मैं दावे से कहता हूं कि अगर रामनाथजी पोद्दार, जो पोद्दार मिल वाले हैं, का ट्रैक्टर वहां चलता हो तो मैं इस पद से त्यागपत्र दे दूंगा। इस बात को घुमा-फिरा कर रखा जाता है दूसरों को हर प्रकार से धोखे में डालने के लिये। इसलिये निवेदन करना है कि इन बातों पर गहराई के साथ हमें सोचना चाहिये।

साथ ही मैं यह भी निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि यह खुशी का विषय है कि राजस्थान के विकास के लिये इसकी इकोनोमिक ग्रोथ के लिये अगर डिस्क्रीशन यूज करने की जरूरत पड़ती है तो डिस्क्रेशन यूज करेंगे और राजस्थान को प्रगतिशील बनाने के लिये काम करेंगे। पर्सनल इन्ट–रेस्ट में नहीं करेंगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले वर्षों में राजस्थान निश्चित तौर से आगे बढ़ा है और आगे बढ़कर भारतवर्ष के अन्दर अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ऑन ए पोइन्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन, सर....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अलग अलग बात उठाकर उनको एक दूसरे के साथ मिला कर गलत को भी सही बात कहने की कोशिश की जावे....

श्री मानिकचन्द सुराणा : ओन ए पोइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन, सर....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपने २०० बीघा की जमीन की बात कही। आपने पहले कहा था कि वहां पर मेरे रिश्तेदारों की कोई जमीन नहीं है। आज आप कहते हैं २०० बीघा है। ५६ में क्या अधिकार था कि उसको आप खातेदारी राइट्स दे देते। यह अधिकार किसको था ? वह कुल कितनी जमीन है, आप साफ कहते। मेरे पास कुछ भी नहीं है और धीरे धीरे मन्जूर करते जा रहे हैं कि उदयपुर में इतनी है, वहां इतनी है, राजस्थान भर में पता नहीं आपने क्या कर रखा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जमीन मैंने कही है....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपने यह कहा है कि वहां कोई जमीन मेरे रिश्तेदारों की नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपको मेरे कथन में कहीं कन्ट्राडिक्शन नहीं मिलेगा। फोर्जरी नहीं मिलेगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, गृह) : वह तो बनेड़ा से जमीन छूट गई।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अरे, आप तो बैठ जाओ, तुम्हारे को कौन पूछता है। यह दो सौ ही बीघा है या कितनी, स्पष्ट तो कर दें।

(४. म. प.)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़!

श्री भैरोंसिंह : यह तो कम से कम स्पष्टीकरण होना चाहिए कि वह कानून से ली या गैर-कानूनी तौर से ली, उसकी सफाई तो मुख्य मंत्री जी ने करदी, लेकिन वह कितनी जमीन है....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं इतना निवेदन कर दूं कि जो इसके अन्दर गैर कानूनी हो तो सदस्य तीन व्यक्तियों की जो निष्पक्ष हों वे इसमें कह दें तो चाहे उस पर मेरा हक नहीं है और वह रिश्तेदारों की जमीन है, लेकिन यह भी मालूम पड़ जाय कि उसमें गैरकानूनी कार्यवाही की गई है, तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इमीजियेटली वह कैन्सिल कर दी जायगी।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : किसी सरकारी अफसर ने गलती की है और उसको सस्पेंड कर दें, यह कोई न्याय होना है क्या? आपने पहले कह दिया कि जमीन नहीं है मेरे रिश्तेदारों की।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे रिश्तेदारों की जमीन नहीं है। मैंने यह कहा है कि राजस्थान के अन्दर मेरे रिलेशन्स हैं तो उनको भी दूसरे नागरिकों की तरह पूरा अधिकार है कि वे जीवित रह सकें और उनकी तरह से जमीन लें या व्यापार करें; तो इस बारे में मैं यह कहकर नहीं चल सकता कि आज के दिन जो मिनिस्टर हैं या दूसरे हैं उनके रिश्तेदार हैं उनको कोई काम करने का हक नहीं है जो कि दूसरे नागरिकों को प्राप्त हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह सवाल नहीं है। जहां तक कानूनी और गैरकानूनी स्थिति का प्रश्न आता है; माननीय मुख्य मंत्री ने कहा और स्थिति का स्पष्टीकरण किया है, परन्तु प्रश्न यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी जिस समय राजस्व मंत्री थे उस समय उन्होंने अपने रिश्तेदारों को जमीन एलॉट की है या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): सरकार ने की नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपकी कौनसी सरकार है ; बड़ी सरकार तो यह है ;

दूसरा क्वेश्चन यह है कि जो जमीन एलॉट की गई है वह जमीन एलाट कितनी की गई है और जमीन पर पजेशन कितनी जमीन पर है ? इसका स्पष्टीकरण कर दें।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसका स्पष्टीकरण दिलवा दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसके बिना सस्पेन्स रह जायेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इससे ज्यादा क्या स्पष्टीकरण किया जाय कि जिस ऑफिसर के जरिये जो कानूनी गलती हुई हो तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय। मैं कहता हूं कि जो एक नागरिक का अधिकार है उन नागरिक अधिकारों से ज्यादा वहां पर यूज़ किये गये हों तो उसको खत्म किया जाय।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मुख्य मंत्रीजी के रिश्तेदार भूखे रहें, यह हम कभी बरदाश्त नहीं कर सकते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरा एलॉट किया हुआ नहीं है। वह कलेक्टर का राइट था उसने किया है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा सीधा सा प्रश्न था कि जिस समय जमीन एलॉट हुई है उस समय आप रेवेन्यू मिनिस्टर थे या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं यह कहूंगा कि जिस वक्त मैं रेवेन्यू मिनिस्टर बना तो इसी सदन के लोग जानने वाले जानते हैं कि वहां पर "ग्रो मोर फूड" के जो रूल्स उस वक्त स्टेण्ड करते थे उनके तहत हजारों बीघा जमीन दी गई है। उस समय पालिसी यह थी कि जमीन का उत्पादन किसी तरह से बढ़ाया जाय। मेरे पहले जो मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर थे उस जमाने के रूल्स बने हुए हैं। मैंने रूल बना कर नई बात नहीं की है।

श्री भैरोंसिंह : एलॉटमेंट आपकी मौजूदगी में जिस समय आप रेवेन्यू मिनिस्टर थे उस समय हुआ है या नहीं ?

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का सवाल है। इस सदन के अन्दर बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ डॉक्यूमेण्ट्स रखे थे और माननीय मुख्य मंत्रीजी के भाषण के बाद में ऐसा प्रतीत होता है कि उन डॉक्यूमेन्ट्स की सच्चाई के अन्दर सन्देह है। इससे पहले भी हम इस बात की मांग करते

(श्री फूलचन्द जैन)

रहे हैं और माननीय जनसंघ के जो नेता हैं उन्होंने भी इस सदन में इस प्रकार की परम्परा को कायम करने का प्रश्न उठाया है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आक्षेप लगाया जाय और बाद में वह असत्य साबित हो जाये और यह असत्य साबित हो गया है इसलिए मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्य ने ये आक्षेप लगाये हैं वे सदन से माफी मांगें और जो आक्षेप लगाये हैं उन्हें वापिस लें ।

श्री भैरोंसिंह : वे कौन से आक्षेप मैंने लगाये हैं ?

श्री फूलचन्द जैन : आपने नहीं लगाये हैं, लेकिन जिन्होंने आक्षेप लगाये हैं उनको वापिस लेना चाहिये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप चश्मा उतार कर देखिये कि वह कुर्सी पर विराजमान नहीं है यहां पर ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज़ !

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसका क्या हुआ जो एक प्रश्न उठाया था माननीय भैरोंसिहजी ने; तो सदन जानना चाहता है कि कितनी जमीन एलॉट हुई है और किनके नाम से एलॉट हुई है । इतनी सी बात मालूम पड़ जाय ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : सही बात कहनी नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वित्त मंत्री तो १० मिनट में ही बोल लेंगे ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : आज डेढ़ घंटा लेंगे ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यदि मंत्रीजी चले गये हैं तो छोटी सरकार जो पीछे विराज रही है उनसे निवेदन कर दें तो वे कह देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! उनका हो चुका है । आप प्रारम्भ रखें ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने बजट प्रस्तुत किया था, तो मुझे यह ख्याल था कि यह एक प्रेक्टिकल बजट जो मैंने सदन के सामने पेश किया है, सदन उसको उसी रूप में लेगा । जब इस पर बहस शुरू हुई तो जो बातें मैंने सुनीं और जिस किस्म की दलीलें सामने आईं उससे यह मालूम हुआ कि बजट के अन्दर जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के बजाय जो बहस शुरू हुई वह इस बात की कि यह बजट इस किस्म का आया है कि जिसमें न तो डेवलपमेंट की नीति है, न जो कुछ काम हुआ है उसका जिक्र है, इसलिए यह बजट बिल्कुल अजीबो-गरीब बजट है । साथ ही साथ इसके ऊपर कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इस बजट में जो बड़ी मौलिक नीतियां होती हैं

(श्री बालकृष्ण कौल)

जिनका असर अर्थ-व्यवस्था पर होता है उसका भी जिक्र इस बजट में नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिसका इशारा कुछ माननीय सदस्यों ने किया उसका ताल्लुक स्टेट के वित्त मंत्री से बिल्कुल नहीं है। वे सब बातें जैसे फोरिन एक्सचेन्ज, प्राइस कन्ट्रोल, इत्यादि इत्यादि, उनका ताल्लुक अगर होता है तो केन्द्रीय वित्त मंत्री से होता है और वे ही इसचीज के ऊपर कहने का हक रखते हैं इसलिए मैं इतना और निवेदन करूं, उपमंत्री महोदय (उपाध्यक्ष महोदय) ...

एक माननीय सदस्य : अभी से घबरा गये।

श्री बालकृष्ण कौल : घबरा तो मैं नहीं गया।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिस चीज का जिक्र मैंने शुरू किया अपने बजट भाषण में वह उस जगह से शुरू होता था जहां गवर्नर साहब की स्पीच खत्म होती है।

यह ठीक है कि पहले की जो यह एक प्रेक्टिस चली आ रही है उसमें यह होता था कि राज्यपाल अपना अभिभाषण देते थे और उसको बहुत कुछ हद तक वित्त मंत्री भी अपने भाषण में दोहराया करते थे....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह प्रेक्टिस कब तक चली ?

श्री बालकृष्ण कौल : अब खत्म हो गई। मुझे यह निवेदन करना था और मैंने यह समझा मुनासिब कि इन चीजों को दोहराने की जो परिपाटी है वह मुनासिब है या नहीं और सीधा नया जो असली नुक्ता है, जो अकाउन्ट्स से ताल्लुक रखता है, जो टैक्सेशन से ताल्लुक है उस पर मैं अपने बजट स्पीच को रखूं। मैं सदन से यह निवेदन करूंगा कि पहले के यदि मेरे बजट भाषण देखे जायं तो वे ४५-४६ सफा के हैं, उनमें से यदि १५-२० सफा देखेंगे तो करीब करीब वही चीजें दोहराई हुई थीं जो माननीय गवर्नर साहब ने अपने भाषण में कहीं थीं। इस चीज को यदि मैं फिर दोहराऊं तो ४५-४६ सफा की स्पीच मेरी बनती।

श्री भैरोंसिंह : १००) रु० ज्यादा खर्च हो जाते।

श्री बालकृष्ण कौल : इसलिये जहां तक माननीय सदस्यों का ताल्लुक है उनको सरकार की जो नीति थी उसकी वाकफियत मिल गई थी; इसलिये मैंने यह मुनासिब समझा। हो सकता है, माननीय सदस्यों के, क्योंकि एक नई चीज सामने आई तो उनका सोचना वाजिब है। उन्होंने सोचा और विचार व्यक्त किये, वे ठीक हो सकते हैं, इस दृष्टिकोण से जब तक मैं उनके सामने अपनी बात नहीं रखूं। मैंने समझा दोहराना उन्हीं चीजों को मुनासिब मेरे लिए नहीं था इसलिए मैंने कुछ इकोनोमी करके अपनी स्पीच में दिखाई। खैर, मैं समझता हूं, यह सदन अब भी मेरी कोई गलती समझता है तो उसको हक है, मुझे बतावें, अपने कारण रखें।

(श्री बालकृष्ण कौल)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस से यह कहना पड़ता है कि जब मैं आलोचना सुनने लगा अपने बजट स्पीच की तो कोई एक-दो बातें कही होंगी जो सोचनीय हैं, जिस पर सोचा जा सकता है। लेकिन गैर-मामूली बातों की यदि कोई इन्सान आलोचना करे तो ठीक है, मामूली से मामूली बातों पर, कुछ अल्फाज पर, कुछ उन चीजों पर कि यह बजट जो लिखा गया है एक एल. डी. सी. का लिखा हुआ है, इस किस्म की जो बातें रखी जाती हैं इस सदन में, तो मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि आप ही सोचिये क्या इस किस्म की चीजें और इस किस्म की आलोचना इस सदन की शान है ? मैं जानता था कि इस बजट में कोई ऐसी खास चीज नहीं है जिसकी कोई आलोचना हो, इस पर कोई ज्यादा एतराज की बात हो, यदि आप सारी ४०-४५ स्पीचेज़ हुई उनको देख डालिये तो माननीय सदस्य मानेंगे कि उनमें कोई इस किस्म की चीज नहीं कही सिवाय एक-दो बातों के, वह भी मैं आपके सामने रखूंगा, जिस कारण बजट स्पीच की कोई आलोचना हो सके। लेकिन हो सकता है कुछ लोग, कुछ पार्टीज़ इस किस्म की हैं जो बेसिकली हमारी नीतियों से इख्तलाफ रखते हैं, उनका इख्तलाफ हो सकता है और इस इख्तलाफ के दृष्टिकोण से, उसकी रोशनी में उन्होंने अपनी बातें कहीं, मुझे उन पर कोई एतराज नहीं, उनको हक है वे रखें और बड़ी खूबसूरती से उन्होंने रखीं। लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव भी दिये। लेकिन अक्सर जिन माननीय सदस्यों ने बजट स्पीच को, उनके सुझावों को गौर न करते हुए, सिवाय इसके कि बजट स्पीच है, एक आलोचना करें, मैं समझता हूं उनकी आलोचना गैर मुनासिब थी ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसी गैर-मुनासिब बातों पर इतना टाइम लेना और भी गैर-मुनासिब है।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो अंत की बात बता दें, कोई छूट कर रहे हैं या नहीं ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं उस चीज पर आ रहा हूं। जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये उनमें कितने कंस्ट्रक्टिव सुझाव हैं, यदि इस सदन में कुछ जहनियत उन सुझावों में रहती तो ज्यादा उसमें खूबसूरती आती। लेकिन जितने सुझाव सामने आये, टैक्स के ऊपर तो मामूली से एक-दो शब्द आये उनका जिक्र मैं अभी आगे करता हूं।

एक माननीय सदस्य जो वित्त में स्पेशलाइज़्ड हैं, स्पेशलाजेशन किये हुए हैं, उनके जो सुझाव सामने शुरू हुए तो मुझे कुछ सोचना पड़ा इसलिए कि क्या जो उन्होंने आक्षेप किया है, एक एतराज किया है उसमें नोईयत क्या है, उसमें कितना वजन है? माननीय सदस्य का एतराज था कि यह जो अफीम के ऊपर सरकार ने पर्चेज़ टैक्स लगाया है वह बिल्कुल गलत है और जो नोटिफिकेशन निकला है वह बिल्कुल गलत

(श्री बालकृष्ण कौल)

है। क्या गलती है ? इसलिए कि उनको ५ ए. धारा में लगाना चाहिए था और उन्होंने ५ धारा में लगाया। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे जरा ५ ए. धारा को देखें और ५ को भी देखें। वे इसके वकील हैं, समझते हैं, लेकिन क्या हुआ, इसका मतलब मैं नहीं समझता। माननीय सदस्य को यह मालूम होगा कि जो अफीम पर हमने लगाया है वह टैक्स बिक्री कर लगाया....

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : क्या लगाया है आपने ?

श्री बालकृष्ण कौल : खरीद कर।

श्री चौसरसिंह बावेल (बेंगू) : वह वसूल किससे होगा ?

श्री बालकृष्ण कौल : वसूल होगा तब मालूम हो जायगा ....

श्री चौसरसिंह बावेल : वसूल काश्तकारों से ही होगा।

श्री बालकृष्ण कौल : मुझे कहने दीजिये। पहले मैं कानून की बात कह रहा था। मैं इतना कह देता हूं कि जो टैक्स लगाया जाता है वह ५ क्लॉज में लगाया जाता है, ५ ए. में नहीं। ५ में लगता है वह टैक्स लग जाता है इसलिये ५ ए. में तो तब आता है जब लग जाय और उसका सेल्स टैक्स न लेना हो तो ५ ए. के पर्पज़ के लिए अपने आप उसमें लागू हो जाता है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : यही स्पष्टीकरण चाहता था। आपने जो टैक्स लगाया और घोषणा की थी बजट भाषण में वह तो खाली टैक्स लगाया है, लेकिन नोटिफिकेशन है उसका मतलब बिल्कुल गलत जाता है। सेल्स टैक्स लगाया है, रल्स टैक्स न लगे तो पर्चेज़ टैक्स लगेगा। अभी आप जो बात कह रहे हैं वह बजट भाषण से मेल नहीं खाती। पर्चेज़ टैक्स और सेल्स टैक्स दोनों ५ ए में लगते हैं ५ मे नहीं।

श्री बालकृष्ण कौल : ५ में ही लगाया है जिसे टैक्स में नहीं लें वह सेल्स टैक्स ५ ए. में आ जाता है। खैर, माननीय सदस्य इसको देख लेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गलती सुधार लेना। कानून में मत फंसो और बात करो।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं अर्ज कर रहा था, कानून तो साफ है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि कुछ माननीय सदस्यों का ख्याल था कि यह टैक्स है, यह वसूल नहीं होगा और होगा तो किससे होगा ? अब वसूल होगा या नहीं होगा, यह तो समय बतायेगा। टैक्स यह पर्चेजिंग टैक्स है। जो शख्स या हुकूमत काश्तकारों से खरीदती है क्योंकि वह जमीन काश्तकारों की है, वह किसी सरकार की नहीं है—उनसे खरीदती है और करोड़ों की खरीदती है तो उस खरीद पर हमने टैक्स लगाया है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट से वसूल करेंगे ?

Page No 106

श्री बालकृष्ण कौल : जो भी खरीदे।

श्री भैरोंसिंह : कह दीजिये।

श्री बालकृष्ण कौल : कोई गवर्नमेंट, कोई आदमी....

श्री चौसरसिंह चावेल (बेंगू) : सौ के बजाय ४० मिलते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : मुझे उससे ताल्लुक नहीं है। मुझे ताल्लुक है इससे, जो खरीददार होगा और काश्तकार से खरीदेगा उससे हम टैक्स लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : सेन्ट्रल गवर्नमेंट खरीदेगी तो उस पर भी करेंगे वसूल ?

श्री बालकृष्ण कौल : जरूर करेंगे। मैं आप को यह निवेदन कर दूं...

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : बेचने वाले काश्तकार से नहीं लेंगे ?

श्री बालकृष्ण कौल : ग्रेन पर भी इसी तरह लेते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : स्मग्लिग होता है, पर्चेज़ टैक्स स्मगलर से भी लेंगे ?

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : यह भी विचार किया है कि अफीम की कीमत पर उसका क्या असर पड़ेगा ?

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए यह साफ करने की जरूरत पड़ी क्योंकि कुछ माननीय सदस्यों को कुछ भ्रम था शायद कि हमने यह टैक्स लगाया है यह केवल कागजों पर रहने वाला है। इसलिए इस टैक्स की बाबत मैं निवेदन कर रहा था।

कुछ माननीय सदस्यों ने एतराज किया और यह ख्वाहिश जाहिर की कि जो चमड़ा है उस चमड़े को टैक्स से मुक्त कर दिया जाय, सेल्स टैक्स से...

श्री भैरोंसिंह : कौनसा चमड़ा ?

श्री बालकृष्ण कौल : जो यहां आता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर दूं कि इसमें भी कुछ भ्रम मालूम होता है। जहां तक चमड़े का ताल्लुक है, उसका जो टैक्स है वह उन लोगों पर नहीं पड़ता जो जूते बनाते हैं अपने हाथ से या उनके रिलेशन या घर वाले अपने आप बनाते हैं—यह उन पर नहीं पड़ता है। साथ ही साथ जो जूते बनते हैं दस रुपये की कीमत तक—उस पर सेल्स टैक्स नहीं है। तीसरी बात, जो दूसरे आदमियों को रख कर एक फेक्ट्री के तरीके से बनाते है उनके लिए भी टर्न ओवर में दस हजार हैं। बावजूद इन सब चीजों के जब बातें मैंने सुनीं तो मुझे यह मालूम हुआ कि उसमें, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा, उनको कुछ तकलीफ होती है हमारे अमलेट्र

३२७०] आय-व्ययक १९६५-६६ —१३ मार्च, ६५— पर अग्रेत्तर वाद-विवाद [३२७१

(श्री बालकृष्ण कौल)

से, जो अमला इन्सपेक्टर वगैरह उनके पास जाते हैं, उनको तंग करते हैं। तो मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूं कि अगर कोई अमले के सबब से किसी को कोई दिक्कत होती है, हैरेसमेंट होता है तो उसका इलाज टैक्स छोड़ना नहीं है, उसका इलाज उस चीज को रोकना है। मैं सदन के आगे यह निवेदन करना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिवली हम इन्स्ट्रक्शन इश्यू कर रहे हैं इस बात के कि कोई भी इस तरह से अगर किसी कारीगर को, किसी आदमी को जाकर तंग करेगा तो उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जायगा। लेकिन यह नहीं हो सकता कि कोई जगह इस अमले के सबब से किसी आदमी को तकलीफ हुई तो मैं झट सदन के सामने आऊं और इसे वापिस ले लूं....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : चमड़े के टैक्स की बात सदन में नहीं उठी है। आपको गलत ख्याल रह गया है। आपस में बातचीत हुई थी।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : ~~श्री भानुप्रसाद~~ कराड़िया, जो स्वतंत्र पार्टी के सदस्य हैं, उन्होंने कहा था।

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्य उस वक्त नहीं थे।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य तो चमड़े से बहुत दूर रहते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : बात कह गये तो सबका कल्याण हो गया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : वे वहां बैठे हैं, उनका कल्याण हो रहा है।

श्री बालकृष्ण कौल : पैसेन्जर टैक्स पर मैं आ जाऊं। माननीय सदस्य समझ रहे हैं...

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : सेल्स टैक्स सारा समाप्त हो गया ?

श्री बालकृष्ण कौल : अभी आ जाऊंगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह जोर से कहा कि आपका आर. आर. जी. टी. टैक्स जो है उसके बहुत एरियर्स है, उनकी रिक्वरी नहीं हो रही है और जो उन्होंने डिफॉल्टर्स के नाम बताये उनके अन्दर जो रकम बताई वह भी लम्बी-चौड़ी उन्होंने बताई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं वह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य इतना तो जरूर जानते है कि कुछ बस ऑपरेटर्स ने रिट हाई कोर्ट में की और उसके फलस्वरूप हमें बहुत नुकसान हुआ। पिछले सदन में मैंने उस वक्त निवेदन किया था कि उस रिट के सबब से हमारे एरियर्स करीब ५० लाख के हो गये हैं। यह ठीक है कि हमारे एरियर्स हुए और उसका असर मेरे ख्याल से तो यह है कि इस फाइनेंशियल ईयर तक रहेगा। लेकिन मुझे खुशी है यह बताने में कि हमारे अमले ने इसकी रिक्वरी बड़े कस कर की और करीब करीब इसके आखिर तक, इस साल के आखिर तक, पैनल्टीज़ को, जिसको हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, अगर उसको छोड़ा जायगा तो सिर्फ बारह लाख, तेरह लाख के

(श्री बालकृष्ण कौल)

एरियर्स रह जायेंगे। अब वह करोड़ों रुपये, लाखों रुपये के लिए कहना गलत है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अगर मुबालगा भी हो तो कुछ अंश में हो; इतना मुबालगा नहीं होना चाहिए क्योंकि यह ख्याल होने लगता है, जब भी माननीय सदस्य कुछ कहते हैं वह सही बात भी हो तो जो ज्यादा असर पड़ता है दिमाग पर वह यह कि सौ प्रतिशत मुबालगा है....

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : सौ प्रतिशत ही करते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस बजट में कुछ...

श्री भैरोंसिंह : आपको आपने बारे में मुबालगा नहीं है ?

श्री बालकृष्ण कौल : है। आपके सबब से।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आंकड़े जो आप देते हैं वही बोलते हैं, दूसरे नहीं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : आपकी मिली भगत तो नहीं है।

श्री बालकृष्ण कौल : एक दो नाम लिये गये हैं उनके बारे में सफाई कर देना चाहता हूं। एक इन्होंने नाम लिया-जाकिर हुसैन का कि उसके अन्दर ६३ हजार के एरियर्स हैं और यह कोट किया ऑडिट रिपोर्ट से। मैं कहता हूं कि उस वक्त रहेगा लेकिन यह याद रखिये, अगर वह ६३ हजार भी था तो उसमें ५० प्रतिशत के करीब पैनल्टी थी जिसको हाई कोर्ट ने छोड़ दिया....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : बहुत अच्छे।

श्री बालकृष्ण कौल : तो इस तरह से जितने हमारे एरियर्स दिखाई देते हैं, जैसा मैं अभी निवेदन कर रहा था, उनमें पचास प्रतिशत के करीब करीब पैनल्टीज हैं। लेकिन रिट में जाने से हाई कोर्ट ने इनको गैर, कानूनी करार दिया है....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : बहुत अच्छे!

श्री बालकृष्ण कौल : मैं निवेदन करूं, एक बसन्तकुमार का नाम लिया गया।

मैं नहीं समझता हूं कि इसके पीछे माननीय सदस्यों का क्या मतलब है, लेकिन इतना और निवेदन कर देना चाहता हूं....

श्री परसराम मदेरणा : मतलब तो साफ है।

श्री बालकृष्ण कौल : उसके ऊपर भी आज की तारीख में बारह हजार सिर्फ एरियर्स हैं और मुमकिन है, मैं आज पूरे तौर पर नहीं कह सकता कि इसमें भी शायद पैनल्टी हो। मैं बता रहा हूं कि लाखों के लिए, मैं निवेदन कर रहा हूं ७ या ८ लाख की बात मैं नहीं कहता, कुछ लाख हैं। मैं यह अब आपसे निवेदन कर रहा हूं कि बावजूद हमारे रात-दिन प्रयत्नों के कि रिकवरी हो जावे फिर भी

(श्री बालकृष्ण कौल)

कुछ एरियर रह ही जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एरियर एक दफे इकट्ठे हो जाते हैं तो तो फिर उसको रिकूवर करना मुश्किल हो जाता है। इसलिये अगर १२ या १३ लाख की रकम रह भी जावे इस साल तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह क्यों है।

माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि टैक्स नहीं लगाना चाहिये और नोन रेवेन्यू को बढ़ाना चाहिये। जहां तक नोन रेवेन्यू टैक्स का ताल्लुक है, माननीय सदस्यों से इत्तफाक करता हूं और मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि ठीक है, जितना माननीय सदस्य उम्मीद करते हैं कि नोन टैक्स रेवेन्यू बढ़ा उतना नहीं है, लेकिन ५ वर्षों में यह डेढ़ गुना हो गई है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं यह बता दूं कि ६१-६२ में नोन टैक्सेबल रेवेन्यू ८ करोड़ थी, १९६५-६६ में १६३८.५० थी। तो यह दुगुनी है। यह कोई संतोष नहीं है। यह नहीं समझें कि हम इससे खुश हो गये। आपको हक है कि आप हमेशा अपने व्यूज़ सामने रखें और हम भी आपसे प्रेरणा लेकर कुछ कर सकें करें। लेकिन मैं कहूंगा कि असलियत से मुंह मोड़ना गलत है। ८ करोड़ से १६ करोड़ हुई तो काफी तरक्की हुई।

एक माननीय सदस्य : यह स्टेट से हुई या गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का शेअर भी इसमें शामिल है ?

श्री भैरोंसिंह : ३२ करोड के टैक्स लगाये हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : वे अलग हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें असलियत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिये।

एक माननीय सदस्य ने और मुझे याद पड़ता है कि स्वतन्त्र पार्टी के पाली से आने वाले मित्र ने एक सुझाव रखा और कुछ माननीय सदस्यों ने भी इस किस्म का सुझाव रखा कि टैक्सेशन कैसे करना चाहिये ? उन्होंने यह भी कहा कि यह टैक्स हमको नहीं लगाना चाहिये क्योंकि यह गरीबों पर पड़ता है। हमको तो ऐसे डाइरेक्ट टैक्स लगाने चाहिये जिसका असर अमीरों पर पड़े। ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन काश मेरे पास संविधान में अधिकार होते तो जरूर लगाता। मगर यह सैन्ट्रल टैक्स है। जितने भी डाइरेक्ट टैक्सेज हैं वे सारे सेन्टर के हैं। मगर मुझे जो दायरा मिला है वह यह नहीं है। जो दायरा है वह सदन के सामने है। उन पर ही मैं सरकारी टैक्स लगा सकता हूं। सिर्फ देखना सरकार को यह होता है कि किस तरह से टैक्स को सरकार लगाने जा रही है, उसका इफैक्ट किस किस्म के, श्रेणी के लोगों पर पड़ता है और यह कहना कि हमें यह टैक्स नहीं लगाना चाहिये, यह दुहाई देना तो बहुत अच्छा है कि पैसे वालों पर टैक्स लगाना चाहिये लेकिन यह न तो टैक्स लगाने का स्टेट को अधिकार है और न मुझे अधिकार है। जो माननीय सदस्य कहते हैं कि इस प्रकार के टैक्स लगने चाहिये तो वे मुझे कोई रास्ता बतावें।

श्री गोकुलप्रशाद शर्मा (मांडल) : आपको मैं बताता हूं। मैंने आपसे कहा कि प्राइवेट कार्स पर पेसेन्जर टैक्स लगाइये।

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्य ने जो तजवीज़ दी है, उसके बारे में मैंने स्पष्टीकरण कर दिया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आप नीलाम कर दीजिये.......

श्री बालकृष्ण कौल : यह भी सेन्टर ही करती है। हम नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने अभी जोर से कहा कि जिनके पास प्राइवेट कारें हैं उन पर पैसेन्जर टैक्स लगा दिया जावे। मेरी समझ में नहीं आता कि यह कैसे सम्भव हो सकता है.......

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यह आपके समझ में कैसे आए ?

श्री बालकृष्ण कौल : जब उनसे मोटर विहिकल्स एक्ट के अन्तर्गत एक दफा पैसा लेते हैं तो क्या उसके बाद भी हम पैसेन्जर टैक्स लगा सकते हैं या नहीं ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : बसों वाले भी तो पैसेन्जर टैक्स देते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : मेरी समझ में नहीं आता कि.......

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : कार रखने की हिम्मत होगी तब तक यह समझ में नहीं आवेगा।

श्री बालकृष्ण कौल : कार रखने की हिम्मत है या नहीं। मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि लीगली क्या असर होता है और हम क्या कर सकते हैं; इस सम्बन्ध में जो माननीय सदस्य ने अभी कहा है उसके बारे में जरूर देखेंगे।

("Thank you" की आवाज़)

उपाध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने और खास कर जो स्पेशलाइज्ड और एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जब ये लफ्ज़ कहे कि यह बाइफर्केशन किया गया है और एक्साइज़ एन्ड सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को इससे बहुत खर्चा हागा और खर्चा होने की सम्भावना है और इससे बहुत नुकसान होने वाला है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मैं समझता हूं कि मुझे गलत समझा गया है। मैंने यह नहीं कहा, मैंने कहा कि जिन लोगों से, आपने ऑप्शन मांगा था कि कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं उनको ऑप्शन देनेसे पहलेही तरक्कियां दे दी गई।

श्री बालकृष्ण कौल : कुछ माननीय सदस्यों ने बाइफर्केशन के लिये कहा था। मैं इतना निवेदन कर दूं कि यह क्यों किया और इसकी क्यों जरूरत पड़ी। मैं समझता हूं कि मैं यह चीज माननीय सदस्यों के सामने रख दूं। सेल्स टैक्स और एक्साइज़ का काम दोनों भिन्न भिन्न काम हैं। सरकार ने यह सोचा कि ये दोनों चीजें शामिल रहने से जितनी रिक्वरी हमको करनी चाहिये, जितने एसेसमेंट करना चाहिये, जितने आदमी ट्रेन्ड होने चाहिये नहीं हो सके जब तक कोई स्पेशल बैंच नहीं बने, कुछ नहीं हो सकता। तजुर्बा यह हुआ कि हमारे यहां जो एक्साइज़ इन्सपेक्टर

(श्री बालकृष्ण कौल)

होते थे जिनको हम सेल्स टैक्स का काम भी देते थे वे लोग एक्साइज़ में खर्चा रखते थे और इस तरफ काम नहीं कर सकते थे। इससे हमारे सेल्स टैक्स की रिक्वरी में कमी होती थी। जितनी रिक्वरी होनी चाहिये थी नहीं होती थी। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि यह अभी इम्फैन्सी में है। अभी दोनों डिपार्टमेंट्स अलग अलग हुए हैं, इसमें कुछ समय लगेगा और मैं समझता हूं कि इसका नतीजा अगले साल में आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं इतनी बात आपके सामने रख दूं.......

१९६४-६५ में हमारा जो एस्टीमेट हुआ वह मैं अभी आपको बताता हूं.......

(कुछ क्षण विराम)

श्री बृजसुन्दर शर्मा : परसेन्टेज भी बता दें कि अलग अलग होने पर परसेन्टेज ऑफ कलेक्शन क्या रहा ?

श्री बालकृष्ण कौल : ६४-६५ में हमारा जो एस्टीमेट हुआ सेल्स टैक्स का वह ३१,५०४ पार्टीज़ का, डीलर्स का हुआ और ६३-६४ में २३७०५ का........

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : असेसमेंट का दूसरा खर्चा मंगाइये, वह आपके पास कागजों में नहीं है।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं खर्चे पर आ रहा हूं। इसी तरीके से सेंट्रल सेल्स टैक्स का है उसमें ७५८१ का ६४-६५ में और ६,३४४ का ६३-६४ में।

खर्चे के बारे में जहां तक मुझे याद है इस साल २.४ यह खर्चा है, २.४ कॉस्ट ऑफ् प्रोडक्शन।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : इस तरह से एक व्यक्ति पर करीब १०० रुपया खर्च हुआ एस्टीमेट का।

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, इसका जिक्र कर रहा था कि ये जो दो डिपार्टमेंट्स अलग अलग किये उससे हमारे खर्चे में सेल्स टैक्स के फीगर्स मेरे पास अभी आ जाते हैं, मैं बता दूंगा कि वे पहले से कम हैं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : कैसे ?

श्री बालकृष्ण कौल : कॉस्ट ऑफ एक्सपेन्डिचर कहा जाता है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : पर-हैड कॉस्ट कितनी पडी है ? आपने बताया कि ११ करोड़ रेवेन्यू हो गई पर यह बताइये कि ३१ हजार एस्टीमेट किया, उस पर ३१ लाख खर्च किया है। अभी आपने कहा कि ३१ हजार व्यक्तियों का एसेसमेंट किया और ३१ लाख का बजट है, तो एक व्यक्ति पर कितना खर्च हुआ ?

श्री बालकृष्ण कौल : मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य एक्साइज़ की तरफ जा रहे हैं, शराब खरीदने के साथ का यह खर्चा

(श्री बालकृष्ण कौल)

है, कॉस्ट ऑफ लिकर का भी इसमें हिस्सा है ।

माननीय सदस्यों को मैं आगे के डिटेल्स दे दूं । उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया और उसके सिलेसिले में जो उन्होंने मुनासिब समझा वही कह डाला । उनका यह कहना था, एक तजवीज थी कि यह जो टैक्स हमने कन्ट्री लिकर पर लगाया है तो अंग्रेजी शराब पर क्यों नहीं लगाया ? मैं यह निवेदन कर दूं कि दोनों की चीजों को दोनों के हालात को समझने की जरूरत है । एक वह चीज जिसका प्रोडक्शन आपके हाथ में है, जिसका माल कहीं बाहर से इम्पोर्ट नहीं करते । एक दूसरी चीज जिसका प्रोडक्शन आपके हाथ में नहीं दूसरी स्टेट के हाथ में है । आप थोड़ी देर के लिए सोचें, टैक्स तो हमने उन पर भी बढ़ाया है, इस बात का ख्याल रखते हुए टैक्स बढ़ाया है कि हमारे फंड्स में जहां यह आमद होती है, वहां इन पर क्या टैक्स हो । ताकि ऐसा न हो जाय कि हम इन पर टैक्स बढ़ायें और वह यहां आना ही बंद हो जाय ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अच्छा है ।

श्री बालकृष्ण कौल : कलेजे पर हाथ रख कर सोचें । अगर माननीय सदस्य कह दें कि बन्द कर दो तो, उसको सरकार मानेगी, पर सरकार की पॉलिसी है कि आपको अर्थ की जरूरत है, उसके मेटिरियल सोर्स हैं जितने सोर्स टेप कर सकें वह करने चाहिए ।

एक माननीय सदस्य : जो एडिक्टेड हैं वे पीयेंगे ।

श्री बालकृष्ण कौल : जो एडिक्टेड हैं वे पियें और हम बंद कर देंगे तो उसके कॉन्सीक्वेन्सेज यह होंगे कि लोग जहर पीयेंगे, इल्लिसिट डिस्टिलेशन करके पीयेंगे ।

श्री गैरोंसिंह : अयोग्य सरकार होगी तो यह होगा, आप अपनी अयोग्यता मान लीजिये ।

श्री बालकृष्ण कौल : इसे अयोग्यता मान लीजिये, ह्यूमन फैक्टर मान लीजिए, सब चीजें देख लीजिए, मुझे तजुर्बा है कि एक गांव में बन्द कर दिया है वहां क्या हाल हुआ है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : वहां लोग खुशहाल हैं ।

श्री बालकृष्ण कौल : सरकार हर मकान पर पहरा नहीं लगा सकती और पहरे वाले रहेंगे वे इन्सान की कमजोरियों से ऊपर रहेंगे, यह कितना सम्भव है, सरकार इतनी समझ रखती है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ओन ए पॉइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन, सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इससे तो मिर्धाजी साहब जवाब दे दें तो अच्छा हो ।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

मेरा सवाल यह है कि क्या आप बता सकते है कि विदेशी शराब की दूकानों में सारा माल बाहर का आता है। आपके यहां नहीं; पर पंजाब, मध्य प्रदेश आदि सब जगहों में ठेके होते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं दूसरा पोइन्ट कह रहा था कि मध्यप्रदेश और पंजाब वगैरह में विदेशी शराब के ठेके दिये जाते हैं, वहां कॉम्पिटीशन होते हैं, नजरे-इनायत की महरबानियों में यहां बांटे जाते हैं। आपकी नजरे-इनायत से जिन लोगों को मिलते हैं, उनके नाम मालूम हैं। उनको फेवर करने के लिए तो नहीं किये जाते और उसका हमारी रेवेन्यू पर तो बुरा असर नहीं पड़ता ?

श्री बालकृष्ण कौल : नजरे-इनायत जिसका इशारा कर रहे हैं, अगर थी तो वह खत्म हो गई।

श्री भैरोंसिंह : वह कब तक थी ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैंने कहा, अगर थी तो बन्द हो गई।

आज हमारे सामने बहुत से प्रश्न हैं। टेकचंद रिपोर्ट हमारे सामने है। उसके सुझाव हैं, वह इस किस्म के हैं कि मैं नहीं कह सकता कि भारत सरकार इसका क्या फैसला करेगी; न मैं कह सकता हूं कि राजस्थान सरकार क्या फैसला करेगी। उसकी सबसे बड़ी सिफारिश है कि ठेकों को बेचना बंद कर दिया जाय। इसलिए जो चीज हमारी चल रही है उसको जब तक टेकचंद रिपोर्ट का फैसला न हो जाय, मैं कोई दूसरी चीज नहीं लेना चाहता था।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : टेकचंद रिपोर्ट शराब के खिलाफ है या नहीं ?

श्री बालकृष्ण कौल : मिक्सड है। मध्यप्रदेश और पंजाब के मेरे पास फीगर्स हैं, उनको एग्ज़ामिन कर रहा हूं। वहां इससे कीमतें बहुत गिरीं। पहले साल जब ठेके हुए उससे बहुत फायदा हुआ। उसके बाद जितनी एक्साइज ड्यूटी आती थी, गिर गई। तो यह पैनी वाइज़ और पाउंड फुलिश वाली पॉलिसी है। खैर, यह ओपीनियन है लेकिन माननीय सदस्यों के सामने वह चीज नहीं है जो मैं रख रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि उस पर विचार करेंगे।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : शराब का मसला चल रहा है, मोलासेज का जो कलेक्शन होता है और महुआ जो तेल की खानों से निकलता है उसका सेल्स-टैक्स चुराया जाता है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : महुआ गरीब किसानों के काम में आता है, वह बाद में शराब की शक्ल में बदला जाता है।

श्री अब्दुल जब्बार : मैं कलेक्शन की बात कर रहा हूं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : वह पहले खाने के काम में आता है।

Page No 114

श्री बालकृष्ण कौल : निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, उस पर सोचा जा सकता है । मुझे एक बात कहने में दुख होता है कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है, जोरदार तकरीर की, लेकिन तकरीर में जोर नहीं था, जोर था इस बात पर कि यहां पर जो एक्साइज़ ड्यूटी लगाई है तो हमसे गलती हुई, माननीय सदस्य ऐसा समझते हैं । कुछ माननीय सदस्य समझते हैं कि हम बेईमान हैं, दोनों चीजें इस किस्म की थीं । मैं इस पर कुछ आलोचना करूं, यह मेरे लिए मुनासिब नहीं । जो वाकयात हैं, वे माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं । मुझे उम्मीद है कि उन फैक्ट्स को समझने के बाद माननीय सदस्य जिन्होंने यह आरोप लगाया है कि हम बेईमान हैं, उनको खुद सोच लेना चाहिए कि आरोप कहां तक ठीक है ।

एक्साइज़ ड्यूटी जो होती है वह प्रोडक्शन पर होती है और प्रोडक्शन जो है उस पर दिया जाता है । इसलिए यह कहना कि जिन्होंने ले रखा था या स्टॉक में था, उन स्टॉक्स को सीज़ कर लेते और जो न्यू ड्यूटी है वह वसूल करते, यह गैर-कानूनी हो जाता ।

श्री भैरोंसिंह : कब से यह गैर–कानूनी हुआ ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह कानून की चीज है, मुझे आपत्ति नहीं थी, मैं जरूर वसूल करता, केसेज़ चले । रेवेन्यू बोर्ड का फैसला है । यहां तक कि इसी किस्म का एक्साइज़ ड्यूटी का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया और उनका यह फैसला है कि हम नहीं ले सकते । जब इश्यू हो जाय उसके बाद नहीं ले सकते । इसलिए वह चीज गैर-कानूनी थी, हम उन स्टॉक्स को सीज़ नहीं कर सकते थे । फिर भी अगर माननीय सदस्य हमको बेईमान समझें तो उनकी मर्जी ।

श्री भैरोंसिंह : आप स्पष्टीकरण कर दें कि हाई कोर्ट का फैसला कब हुआ, रेवेन्यू बोर्ड का फैसला कब हुआ, उसके बाद में एग्ज़िस्टिंग स्टॉक्स पर एक्साइज़ ड्यूटी ली या नहीं ?

श्री बालकृष्ण कौल : अगर ली तो हो सकता है कि गैर–कानूनी हुई हो ।

श्री भैरोंसिंह : साफ कहिए कि सुप्रीम कोर्ट और रेवेन्यू बोर्ड के फैसले के बाद भी राजस्थान सरकार ने जो एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ाई तो एग्ज़िस्टिंग स्टॉक्स पर वसूल किया या नहीं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): एक्साइज़ ड्यूटी नहीं है; इसका इश्यू प्राइस जो आपने बढ़ाया है, ड्यूटी बढ़ाने की बात नहीं है ।

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, अगर वह जानना चाहते हैं कि सरकार ने बीच में रेवेन्यू बोर्ड के फैसले के बाद भी ली तो मैं देख लूंगा । लेकिन जब चीज सामने आई मेरी ख्वाहिश थी कि यह चीज देखी जाय । जिस वक्त इसको लगाने का विचार हुआ, उस वक्त यह भी दिमाग में था रेवेन्यू बोर्ड का फैसला,

(श्री बालकृष्ण कौल)

फिर हमने लॉ डिपार्टमेंट से सलाह की। जब सारी ओपीनियन मिली कि गैरकानूनी है तब आगे कदम उठाना बंद हो गया।

श्री भैरोंसिंह : यह मेरा चार्ज है कि सरकार ने यह डिसीजन लिया तो गारन्टी सिस्टम के टेन्डर्स इन्वाइट करने से पहले यदि सरकार अपने फैसले को कन्वे कर लेती कि एग्ज़ॉस्टिंग स्टॉक्स पर नहीं लेंगे तो आगे जो टेन्डर्स आए उसमें भी फर्क पड़ता।

श्री बालकृष्ण कौल : अब मैं स्टॉक्स की बात कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय समाप्त होने जा रहा है, क्या...

श्री परसराम मदेरणा : जब तक वित्तमंत्री का भाषण समाप्त न हो तब तक के लिए समय बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : जब तक वित्तमंत्री महोदय का भाषण हो जाय तब तक के लिए सदन का समय बढ़ाया जाता है।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं निवेदन कर रहा था कि क्योंकि माननीय सदस्य ने स्थगन-प्रस्ताव रखा था इसलिए मेरा फर्ज हो गया कि मैं उन्हें जवाब दूं। अगर स्थगन-प्रस्ताव न होता तो नहीं देता। सवाल यह है कि जब स्थगन-प्रस्ताव करीब ११ बजे मिला इसलिए मुझे सारी स्टेट्स के आंकड़े नहीं मिल सके। मैंने जल्दी जल्दी...

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : सारी स्टेट्स के आंकड़े किसके पास मिलेंगे ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैंने शहर के डिप्टी कमिश्नर से आंकड़े मंगवाए।

(५. म. प.)

अब मैं पहले सन् ६४ के आंकड़े आप को बता दूं। २४-२-६४ से २८-२-६४ तक जो शराब वेयर हाउस से निकली थी वह ३२८५ बल्क गैलन थी। २४-२-६५ से २८-२-६५ तक १२,८९२। १ से ३-७-६४ से ३-७-६४ तक १२,२९२.५ बल्क गैलन और इस दफा १-३-६५ से ७-३-६५ तक ४,५९० बल्क गैलन।

यह आप समझ लीजिये कि इसका भी कोई असर नहीं पड़ा। अगर हम किसी तरीके से पहले उनको इन्टीमेट कर देते तो इसको जितनी गारन्टी है वह भर लेते। इसलिये मेरा निवेदन करना यह है कि अच्छे थे या बुरे वह तो मैं आपकी बात समझ सकता हूं जब इसका डिसीज़न आ गया कि मैं एग्ज़ामिन करलूं। लेकिन यह कह देना कि हमारे साथ अनक्लीन हैं क्योंकि हमने इजाजत दी, लोगों ने उनका बेजा फायदा उठाया। माननीय सदस्यों से आगे आगे निवेदन करदूं कि यह ओर सोच लीजिये कि जो यह शराब ठेकेदारों ने ली और आज उनको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है तो माननीय सदस्यों ने कहा कि हम उस पर क्यों नहीं रोक लगाते हैं। सीधी सी बात है। हमने कोई प्राइस कन्ट्रोल नहीं की। कानून के अन्तर्गत ठेकेदार चौगुना पैसा लेना चाहता है तो ले सकता है। कन्ट्रोल होता तो कोई बात थी। वह क्या करहा है इसकी जिम्मेदारी हम पर है ? बिलकुल नहीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : हर बोतल पर कीमत लगानी चाहिये, क्यों नहीं लगायी ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इस पर सोचेंगी कि इश्यू प्राइस है, मिनिमम पैसा रख दे, गारन्टी में देना पड़ता है, इसके बाद मर्जी आये ५०) ६० में बोतल बेचें और उस आदमी को बेचे जिसकी मोनोपोली आपके पास है, दूसरा बेच नहीं सकता । शराब के लिए लाइसेन्स देते हैं, उसकी कीमत और गारन्टी की जांच नहीं कर सकते ? पोलिसी चेन्ज हो गई है ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं कह नहीं सकता कि पोलिसी चेन्ज हो गई है या नहीं। क्योंकि हर मसले पर कोई फैसला करने से पहले कई पहलू होते हैं उनको देखा जाता है । अगर गवर्नमेंट समझती है कि इससे फायदा है तो जरूर चेंज करेगी और गारन्टी से भी उसको करेगी ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : पर्सनल राय नहीं रखिये ।

श्री बालकृष्ण कौल : पर्सनल राय नहीं, गवर्नमेंट की राय है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या वे गवर्नमेंट के पार्टनर नहीं हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह उन्हीं से पूछिये ।

श्री भैरोंसिंह : आपके लिए नहीं हूं ।

श्री बालकृष्ण कौल : जिस समय वक्तव्य यहां सदन में रखा था मुझे आशा थी कि इस पर आलोचनायें बिल्कुल उतनी हद तक होंगी जितनी कि मुनासिब हैं । मुझे अफसोस से कुछ बातें इस सदन के आगे रखनी हैं जो मेरे व्यक्तिगत हैं । मैं यह चाहता था कि यह सदन जो उसका काम है, जो उसकी काम की शान है, अपने आपको उसके अन्दर महदूद रखता । मेरे ख्याल में जो इस सदन के अन्दर बातें हुई न तो इस सदन की शान के मुआफिक थीं और न मेरे लिए मुआफिक और जिन्होंने रखी उनके लिये भी शान्त की नहीं । यह सदन इस प्रान्त में एक मिसाल कायम करता है कुछ चीजों की । लेकिन इतने दिन यहां मुतवातिर जो तकरीरें हुई उनसे मुझ पर यह यकीन होता था कि सदन में जो तकरीरें हो रही हैं अपने अपने नुक्ते से विचार रखे जा रहे हैं । लेकिन एक आज जो घटना मेरे सामने आयी उससे मैं कह नहीं सकता कि इस सदन में माननीय सदस्य जो उस ओर बैठते हैं उनकी तबियत पर क्या असर हुआ लेकिन असलियत को छोड़ कर भी जिस तरीके से यहां चीज रखी गई वह क्या इस सदन के आगे रखना चाहिये या नहीं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर.........

श्री बालकृष्ण कौल : मुझे इजाजत दीजिये, मैं बोलूं ।

श्री उपाध्यक्ष : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है आपका ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरा निवेदन यह है कि इस सदन में क्या कहा जाय और क्या नहीं कहा जाय। यह काम अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय के देखने का है और जो बात इस सदन में नहीं कही जानी चाहिये उस बात को प्रोसिडिंग्ज़ से एक्सपन्ज करते रहते हैं उसके बावजूद वित्त मंत्री एक वेग जनरलाइजेशन कर रहे हैं कि यह सदन की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है, मेरी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप एलीगेशन पर सीधे आवें और वेग जनरलाइजेशन से कोई कन्टेंशन पूरा होने वाला नहीं है।

श्री बालकृष्ण कौल : यह पॉइन्ट ऑफ आॅर्डर मेरी समझ में नहीं आया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपकी समझ में फिर भी नहीं आयगा।

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्य को अब जरा इत्मिनान से सुनना चाहिये। जो उनके विचार थे, उनका वक्त था, जो कुछ उनको कहना था उन्होंने कह लिया, हर चीज़ पर पॉइन्ट ऑफ आॅर्डर करके मैं सदन में जो वाकेआत रखूं वे न रख सकूं, सदन से अपील करूं कि माननीय सदस्य इस तरह के हैं, उनके लिए ओपीनियन बनाये। इस सदन को नीचे स्तर पर ले जायेंगे तो मैं नम्रतापूर्वक निवेदन कहना चाहूंगा कि इस सदन का क्या होने वाला है?

श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कोलायत से जो माननीय सदस्य आये हैं उन्होंने कुछ इल्जामात मुझ पर लगाये और जिस बैक ग्राउन्ड में ये बातें रखी गई ताकि स्पीकर थोड़े से असमन्जस में पड़ जाए, उसके बैक ग्राउन्ड में कानून को रखा गया जिस कानून की आड़ में वे दिखाना चाहते हैं कि राज्य के वित्त मंत्री ने स्टेट के कानून को तोड़ा है जिससे स्टेट के फाइनेन्सेज़ पर असर पड़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस बैक ग्राउन्ड में यह चीज नहीं रखते तो शायद कुछ माननीय सदस्य और आगे उनको बोलने नहीं देते। कानून क्या है जिसके बैक ग्राउन्ड में यह चीज रखी गई; "गार्जीयन एन्ड वार्ड्स एक्ट" इस कानून की आड़ को लेकर जो कुछ अनर्गल कहना चाहते थे, उन्होंने कहा। वित्त मंत्री ने इतने रूपये का नुकसान स्टेट को दिया; कानूनी बात है इसलिये सदस्यों ने चुप्पी लगा ली और वे कहते गये।

मैं आज माननीय उपाध्यक्ष जी, आपकी मार्फत माननीय सदस्य को कहना चाहता हूँ, वे अदालत में जाकर कानूनी कार्यवाही करें। कानून उनका ठोस है और इस पर एप्लाई करता है तो वे जायें। यह कानून क्या इस प्रकार का है कि हर आदमी जिसके घर में कई बच्चे हैं वे जाकर कोर्ट फीस अदा करें...

श्री भैरोंसिंह : बच्चे हैं उसकी ड्यूटी न दें, लेकिन जो हेलीकोप्टर से आ जाय उसकी तो ड्यूटी दी जानी चाहिये।

श्री बालकृष्ण कौल : आपका यह कहना कि पैसा मारा गया, स्टेट के खजाने

(श्री बालकृष्ण कौल)

में आना चाहिये था वह रख लिया । यह कहने के लिये उनको कानून की आड़ लेने की आवश्यकता नहीं थी; बिना कानून की आड़ लिये ही वे कह सकते थे, उनको अधिकार था। लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया कानून की आड़ में कैरेक्टर पर लान्छन लगाने के अलावा उनका मकसद दूसरा नहीं था।

अब मैं उपाध्यक्ष महोदय, वह घटना सदन के समक्ष रखता हूं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, यह जो चीज रखी है उसके दो पहलू हैं । एक तो अगर किसी माननीय सदस्य को पता लगाना था तो वे मुझसे स्पीकर साहब के चेम्बर में जानकारी कर सकते थे, या सूचना देकर मेरे से जानकारी करते, जिन जिन का नाम लिया जो इस सदन में मौजूद नहीं उनके ऊपर आक्षेप लगा दिया क्योंकि यहां की कार्यवाही पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती।

यह सोचने की बात है कि उन्होंने मेरे साथ एक पांच वर्ष की लड़की देख ली। उन्होंने एक लड़की का नाम लिया जिसको वह मां कहती है। मैं कह नहीं सकता कि माननीय सदस्य कितनी वाकफियत रखते हैं...

श्री मानिकचंद सुराणा : सारा अजमेर रखता है वाकफियत ।

श्री बालकृष्ण कौल : अजमेर रखता होगा, साथ में माननीय सदस्य भी रखते हैं...

श्री मानिकचंद सुराणा : हकीकत में इस सदन में उपस्थित बीसों सदस्य वाकफियत रखते हैं और इस चेयर पर बैठने वाले भी रखते होंगे...

श्री बालकृष्ण कौल : यह तो चेयर जाने । मैं असलियत सदन के सामने रखता हूं क्योंकि यह पर्सनल एक्स्प्लेनेशन है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सूगली बातों में आसन को नहीं जाना चाहिये ।

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके सामने हकीकत है वह रखना चाहता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : "हकीकत" जो पोलो विक्टरी में चल रही है।

श्री बालकृष्ण कौल : कई साल पहले मेरी पत्नी जिन दिनों अजमेर में असिस्टेन्ट डाइरेक्टर का काम करती थीं, आजवो डिप्टी डाइरेक्टर हैं। मैं अजमेर रहता हूं। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे टेलीफोन किया कि आप यहां आइये, कोई अपना बच्चा छोड़ गया है। मैं अपने बच्चों के साथ वहां पहुंचा तो मैंने पूछा क्या हुआ । उन्होंने कहा रात्रि के नौ बजे होंगे, उस दिन कुछ वर्षा सी थी, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खटखटाया, वो मकान में अकेली थी, उन्होंने समझा कि कोई टीचर है, इसलिये अन्दर से ही कह दिया कल यानी दूसरे दिन आना

(श्री बालकृष्ण कौल)

उसने फिर दस्तक दी। बदकिस्मती से जैसा किअक्सर जोधपुर में हुआ करता था बिजली कभी आती थी कभी चली जाती थी। उस समय बिजली चली गई। उन्होंने लाइट से देखा एक औरत वर्षा में भीगी हुई है। उसने कहा आपका नौकर हो तो मेरे लिये तांगा मंगवा दीजिये मैं जाऊंगी, मेरी पत्नी ने कहा, नौकर आज छुट्टी पर है। तो फिर उसने कहा मैं खुद जाती हूं यह बच्ची भीग गई इसे आप रख लीजिए, उन्होंने बच्ची को गोद में ले लिया। उसके बाद आज दिन तक उसे लेने कोई नहीं आया। उन्होंने फिर पुलिस में रिपोर्ट की, यह बच्ची हमारे पास में है जो कोई वारिस हो ले जाए। यह वाकेआत है जो पुलिस की रिपोर्ट में दर्ज है। उस समय वह बच्ची कुछ दिनों की थी आज वह साढ़े चार वर्ष की हुई है। अब राजनीति की आड़ में कौल साहब को जनता की नजरों में गिराने की खातिर अजमेर जब राजस्थान में मिला उस वक्त मुझे गिराने की खातिर यह प्रोपेगेन्डा किया गया...

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कांग्रेस वालों ने ही किया होगा।

श्री बालकृष्ण कौल : उसका यह असर हुआ कि मुझको नुकसान पहुंचा। उसके बाद पांच साल के अन्दर अन्दर अजमेर की जनता ने महसूस किया कि उनसे गल्ती हुई। वे हथकन्डे मुझे गिराने के लिये रचे गये थे। अजमेर की जनता जाग चुकी थी इसलिये उन्होंने मुझे ओवर व्हेल्मिग मेजोरिटी से इतने मेग्ज़ीमम वोट्स शायद ही किसी को मिले होंगे, मुझे चुनाव में विजयी किया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप उसके बाकायदा गार्जियन क्यों नहीं बनते हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं अब भी हूं...

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपको अदालत में जाकर गार्जियनशिप की सनद लेनी होगी, तभी आप हो सकते हैं...

श्री बालकृष्ण कौल : मैं नहीं जाऊंगा, तब भी हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अगर हैं तो यह कानून का उल्लंघन है।

श्री बालकृष्ण कौल : आप मुझे कानून सिखाते हैं ? आप में हिम्मत होती तो अदालत में जाते और ये बातें बाहर कहते।

आपने इसके साथ ही एक लड़की पर इल्जाम लगाया, आपको शर्म महसूस होनी चाहिये; जिस लड़की का आपने इस घटना के साथ जिक्र किया उस लड़की की शादी नहीं हुई है, आप उस पर इल्जामात लगाते हैं।... इसका ख्याल नहीं किया जिस पर इस प्रकार के इल्जामात लगाये जा रहे हैं वह यहां कुछ नहीं बोल सकती। यहां उसको बदनाम किया गया मुझे

............अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री बालकृष्ण कौल)

अफसोस है। माननीय सदस्यों से मैं अपील करूंगा आपकी सरकार के वित्त मंत्री को आप इस प्रकार से बेइज्जत करने देंगे तो यह समझ लीजिये यह डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। आज मैं यहां पर बैठा हूं कल आप बैठ सकते हैं, अगर इसी प्रकार से फाग उछालना शुरू किया तो डिसिप्लिन नहीं रहेगा। गली का आदमी भी इस प्रकार की बातें नहीं कर सकता, वे बातें माननीय सदस्य ने यहां कहीं।

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब दूसरी बात पर आता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, उपाध्यक्ष महोदय. इसमें माननीय सदस्यों को, दूसरे सदस्यों के द्वारा दिये गए वक्तव्य को यह कहना कि शासन ने उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया, जिस तरह के शर्मनाक वक्तव्य दिये गये। आप आसन पर बिराज रहे हैं। आप पर वे इस तरह से एस्पर्शन्स कर गये हैं। तो आपने कुछ शब्द मेरे एक्सपन्ज किए हैं तो आसन के बारे में जो भी शब्द वित्त मन्त्रीजी ने कहे हैं जो कि किसी भी सदन के सदस्य के लिये आसन के प्रति इस तरह से कहना शोभनीय नहीं है, वे शब्द भी आप इस सारी प्रोसीडिंग्स से एक्सपन्ज करेंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है।

(अल्प विराम के अनन्तर)

I want a ruling, sir.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों को इस विषय में मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यहां जो बजट के दौरान में कोई भी इस प्रकार के जो व्यक्तिगत आक्षेप वाली बातें हैं उनको बहुत ही संतुलित तौर पर कहा जाना चाहिए और उसमें यदि कोई असन्तुलित भाषा का प्रयोग होता है तो यह स्वाभाविक है कि इधर से या उधर से उससे रोष उत्पन्न होता है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार की भाषा से बच कर अपनी बात कही जाय। और यदि कोई ऐसे शब्द हैं कि जो माननीय सदस्यों के प्रति आक्षेपयुक्त हैं या इस प्रकार से हैं तो वे वर्जनीय हैं।

श्री भैरोंसिंह : इतना तो ठीक है। पर अगर कोई शब्द है या नहीं है इस तरह का यह अलग प्रश्न है। पर अभी तो आपके ऊपर एस्पर्शन है यह तो स्पष्ट है। यह चेयर पर सीधा आक्षेप है कि चेयर ने प्रोटेक्शन नहीं दिया। इसका मतलब यह हुआ कि उनको चेयर पर भरोसा नहीं है। तो, यह तो हम उचित नहीं समझेंगे अगर वित्त मन्त्रीजी ही यह परम्परा डाल रहे हैं और उनके ये शब्द प्रोसीडिंग्स में से एक्सपंज नहीं हैं तो हमारे पर इनका क्या असर पड़ेगा, यह सोचने की बात है। हम भी आगे कह देंगे कि हमें भी चेयर प्रोटेक्शन नहीं दे रही है। तो यह उचित नहीं होगा। इसलिए हमारा निवेदन है कि वे शब्द तो एक्सपन्ज होने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : जब प्रोटेक्शन दिया या नहीं दिया, वह चेयर के सोचने की बात है और इस विषय में जो वाक्य कहे गये हैं तो उनको एक्सपन्ज किया जाता है।

श्री बालकृष्ण कौल : एक बात मुझे और कहनी है। उसमें भी कुछ

(श्री बालकृष्ण कौल)

मेरे पर व्यक्तिगत हमला हुआ। या यों कहिये कि उस पर भी मुझ पर आरोप लगाये। वह है एन्टरटेनमेंट टैक्स का मामला, हकीकत पिक्चर है उस पर माफ करने का। और यह कि मैंने वह पिक्चर अजमेर में जाकर देखी। उसकी भी बात मैं सदन में साफ साफ रख देना चाहता हूं।

हकीकत के जो प्रोड्यूसर थे वह मेरे मकान पर आए और उन्होंने चाहा कि मैं उसको एन्टरटेनमेंट टैक्स से एग्ज़ेम्प्ट कर दूं। मेरी आदत यह है कि मैं जहां तक एग्ज़ेम्प्शन का सवाल है, नहीं दिया करता और शायद ही कोई पिक्चर इसके अलावा मुझे याद हो जिसमें मैंने एग्ज़ेम्प्शन दिया हो। यहां तक कि एक माननीय सदस्य जो संगीत नाटक अकादमी के चैयरमैन हैं उनको भी मुझसे शिकायत है कि मैं उनको भी एन्टरटेनमेंट टैक्स माफ नहीं कर सका। तो मैं क्या करूं वे मेरे पीछे पड़े कि आप देख लें। मैंने कहा मुझे वक्त नहीं है। मैं अजमेर जा रहा हूं, यह कहा मैंने। वे अजमेर मेरे पीछे पीछे आए आकर उन्होंने कहा कि आप देख लीजिए और देख-कर आप फैसला करिए कि इसका टैक्स माफ होना चाहिये या नहीं। एन्टरटेनमेन्ट टैक्स माफ करना या न करना यह सरकार के डिस्क्री-शन में है। तो उन्होंने फैसला किया कि जब उनकी पिक्चर न चल रही हो उस वक्त मुझको दिखाने का इन्तजाम किया कि उसका एन्टरटेनमेन्ट टैक्स माफ होने काबिल है या नहीं। तो साहब, श्रीमान्, मैं वहां गया। मेरे मकान के पास ही था। और कुछ दो, चार पांच मेरे साथी थे, देखने गये। देखा क्या है? कोई टिकट नहीं था, पब्लिक भी नहीं थी। हो सकता है, उनके आदमी भी हों; प्रोड्यू-सर थे, एजेन्ट्स थे हो सकता है। लेकिन कोई पब्लिक के लिए खुला नहीं था कि वे देख सकें। और याद रखिये कि कोई प्रोड्यू-सर, एजेन्ट या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं चाहेगा कि पहले तस्वीर खुल जावे जिसकी खबर नहीं कि क्या होने जा रहा है और उसका व्यापार का नुक्सान हो। खैर, मैं गया। वहां जाकर मैंने उसको देखा। दो घंटे मेरे लगे। लगने के बाद मैंने वहां फैसला नहीं किया। जल्दी में था। मैं चला आया। मैंने कहा वहां आ जाइये।

यहां पर मेरे दफ्तर में आए। तो जो बातचीत यहां हुई वह भी मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं। यह वाक्या है। चूंकि मैं इस स्टेट का वित्त मन्त्री हूं, मुझे कई डिस्क्रीशन कई मौकों पर लेने होते हैं। इस-लिए मेरी तबियत में उस तस्वीर का काफी असर है। वह सारा लद्दाख का सीन है। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा यह पद तैयार नहीं होता है उसके लिये। उन्होंने दलील की। मैंने कहा, यह भी एक बिज़नेस प्रोपोज़ीशन है। लोग देखेंगे, पैसे आवेंगे। गरज यह कि दिल में मेरे यह जरूर था कि आम जनता इसको देखे और शहरों से ज्यादा गांव के लोग देखें और उन इलाकों में जाकर लोगों को दिखाया जा सके जहां के कि नौजवान वहां जाकर लड़े हैं या जहां से लोग देशभक्ति से वहां सेना में जाते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): आॅन ए पॉइन्ट आॅफ आॅर्डर, सर। मैं तो आॅब्जेक्ट करता हूं कि उनको एडवर्टाइज़मेन्ट

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

मिलता है इससे । पिक्चर कैसी थी क्या थी यह अलग है । ठीक है, आपको पसन्द आई । पर इसका कोई प्रोसीजर भी तो होगा या नहीं । कलेक्टर से पूछना चाहिए था या नहीं ? या आप अपने कमिश्नर से पूछते, आपकी कमेटी है या आप खुद बैठकर खुद ही तय कर लेते हैं । लॉ में क्या पोजीशन है ? यह बता दीजिये ।

श्री बालकृष्ण कौल : लॉ में गवर्नमेन्ट को पॉवर है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपको कौन-सी पॉवर है ?

श्री बालकृष्ण कौल : मेरा ऑर्डर भी गवर्नमेन्ट का आॅर्डर है । इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि मैं यह सोच रहा था यह चीज गांव गांव में कैसे दिखाई जा सकती है । तो पूछा उनको कि आप तो शहरों में दिखावेंगे इसको । तो मैं यह निवेदन कर दूं कि उनको मैंने इस बात के लिए तैयार किया कि ३५ एम. एम. के साथ ३ प्रिन्ट वे इसके १६ एम. एम. के हमारे पब्लीसिटी विभाग को दें जो अपनी वान में ले जाकर सारे इलाके में गांव गांव में दिखा सकें । मेरे पर असर है उस तस्वीर का और मैं चाहता हूं कि उसे गांव के लोग देखें और मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य भी देखें और फिर फैसला करें कि जिस तस्वीर के लिये मैंने डिस्क्रीशन यूज़ किया; गवर्नमेन्ट के नाते वह ठीक था या कैसा था ।

फिर मैं एक चीज...

श्री भैरोंसिंह : इसमें एक स्पष्टीकरण कर दीजिये कि आपने जो भी डिस्क्रीशन यूज़ करके एग्ज़ेम्पशन दिया उसके लिए आपने जिस तरीके से पिक्चर देखी या जो भी एग्ज़ीबिशन या एग्ज़ामिनेशन किया वह एन्टरटेनमेन्ट की डेफीनिशन में आता है या नहीं ?

श्री बालकृष्ण कौल : मेरी खबर यह है कि नहीं आता ।

श्री भैरोंसिंह : कानून की बात जानना चाहता हूं ।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं कानून और देख लूंगा ।

तो पेश्तर इसके कि अपनी जगह बैठूं, मैं कुछ ऐलान करना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय जी, दो चीजों पर यहां पहले से बहस हुई और लोगों की यह ख्वाहिश थी कि उन दोनों चीजों पर मुझे कुछ कर कम कर देने चाहिये । लेकिन एक के सम्बन्ध में मैं मजबूर हूं । वह है मेडीसिन । दिल चाहता है कि उसकी भी कमी हो जाती तो अच्छा था । पर वित्त मन्त्री का जो फर्ज है वह मजबूर करता है क्योंकि चारों तरफ मेरे छः परसेन्ट है इसलिए आपको मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट के फैसले के मुताबिक मुझको ज्यादा से ज्यादा दो पर्सेन्ट का फर्क रखना है इसलिए मैंने दो को कर दिया बावजूद इसके कि इन्सानियत के नाते असर है कि वह होता तो अच्छा होता ।

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली): इसमें एक पोइंट है कि जिस सिद्धान्त के अनुसार आप यह कहना चाहते हैं कि दूसरी स्टेटों से २ पर्सेन्ट का डिफरेन्स होना चाहिए तो क्या और चीजों में भी आप इस सिद्धांत को लागू करने को तैयार हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैंने कहा कि जिन चीज़ों पर बातचीत हुई है उसके अनुसार मैं कहना चाहता हूं कि सारी चीजों का नहीं है ।.

अब मैं दूसरे कर के बाबत आपके द्वारा निवेदन कर दूं, जहां तक एन्टरटेनमेंट टैक्स का ताल्लुक है, उसमें पहले जो निर्ख थी उससे काफी ज्यादा बढ़ाया है । उसमें मैंने यह देखा कि कुछ माननीय सदस्य अधिकतर यह चाहते थे कि उसकी निर्ख में कुछ तरमीम कर दी जाय । जो गवर्नमेंट ने फैसला किया है वह मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं । ५० पैसे तक के टिकट पर ३५ पर्सेन्ट एन्टरटेमेंट टैक्स और ५० पैसे से १ रुपये तक ४० पर्सेन्ट, और १ रुपये से २ रुपये तक ४५ पर्सेन्ट और दो रुपये से ऊपर ६० पर्सेन्ट, क्योंकि आज भी आठ आने के नीचे हम लेते हैं ३० पर्सेन्ट उसमें ३५ हुआ है । उसके ऊपर ३५ लेते हैं वह ४० हुआ है । उसके ऊपर हम ३० ही लेते थे उसका हमने ४५ किया है ।

श्री चौसरसिंह बावेल (बेंगू) : यह पूरे राजस्थान पर लागू होगा । हमारे यहां पंचायत समिति वसूल नहीं करती है मनोरंजन टैक्स ।

श्री बालकृष्ण कौल : इसके साथ साथ मैं, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों से माफी मांगूंगा कि मैंने उनका समय काफी लिया और अगर कुछ मैंने ऐसी बात कही हो कि जिससे किसी व्यक्ति विशेष को चोट लगी हो और वाकई मेरी बात चोट लगने के लायक हो तो मुझे अफसोस है । इतना कहकर मैं बैठता हूं ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, एक जानकारी देनी चाहिए थी वित्त मंत्री महोदय को कि ३५ करोड़ के आसपास जो ब्याज की रकम बाकी है, जिनको कर्ज दिया है उसकी वसूली का क्या करेंगे । इसकी लाएबिलिटी किसकी है कि इतना क्यों बढ़ा दिया और समय पर क्यों नहीं लिया गया ?

श्री उपाध्यक्ष : (वित्त मंत्री महोदय से) You want to reply ?

श्री बालकृष्ण कौल : रिप्लाई उसका है नहीं । ब्याज वसूल भी होता है । कुछ ब्याज इस किस्म का है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वह फेज हो जाता है ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं है, जिनको अपने यहां से दिया है ।

श्री बालकृष्ण कौल : उनके टर्म्स हैं, उनके इन्स्टालमेंट्स होते हैं । जो आप कह

(श्री बालकृष्ण कोल)

रहे हैं वह बड़ा बकाया हो सकता है । उसका जो कुछ हो सकेगा कानूनन वह मैं कर दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक दिनांक १९ मार्च के ११ बजे प्रातः काल तक स्थगित की जाती है ।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५ बजकर ३४ मिनट पर दिनांक १९ मार्च, १९६५ के म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई ।)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३५२ का उत्तर देखिये)

सतर्कता आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही की जिलेवार सूची

क्रम सं०	नाम जिला	आवश्यक कार्यवाही हेतु जन अभियोग निराकरण एवं अन्य संबंधित विभागों को भेजे गए मामलों की संख्या	उन शिकायतों की संख्या जिनमें आरोप सिद्ध नहीं हुए	उन शिकायतों की संख्या जिनमें कानूनन विभागीय कार्यवाही की राय दी गई
१	२	३	४	५
१.	जयपुर	२२८	१३	४३
२.	भरतपुर	२७	३	२
३.	जोधपुर	२५	१	५
४.	अलवर	२४	३	८
५.	गंगानगर	२०	११	४
६.	अजमेर	१८	१०	३
७.	कोटा	१७	–	१
८.	उदयपुर	१५		
९.	बीकानेर	१४	–	६
१०.	सवाई माधोपुर	१४	४	१५
११.	सीकर	१३	२	८
१२.	पाली	११	४	–
१३.	नागौर	७	–	१
१४.	भीलवाड़ा	७	–	१
१५.	सिरोही	७		
१६.	बून्दी	६	–	१
१७.	डूंगरपुर	५	–	१

१	२	३	४	५
१८.	जैसलमेर	६		
१९.	बांसवाड़ा	४		
२०.	टोंक	४	–	२
२१.	चित्तौड़गढ़	४	१	१
२२.	चुरू	३	–	४
२३.	झुंझुनू	३		
२४.	झालावाड़	३		
२५.	जालोर	२	–	१
२६.	बाड़मेर	–		
	योग	४८७	६२	११०

परिशिष्ट-२

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३५७ का उत्तर देखिये)

दिनांक ऑडिट	किसके द्वारा किया गया	मुख्य २ अनियमिततायें
५-४-५२	बी. खोसला एण्ड कम्पनी चार्टेड एकाउन्टेन्ट	(१) समिति के धन से जो पंचायत भवन के नाम से मकान बनवाया उसमें १६४६-५१ में २६०८॥)॥। खर्च हुए, जबकि समिति की प्रबन्धकारिणी के अध्यक्ष श्री बद्रीनारायण खोरा तथा श्री कोजूलाल को इस भवन पर८०० खर्च रु० करने का अधिकार दिया, जिसका उत्तरदायित्व श्री खोरा व कोजूलाल पर है।
		(२) विविध लेनदारी के मद में श्री खोराजी व श्री कोजूलाल ने निम्न राशि खर्च करने की स्वीकृति प्राप्त न किये हुए ही खर्च की थी। वसूल करने का निर्णय समिति की आम सभा में लिये गये किन्तु इस सम्बन्ध में आगामी कार्यवाही और अंतिम निर्णय समिति के रेकॉर्ड पर नहीं है।
		(अ) नकद में खोराजी को दी गई राशि व उधार की गई बिक्री के ३३९-३-३
		(ब) खोरा बीसल स्कूल पर किया गया खर्चा ५३५—००
		(स) विविध खर्च १३५—१२—०
		कुल योग—१००६—१५—३
		(३) २७७६—१०—६ खरीद के लिए मूल इन्वॉइस अथवा अन्य प्रमाण उपलब्ध नहीं हुए।

१	२	३
		(४) १४८—६—६ के भुगतान की रसीदें उपलब्ध नहीं हैं ।
		(५) स्टॉक का भौतिक निरीक्षण करने पर २ साड़ी, ५.१६ गिरह लट्ठा कम पाया गया ।
१०—६—५९	श्री सिरेहमल तुलसानी	कैश बैलेन्स ३०—९—३ ऑडिट करते समय नहीं पाये गये तथा ग्राम पंचायत द्वारा ८) रु० मासिक पंचायत भवन का किराया जमा करना नहीं बतलाया ।
		८३—११—० के खर्च के वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये ।
		श्री बद्रीनारायण खोरा के जिम्मे बकाया रकम ४३८०.६ नये पैसे अभी तक जमा नहीं हुई ।
१६—१०—५९	श्री रघुवीरसिंह	कार्य बन्द होने के कारण कोई उल्लेखनीय नये एतराज नहीं हुए ।
३०—४—६१	,,	
४—९—६२	,,	

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३५८ का उत्तर देखिये)

झालावाड़ जिले में वेटरनरी हॉस्पिटल व डिस्पेन्सरियों की सूची

हॉस्पिटल	डिस्पेन्सरी
१) झालावाड़	इकलेरा
२) खानपुर	पिड़ावा
३) डग	सुनेलथापा
४) बकानी	गंगवार
५) मनोहरथाना	
६) भवानी मंडी	

शुद्धि-पत्र

(शनिवार, १३ मार्च, १९६५)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
३०६८	अन्तिम से २	चावव, आदि	चावल आदि
३०७५	७	more number	more. Number
३०८८-८९	शीर्षक	माच, ६५	मार्च, ६५
३११७	४	अनुपस्थिति	अनुपस्थित
३१२५	२०	श्री अध्यक्षजी	श्री अध्यक्ष
३१२६-२७	शीर्षक	माच, ६५-बढ़ान	मार्च, बढ़ाने-६५
३१५१	२५	Kairo	Kairon

स्कम्भ ३१३६ से ३३०५ तक शीर्षक पर "कारावास में बंदियों की -१३ मार्च,६५- पिटाई विषयक स्थगन-प्रस्ताव" अथवा अन्य कुछ मुद्रित हुआ है उसके स्थान पर कृपया यह पढ़े:—

"आय-व्ययक १९६५-६६-१३ मार्च, ६५-पर अग्रेत्तर वाद-विवाद"

३१७८	प्रथम	श्री आनन्दसिह्	श्री आनन्दसिंह्
३२५२	८	was dcided	was decided
३२५२	२३	स्लिपट ओवर	स्प्लिट ओवर
,,	२५	बी ।	बीघा
३२५४	शीर्ष	(श्री मांहनलाल	(श्री मोहनलाल
३२७५	१७	ह वह यह नहीं हैं ।	है वह यह नहीं है ।
,,	अन्तिम से ३	श्री गोकुलप्रशाद	श्री गोकुलप्रसाद
३२७८	५	रिक्वरी	रिकवरी
३३०४	शीर्ष	कोल)	कौल)
३३०२-३	शीर्षक	३४०२-३४०३	३३०२-३३०३